(25)

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020/01 (अनु0)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13.04.20

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–निर्वाचन आयोग–उपशीर्ष–0001–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु कुल **₹**1,51,35,000.00**(एक करोड़ इक्कावन लाख पैतीस हजार रूपये) मात्र की** राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है।

क्र०	विषय शीर्ष	आवंटित की जा रही राशि की विवरणी	
1	2	3	
1	0001.01.01 – वेतन	₹ 7120000.00	(इकहत्तर लाख बीस हजार रूपये) मात्र
2	0001.01.02 – विशेष वेतन	₹ 0.00	(शून्य रूपये) मात्र
3	0001.01.03 – जीवन यापन भत्ता	₹ 2130000.00	(इक्कीस लाख तीस हजार रूपये) मात्र
4	0001.01.04 – मकान किराया भत्ता	₹ 1140000.00	(ग्यारह लाख चालीस हजार रूपये) मात्र
5	0001.01.05 – परिवहन भत्ता	₹ 270000.00	(दो लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र
6	0001.01.06 – चिकित्सा भत्ता	₹ 95000.00	(पचानवें हजार रूपये) मात्र
7	0001.01.07 – अन्य भत्ता	₹ 23000.00	(तेइस हजार रूपये) मात्र
8	0001.01.08 – त्योहार अग्रिम	₹ 0.00	(शून्य रूपये) मात्र
9	0001.06.01 – चिकित्सा प्रतिपूर्ति	₹ 165000.00	(एक लाख पैसठ हजार रूपये) मात्र
10	0001.11.01 – यात्रा-व्यय	₹ 99000.00	(निनान्वें हजार रूपये) मात्र
11	0001.13.01 – कार्यालय व्यय	₹ 990000.00	(नौ लाख नब्बे हजार रूपये) मात्र
12	0001.13.02 – वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	₹ 165000.00	(एक लाख पैसठ हजार रूपये) मात्र
13	0001.13.03 – दूरभाष	₹ 80000.00	(अस्सी हजार रूपये) मात्र
14	0001.13.04 – विद्युत प्रभार	₹ 165000.00	(एक लाख पैसठ हजार रूपये) मात्र
15	0001.13.05 – विधि प्रभार	₹ 330000.00	(तीन लाख तीस हजार रूपये) मात्र
16	0001.13.06 – वर्दी/पोशाक	₹ 4000.00	(चार हजार रूपये) मात्र
17	0001.13.10 – भाड़े की गाड़ी का भुगतान	₹ 495000.00	(चार लाख पनचानवें हजार रूपये) मात्र

(34)

18	0001.14.01 – किराया महसूल एवं कर	₹ 544000.00	(पाँच लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र
19	0001.20.01 – आतिथ्य व्यय	₹ 66000.00	(छियासठ हजार रूपये) मात्र
20	0001.20.02 – कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	₹ 99000.00	(निनान्वें हजार रूपये) मात्र
21	0001.20.03 – प्रशिक्षण व्यय	₹ 0.00	(शून्य रूपये) मात्र
22	0001.28.02 – संविदा सेवायें	₹ 1155000.00	(ग्यारह लाख पच्चपन हजार रूपये) मात्र
23	0001.51.01 – मोटर गाड़ी–कार्यालय	₹ 0.00	(शून्य रूपये) मात्र
कुल योग :–		**₹ 15135000.00**	**(एक करोड़ इक्कावन लाख पैंतीस हजार रूपये) मात्र**

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. आवंटित की जा रही राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना** होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. जिन मदों में सम्पादित कार्य अथवा आपूर्ति के विरूद्ध भुगतान नहीं किया जा सका हो, उसके भुगतान की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाये। आवश्यकतानुसार पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध प्रतिस्थानी आदेश निर्गत किया जाये।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020 के पृष्ठ संख्या .....03/टि० पर दिनांक 05.04.21 को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16–2015001010001** है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020/01(3:0)/ पं०रा० पटना, दिनांक 13.04.

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020/ 01(3:0)/ पं०रा० पटना, दिनांक 13.04.

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(39)

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/ 00(आर)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त।
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 13.04.21.

विषय : **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष –0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹73,25,37,000.00 (तिहत्तर करोड़ पचीस लाख सैंतीस हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना मद में आवंटित राशि से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत जिला अभियंता, यदि किसी जिला परिषद् में हैं, तो उनके वेतनादि का भुगतान भी इस आवंटित राशि से किया जायेगा।

4. इस आवंटित राशि से नियमानुसार बकाया वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है।

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

लगातार - -

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. **आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।**

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 के पृष्ठ संख्या 31/टि० पर दिनांक 09.04.2021 .....को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16–2515000010003** है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/02 (अति)/पं०रा० पटना, दिनांक 13.04.21

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/02 (अति)/पं०रा० पटना, दिनांक 13.04.21

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से 'मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम वि कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्था अन्तर्गत व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) विवरणी।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन					योग
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
	उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु						
1	उप विकास आयुक्त, नालन्दा	1050000.00	178500.00	84000.00	45000.00	8000.00	₹ 13655
2	उप विकास आयुक्त, पटना	1050000.00	178500.00	84000.00	45000.00	8000.00	₹ 13655
3	उप विकास आयुक्त, गया	1750000.00	297500.00	140000.00	75000.00	8000.00	₹ 22705
4	उप विकास आयुक्त, नवादा	1400000.00	238000.00	112000.00	60000.00	8000.00	₹ 18180
5	उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद	2100000.00	357000.00	168000.00	90000.00	8000.00	₹ 27230
6	उप विकास आयुक्त, सारण	1050000.00	178500.00	84000.00	45000.00	8000.00	₹ 13655
7	उप विकास आयुक्त, गोपालगंज	2100000.00	357000.00	168000.00	90000.00	8000.00	₹ 27230
8	उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर	1050000.00	178500.00	84000.00	45000.00	8000.00	₹ 13655
9	उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण	1750000.00	297500.00	140000.00	75000.00	8000.00	₹ 22705
10	उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण	700000.00	119000.00	56000.00	30000.00	8000.00	₹ 9130
11	उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी	700000.00	119000.00	56000.00	30000.00	8000.00	₹ 9130
12	उप विकास आयुक्त, भागलपुर	1050000.00	178500.00	84000.00	45000.00	8000.00	₹ 13655
13	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	1050000.00	178500.00	84000.00	45000.00	8000.00	₹ 13655
14	उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर	1050000.00	178500.00	84000.00	45000.00	8000.00	₹ 13655
15	उप विकास आयुक्त, दरभंगा	1400000.00	238000.00	112000.00	60000.00	8000.00	₹ 18180
16	उप विकास आयुक्त, सहरसा	1750000.00	297500.00	140000.00	75000.00	8000.00	₹ 22705
17	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	700000.00	119000.00	56000.00	30000.00	8000.00	₹ 91300
18	उप विकास आयुक्त, पूर्णिया	1400000.00	238000.00	112000.00	60000.00	8000.00	₹ 181800
19	उप विकास आयुक्त, कटिहार	1400000.00	238000.00	112000.00	60000.00	8000.00	₹ 181800
20	उप विकास आयुक्त, मुंगेर	350000.00	59500.00	28000.00	15000.00	8000.00	₹ 46050
21	उप विकास आयुक्त, बेगुसराय	700000.00	119000.00	56000.00	30000.00	8000.00	₹ 91300
22	उप विकास आयुक्त, खगड़िया	3500000.00	595000.00	280000.00	150000.00	8000.00	₹ 453300
	कुल	**29050000.00**	**4938500.00**	**2324000.00**	**1245000.00**	**176000.00**	₹ 3773350
	प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु						
23	उप निदेशक, पंचायत राज, पटना	4000000.00	680000.00	320000.00	135000.00	24000.00	₹ 515900
24	उप निदेशक, पंचायत राज, गया	800000.00	136000.00	64000.00	30000.00	24000.00	₹ 105400
25	उप निदेशक, पंचायत राज, सारण	700000.00	119000.00	56000.00	30000.00	24000.00	₹ 92900
26	उप निदेशक, पंचायत राज, मुजफ्फरपुर	4400000.00	748000.00	210000.00	54000.00	24000.00	₹ 543600
27	उप निदेशक, पंचायत राज, भागलपुर	2100000.00	357000.00	168000.00	90000.00	24000.00	₹ 273900
28	उप निदेशक, पंचायत राज, दरभंगा	2100000.00	357000.00	168000.00	90000.00	24000.00	₹ 273900
29	उप निदेशक, पंचायत राज, सहरसा	1750000.00	297500.00	140000.00	75000.00	24000.00	₹ 228650
	कुल	**15850000.00**	**2694500.00**	**1126000.00**	**504000.00**	**168000.00**	₹ 2034250

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन					यो०
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	वि०भत्ता 0003.01.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु						
30	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	2000000.00	340000.00	160000.00	90000.00	16000.00	₹ 2606000.00
31	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	2200000.00	374000.00	176000.00	120000.00	16000.00	₹ 2886000.00
32	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	2200000.00	374000.00	176000.00	120000.00	16000.00	₹ 2886000.00
33	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	3000000.00	510000.00	240000.00	135000.00	16000.00	₹ 3901000.00
34	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	3000000.00	510000.00	240000.00	150000.00	16000.00	₹ 3916000.00
35	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमुर	2000000.00	340000.00	160000.00	90000.00	16000.00	₹ 2606000.00
36	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	3000000.00	510000.00	240000.00	150000.00	16000.00	₹ 3916000.00
37	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	2200000.00	374000.00	176000.00	120000.00	16000.00	₹ 2886000.00
38	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	3000000.00	510000.00	240000.00	150000.00	16000.00	₹ 3916000.00
39	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	2000000.00	340000.00	160000.00	120000.00	16000.00	₹ 2636000.00
40	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	2000000.00	340000.00	160000.00	90000.00	16000.00	₹ 2606000.00
41	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	3000000.00	510000.00	240000.00	150000.00	16000.00	₹ 3916000.00
42	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	3000000.00	510000.00	240000.00	150000.00	16000.00	₹ 3916000.00
43	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	3000000.00	510000.00	240000.00	150000.00	16000.00	₹ 3916000.00
44	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	3000000.00	510000.00	240000.00	150000.00	16000.00	₹ 3916000.00
45	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	2000000.00	340000.00	160000.00	105000.00	16000.00	₹ 2621000.00
46	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	3000000.00	510000.00	240000.00	165000.00	16000.00	₹ 3931000.00
47	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	3000000.00	510000.00	240000.00	150000.00	16000.00	₹ 3916000.00
48	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	3000000.00	510000.00	240000.00	150000.00	16000.00	₹ 3916000.00
49	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	2100000.00	357000.00	168000.00	90000.00	16000.00	₹ 2731000.00
50	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	3000000.00	510000.00	240000.00	150000.00	16000.00	₹ 3916000.00
51	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	2800000.00	476000.00	224000.00	120000.00	16000.00	₹ 3636000.00
52	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	3000000.00	510000.00	240000.00	135000.00	16000.00	₹ 3901000.00
53	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	3000000.00	510000.00	240000.00	150000.00	16000.00	₹ 3916000.00
54	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	3000000.00	510000.00	240000.00	150000.00	16000.00	₹ 3916000.00
55	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	2800000.00	476000.00	224000.00	135000.00	16000.00	₹ 3651000.00
56	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	2800000.00	476000.00	224000.00	120000.00	16000.00	₹ 3636000.00
57	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	2800000.00	476000.00	224000.00	120000.00	16000.00	₹ 3636000.00
58	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	2800000.00	476000.00	224000.00	120000.00	16000.00	₹ 3636000.00
59	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	2000000.00	340000.00	160000.00	90000.00	16000.00	₹ 2606000.00
60	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	2200000.00	374000.00	176000.00	105000.00	16000.00	₹ 2871000.00
61	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	2500000.00	425000.00	200000.00	120000.00	16000.00	₹ 3261000.00
62	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	2500000.00	425000.00	200000.00	120000.00	16000.00	₹ 3261000.00
63	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	2100000.00	357000.00	168000.00	90000.00	16000.00	₹ 2731000.00
64	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	3000000.00	510000.00	240000.00	135000.00	16000.00	₹ 3901000.00
65	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	2500000.00	425000.00	200000.00	120000.00	16000.00	₹ 3261000.00
66	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	1700000.00	289000.00	136000.00	90000.00	16000.00	₹ 2231000.00
67	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	1500000.00	255000.00	120000.00	75000.00	16000.00	₹ 1966000.00
	कुल	97700000.00	16609000.00	7816000.00	4740000.00	608000.00	₹ 127473000.00
	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु						
68	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	10200000.00	1734000.00	816000.00	486000.00	24000.00	₹ 13260000.00
69	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	14500000.00	2465000.00	1160000.00	675000.00	32000.00	₹ 18832000.00
70	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	12000000.00	2040000.00	960000.00	540000.00	32000.00	₹ 15572000.00
71	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	15000000.00	2550000.00	1200000.00	810000.00	36000.00	₹ 19596000.00
72	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	15000000.00	2550000.00	1200000.00	675000.00	40000.00	₹ 19465000.00
73	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमुर	12000000.00	2040000.00	960000.00	540000.00	24000.00	₹ 15564000.00
74	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	17000000.00	2890000.00	1360000.00	1080000.00	40000.00	₹ 22370000.00

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन					योग
	वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	वि०भत्ता 0003.01.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
75	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	14000000.00	2380000.00	1120000.00	675000.00	32000.00	₹ 18207000.0
76	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	12000000.00	2040000.00	960000.00	540000.00	40000.00	₹ 15580000.0
77	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	6000000.00	1020000.00	480000.00	270000.00	32000.00	₹ 7802000.0
78	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	5000000.00	850000.00	400000.00	189000.00	24000.00	₹ 6463000.0
79	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	12000000.00	2040000.00	960000.00	540000.00	40000.00	₹ 15580000.0
80	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	15000000.00	2550000.00	1200000.00	675000.00	40000.00	₹ 19465000.0
81	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	12000000.00	2040000.00	960000.00	540000.00	40000.00	₹ 15580000.0
82	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	15000000.00	2550000.00	1200000.00	675000.00	40000.00	₹ 19465000.0
83	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	10000000.00	1700000.00	800000.00	459000.00	28000.00	₹ 12987000.0
84	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	15000000.00	2550000.00	1200000.00	675000.00	44000.00	₹ 19469000.0
85	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	15000000.00	2550000.00	1200000.00	675000.00	40000.00	₹ 19465000.0
86	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	10000000.00	1700000.00	800000.00	405000.00	40000.00	₹ 12945000.0
87	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	5000000.00	850000.00	400000.00	270000.00	24000.00	₹ 6544000.0
88	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	15000000.00	2550000.00	1200000.00	324000.00	40000.00	₹ 19114000.0
89	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	6000000.00	1020000.00	480000.00	270000.00	32000.00	₹ 7802000.0
90	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	14000000.00	2380000.00	1120000.00	675000.00	36000.00	₹ 18211000.0
91	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	17000000.00	2890000.00	1360000.00	810000.00	40000.00	₹ 22100000.0
92	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	17000000.00	2890000.00	1360000.00	810000.00	40000.00	₹ 22100000.0
93	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	6000000.00	1020000.00	480000.00	270000.00	36000.00	₹ 7806000.0
94	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	9000000.00	1530000.00	720000.00	405000.00	32000.00	₹ 11687000.0
95	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	10200000.00	1734000.00	816000.00	459000.00	32000.00	₹ 13241000.0
96	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	10200000.00	1734000.00	816000.00	459000.00	32000.00	₹ 13241000.0
97	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	10200000.00	1734000.00	816000.00	459000.00	24000.00	₹ 13233000.0
98	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	9000000.00	1530000.00	720000.00	405000.00	28000.00	₹ 11683000.0
99	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	9000000.00	1530000.00	720000.00	405000.00	32000.00	₹ 11687000.0
100	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	6000000.00	1020000.00	480000.00	270000.00	32000.00	₹ 7802000.0
101	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	9000000.00	1530000.00	720000.00	405000.00	24000.00	₹ 11679000.0
102	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	11900000.00	2023000.00	952000.00	540000.00	36000.00	₹ 15451000.0
103	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	8000000.00	1360000.00	640000.00	324000.00	32000.00	₹ 10356000.0
104	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	6000000.00	1020000.00	480000.00	270000.00	24000.00	₹ 7794000.0
105	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	6000000.00	1020000.00	480000.00	270000.00	20000.00	₹ 7790000.0
	कुल	421200000.00	71604000.00	33696000.00	19224000.00	1264000.00	₹ 546988000.0
	सकल योग	563800000.00	95846000.00	44962000.00	25713000.00	2216000.00	₹ 732537000.0

कुल : तिहत्तर करोड़ पच्चीस लाख सैंतीस हजार रूपये म

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021/ 03/310/ पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रभारी प्रचार्य
मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला
पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, पटना,
गया, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर,
दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक 28/04/2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹52,69,000.00 (बावन लाख उनहत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आंवटित राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रभारी प्रचार्य होंगे,** जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करेगें।

4. **सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एवं बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है।**

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

भवदीय,

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी अगले माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021 के पृष्ठ संख्या 3 /टि० पर दिनांक 02/04/2021 को प्राप्त है।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000030001 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021/0350 पं०रा० पटना, दिनांक 28/04/2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021/0351 पं०रा० पटना, दिनांक 28/04/2021

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन विवरणी।

(राशि रूपये में)

क्र०	संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन					
			वेतन 0001.01.01	जी० या० भत्ता 0001.01.03	मकान भत्ता 0001.01.04	प० भत्ता 0001.01.05	चि० भत्ता 0001.01.06	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, पटना	प्रभारी प्राचार्य, पटना	300000.00	63000.00	24000.00	6000.00	2000.00	**395000.00**
2	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, गया	प्रभारी प्राचार्य, गया	500000.00	105000.00	40000.00	10000.00	4000.00	**659000.00**
3	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, सारण	प्रभारी प्राचार्य, सारण	500000.00	105000.00	40000.00	10000.00	4000.00	**659000.00**
4	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर	प्रभारी प्राचार्य, मुजफ्फरपुर	200000.00	42000.00	16000.00	5000.00	1000.00	**264000.00**
5	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर	प्रभारी प्राचार्य, भागलपुर	300000.00	63000.00	24000.00	6000.00	2000.00	**395000.00**
6	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा	प्रभारी प्राचार्य, दरभंगा	500000.00	105000.00	40000.00	10000.00	4000.00	**659000.00**
7	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा	प्रभारी प्राचार्य, सहरसा	500000.00	105000.00	40000.00	10000.00	4000.00	**659000.00**
8	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णिया	प्रभारी प्राचार्य, पूर्णियां	500000.00	105000.00	40000.00	10000.00	4000.00	**659000.00**
9	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर	प्रभारी प्राचार्य, मुंगेर	700000.00	147000.00	56000.00	12000.00	5000.00	**920000.00**
कुल योग			**4000000.00**	**840000.00**	**320000.00**	**79000.00**	**30000.00**	**5269000.00**

बावन लाख उनहत्तर हजार रूपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांक: 5प / राज्य स्कीम–02–09 / 2017 / 0458 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर (आरा), सुपौल एवं कटिहार।

पटना, दिनांक 06/05/2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों / जिला परिषद् अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख / उप–प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया / **उप–मुखिया** एवं **ग्राम पंचायत सदस्य** तथा ग्राम कचहरी सरपंच / उप सरपंच एवं ग्राम **कचहरी सदस्य (पंच)** को निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का स्वीकृति प्राधिकार संबंधित जिला पदाधिकारी को बनाया गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा), सुपौल एवं कटिहार द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित किये जाने की अनुशंसा के आलोक में कुल ₹15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रूपये) आवंटित की जाती है।

राशि रूपया में

क्र० स०	जिला का नाम	जिला पदाधिकारी की अुनशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने वाले की विवरण	अनुग्रह अनुदान की आवंटित राशि
1	भोजपुर (आरा)	पत्रांक–539 दिनांक–25.02.2021	स्व० अमरजीत सिंह, उप मुखिया, ग्राम पंचायत–बगवाँ, प्रखंड–गड़हनी, जिला–भोजपुर (आरा)	500000.00
2	सुपौल	ज्ञापांक–440–2 दिनांक–31.03.2021	स्व० रामदेव राम, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम+पो०–रतौली, प्रखंड–पिपरा, जिला–सुपौल	500000.00
3	कटिहार	पत्रांक–345 दिनांक–18.03.2021	स्व० पुण्यदेव चौधरी, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत–रामपुर, प्रा०नि०क्षे०सं०–09, प्रखंड–कोढ़ा, जिला–कटिहार	500000.00
सकल योग				**1500000.00**

पन्द्रह लाख रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबधित जिलों के जिला पदाधिकारी** होंगे जो राशि की निकासी **संबधित जिला कोषागार** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. **इस आवंटित राशि की संबधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\P 2515000010101\Letter.docx

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम, विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010101 है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 के पृष्ठ संख्या 144/टि० पर दिनांक 03./05/2021 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वास भाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/04(3)/पं०रा०, पटना, दिनांक 06./05/2021

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित उप विकास आयुक्त–सह –मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/04(3)/पं०रा०, पटना, दिनांक 06./05/2021

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/ ...05 (अ.ए.)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, नालन्दा, नवादा, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, कटिहार एवं खगड़िया।
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज (पूर्णियाँ एवं मुंगेर को छोड़कर)।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 12.05.202.

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष –0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी अनुलग्नक–'क' के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹2,70,62,000.00 (दो करोड़ सत्तर लाख बासठ हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

4. यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि–की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. **आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।**

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 के पृष्ठ' संख्या 08/टि० पर दिनांक 7/5/21 को प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **वित्त कोड संख्या 16–2515000010003** है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/05(अं०)/पं०रा० पटना, दिनांक 12.05.21

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/05(अं०)/पं०रा० पटना, दिनांक 12.05.21

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से 'मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना' अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) विवरणी।

अनुलग्नक : 'क'

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्यालय व्यय 0003.13.01	दूरभाष 0003.13.03	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	5	6	7	9	10
	उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु					
1	उप विकास आयुक्त, नालन्दा	—	—	—	200000	₹ 200000.00
2	उप विकास आयुक्त, नवादा	—	—	—	440000	₹ 440000.00
3	उप विकास आयुक्त, गोपालगंज	—	—	—	200000	₹ 200000.00
4	उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण	—	—	—	160000	₹ 160000.00
5	उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर	—	—	—	400000	₹ 400000.00
7	उप विकास आयुक्त, कटिहार	—	—	—	170000	₹ 170000.00
8	उप विकास आयुक्त, खगड़िया	—	—	—	400000	₹ 400000.00
	कुल	0	0	0	1970000	₹ 1970000.00
	प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु					
9	उप निदेशक, पंचायत राज, पटना	20000	—	—	—	₹ 20000.00
10	उप निदेशक, पंचायत राज, गया	20000	—	—	—	₹ 20000.00
11	उप निदेशक, पंचायत राज, सारण	20000	—	—	—	₹ 20000.00
12	उप निदेशक, पंचायत राज, मुजफ्फरपुर	20000	—	—	—	₹ 20000.00
13	उप निदेशक, पंचायत राज, भागलपुर	20000	—	—	—	₹ 20000.00
14	उप निदेशक, पंचायत राज, दरभंगा	20000	—	—	300000	₹ 320000.00
15	उप निदेशक, पंचायत राज, सहरसा	20000	—	—	—	₹ 20000.00

अनुलग्नक : 'क'

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्यालय व्यय 0003.13.01	दूरभाष 0003.13.03	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	5	6	7	9	10
16	उप निदेशक, पंचायत राज, पूर्णिया	—	—	—	—	₹ 0.00
17	उप निदेशक, पंचायत राज, मुंगेर	—	—	—	—	₹ 0.00
	कुल	140000	0	0	300000	₹ 440000.00
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु					
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	35000	4000	125000	300000	₹ 464000.00
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमुर	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
25	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
26	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
27	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
28	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	35000	4000	125000	300000	₹ 464000.00
29	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
30	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
31	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
32	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	35000	4000	125000	250000	₹ 414000.00
33	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
34	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	35000	4000	125000	200000	₹ 364000.00
35	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
36	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	35000	4000	125000	300000	₹ 464000.00

अनुलग्नक : 'क'

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्यालय व्यय 0003.13.01	दूरभाष 0003.13.03	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	5	6	7	9	10
37	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	35000	4000	125000	170000	₹ 334000.00
38	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
39	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
40	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	35000	4000	125000	500000	₹ 664000.00
41	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
42	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
43	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
44	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
45	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	35000	4000	125000	200000	₹ 364000.00
46	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
47	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
48	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
49	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	35000	4000	125000	800000	₹ 964000.00
50	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
51	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
52	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
53	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
54	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
55	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	35000	4000	125000	—	₹ 164000.00
	कुल	1330000	152000	4750000	3020000	₹ 9252000.00
	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु					
53	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	—	—	—	400000	₹ 400000.00
54	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	—	—	—	500000	₹ 500000.00
55	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमुर	—	—	—	800000	₹ 800000.00

अनुलग्नक : 'क'

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्यालय व्यय 0003.13.01	दूरभाष 0003.13.03	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	5	6	7	9	10
56	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	—	—	—	800000	₹ 800000.00
57	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	—	—	—	500000	₹ 500000.00
58	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	—	—	—	400000	₹ 400000.00
59	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	—	—	—	1000000	₹ 1000000.00
60	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	—	—	—	800000	₹ 800000.00
61	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	—	—	—	800000	₹ 800000.00
62	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	—	—	—	400000	₹ 400000.00
63	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	—	—	—	1000000	₹ 1000000.00
64	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	—	—	—	300000	₹ 300000.00
65	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	—	—	—	400000	₹ 400000.00
66	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	—	—	—	800000	₹ 800000.00
67	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	—	—	—	1000000	₹ 1000000.00
68	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	—	—	—	500000	₹ 500000.00
69	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	—	—	—	800000	₹ 800000.00
70	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	—	—	—	800000	₹ 800000.00
71	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	—	—	—	800000	₹ 800000.00
72	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	—	—	—	400000	₹ 400000.00
73	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	—	—	—	800000	₹ 800000.00
74	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	—	—	—	600000	₹ 600000.00
75	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	—	—	—	800000	₹ 800000.00
कुल		0	0	0	15400000	₹ 15400000.00
सकल कुल		1470000	152000	4750000	20690000	₹ 27062000.00

(दो करोड़ सत्तर लाख बासठ हजार रूपये) मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(156)

अत्यावश्यक
ई–मेल

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021/06(शी)पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18.05.2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 18.05.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में Untied अनुदान की प्रथम किस्त की स्वीकृत कुल ₹741.80 करोड़ (सात अरब इकतालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 18.05.2021 द्वारा 15वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से प्राप्त Untied अनुदान की प्रथम किस्त की कुल ₹741.80 करोड़ (सात अरब इकतालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र की राशि को उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ ग्राम पंचायतों के लिए संलग्न विवरणी–1, पंचायत समितियों के लिए संलग्न विवरणी–2 एवं जिला परिषदों के लिए संलग्न विवरणी–3 के अनुरूप वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹741.80 करोड़ (सात अरब इकतालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के संबंधित बजट शीर्षों के अंतर्गत निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–**

राशि (करोड़ में)

क्र०	PRIs	योजना शीर्ष	Untied Grant
i	ग्राम पंचायत	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष– 0001.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980001	519.26
ii	पंचायत समिति	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष– 0001.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड– 16–2515001970001	148.36

(2)

(195)

iii	जिला परिषद्	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0003–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष– 0003.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड– 16–2515001960003	74.18
		कुल– (सात अरब इकतालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र	**741.80**

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से कर 15वें वित्त आयोग से संबंधित भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेसरैया भवन, बेली रोड शाखा, पटना–800015 में संधारित विभागीय बैंक खाता में अंतरित करते हुए PFMS Portal के माध्यम से इस स्वीकृत्यादेश के साथ ग्राम पंचायतों के लिए संलग्न विवरणी–1 (राज्य के सभी 8387 ग्राम पंचायतों), पंचायत समितियों के लिए संलग्न विवरणी–2 (राज्य के सभी 534 पंचायत समितियों) एवं जिला परिषदों के लिए संलग्न विवरणी–3 (राज्य के सभी 38 जिला परिषदों) के अनुरूप Untied अनुदान की राशि को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के संबंधित बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

4. 15वें वित्त आयोग योजना के क्रियान्वयन एवं राशि के व्यय के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश विभागीय राज्यादेश संख्या 14(रा०) दिनांक 16.06.2020 एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक G-39011/2/2017-FD दिनांक 05.08.2020 द्वारा संसूचित है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021 के पृष्ठ संख्या 02/अ० पर दिनांक 18.05.2021 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

18/05/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–04/2021/06(317)पं०रा० पटना, दिनांक 18.05.202,
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी–03, 04, 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), 06 एवं 07, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/05/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–04/2021/01(317)पं०रा० पटना, दिनांक 18.05.2021
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/05/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/07 (अंश)पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक 19.05.2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 04.05.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,65,54,000.00 (तीन करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 04.05.2021** द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रबंधन हेतु विभाग के नियंत्राधीन कार्यालयों (क्षेत्रिय कार्यालय सहित) में संविदा के आधार पर नियोजित प्रोग्रामर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० ब्यॉय/गर्ल के पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान हेतु **कुल ₹3,65,54,000.00 (तीन करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार रूपये) मात्र** की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में **कुल ₹3,65,54,000.00 (तीन करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार रूपये) मात्र** की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

क्र०	संविदा के आधार पर नियोजित पद	संविदा कर्मियों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	प्रोग्रामर	38	29682000.00
2	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	16	6136000.00
3	आई०टी०ब्यॉय/गर्ल	3	756000.00
कुल स्वीकृत राशि			**36554000.00**

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना** होगें, जो राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय, कोषागार, पटना से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2021–22** में **मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत "**मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना**" मद के विषय शीर्ष '**0102.28.02–संविदा सेवाएँ**' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017 के पृष्ठ संख्या 77/टि० पर दिनांक 18.05.2021 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

19/05/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/07 (310) पं०रा० पटना, दिनांक 19.05.2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/05/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/07 (311) पं०रा० पटना, दिनांक 19.05.2021

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/05/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/...08 (अ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी
(जमुई, किशनगंज एवं सीवान को छोड़कर),
बिहार।

पटना, दिनांक ...19.05.2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04(स्वी०) दिनांक 12.05.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹88,20,000.00 (अठ्ासी लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04(स्वी०) दिनांक 12.05.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹88,20,000.00 (अठ्ासी लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में **कुल ₹88,20,000.00 (अठ्ासी लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2021–22 में निम्नरूपेण आवंटित की जाती हैः–

क्र०	DPRO के कार्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	Araria	252000.00
2	Arwal	252000.00
3	Aurangabad	252000.00
4	Banka	252000.00
5	Begusarai	252000.00
6	Bhagalpur	252000.00
7	Bhojpur	252000.00
8	Buxar	252000.00
9	Darbhanga	252000.00
10	E.Champaran	252000.00
11	Gaya	252000.00
12	Gopalganj	252000.00

13	Jehanabad	252000.00
14	Kaimur	252000.00
15	Katihar	252000.00
16	Khagaria	252000.00
17	Lakhisarai	252000.00
18	Madhepura	252000.00
19	Madhubani	252000.00
20	Munger	252000.00
21	Muzaffarpur	252000.00
22	Nalanda	252000.00
23	Nawada	252000.00
24	Patna	252000.00
25	Purnea	252000.00
26	Rohtas	252000.00
27	Saharsa	252000.00
28	Samastipur	252000.00
29	Saran	252000.00
30	Sheikhpura	252000.00
31	Sheohar	252000.00
32	Sitamarhi	252000.00
33	Supaul	252000.00
34	Vaishali	252000.00
35	W.Champaran	252000.00
Total :-		**8820000.00**
कुलः अठ्ठासी लाख बीस हजार रूपये मात्र		

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2021–22** में **मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत "**मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना**" मद के विषय शीर्ष '**0102.28.02–संविदा सेवाएँ**' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017 के पृष्ठ संख्या 77/टि० पर दिनांक 18.05.2021 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

19/05/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/08(310)/पं०रा० पटना, दिनांक 19.05.2

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/05/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/08(310)/पं०रा० पटना, दिनांक 19.05.2021

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/05/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/819(5.17) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 19.05.2021

विषयः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 12.05.2021 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹1,01,39,51,480.00 करोड़ (एक अरब एक करोड़ उनचालीस लाख इक्कयावन हजार चार सौ अस्सी रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु **कुल ₹1,01,39,51,480.00 करोड़ (एक अरब एक करोड़ उनचालीस लाख इक्कयावन हजार चार सौ अस्सी रूपये) मात्र की राशि** उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न 'विवरणी–A' के अनुसार सारण, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, औरंगाबाद एवं भागलपुर जिले के 644 (छह सौ चौवालीस) ग्राम पंचायतों को अंतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹1,01,39,51,480.00 करोड़ (एक अरब एक करोड़ उनचालीस लाख इक्कयावन हजार चार सौ अस्सी रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगीः–

क्र०	योजना शीर्ष	राशि (₹ में)
1	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515001980113 विषय शीर्ष–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	659068463.00
2	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007890112 विषय शीर्ष–0112.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	354883017.00
	कुल	**1013951480.00**
	कुलः एक अरब एक करोड़ उनचालीस लाख इक्यावन हजार चार सौ अस्सी रूपये मात्र	

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **02(स्वी०) दिनांक 12.05.2021** के साथ संलग्न 'विवरणी–A' के अनुसार संबंधित ग्राम

पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS Portal के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 के पृष्ठ संख्या 09/पे० पर दिनांक 18.05.2021 को प्राप्त हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/09(अंश)/पं०रा० पटना, दिनांक 19.05.2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

सारण, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, औरंगाबाद एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/09(5)/ पं०रा० पटना, दिनांक ...19.05.2021

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/1050-09/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।

पटना, दिनांक 22.05.202

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं **जिला परिषद् सदस्य** पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं **ग्राम पंचायत सदस्य** तथा ग्राम कचहरी के **सरपंच**/उप सरपंच एवं ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) को निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि ₹5,00,000.00 (पांच लाख रूपये) मात्र की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्राधिकार संबंधित जिला पदाधिकारी को बनाया गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित किये जाने के अनुशसा निम्नवत् है:–

क्र० स०	जिला का नाम	जिला पदाधिकारी की अनुशसा का पत्रांक एवं दिनांक	अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने वाले की विवरण	अनुग्रह अनुदान की आवंटित राशि
1	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	पत्रांक–40 दिनांक–22.01.2020	स्व० अनवारूल हक, (निर्वाचित सरपंच) ग्राम–कचहरी अधकपड़िया, ग्राम +पो०–अधकपड़िया, थाना–रामगढ़वा, प्रखण्ड– रामगढ़	5,00,000.00
2	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	पत्रांक–41 दिनांक–22.01.2020	स्व० सीमा देवी (निर्वाचित जिला परिषद् सदस्य क्षेत्र संख्या–47, पूर्वी चम्पारण) ग्राम बरवा खुर्द, प्रखण्ड–घोड़ासहन	5,00,000.00
3	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	पत्रांक–42 दिनांक–23.01.2020	स्व० लालमुनी देवी (निर्वाचित वार्ड सदस्य वार्ड संख्या–06, ग्राम पंचायत–सकरार, प्रखण्ड– रामगढ़	5,00,000.00
कुल				**15,00,000.00**

पन्द्रह लाख रूपये मात्र

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515000010101** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 के पृष्ठ संख्या...../टि० पर दिनांक ...../...../2021 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/1036/पं०रा० पटना, दिनांक 12.05.2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/1037/पं०रा० पटना, दिनांक 12.05.2021

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/1130-J/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना दिनांकः 31.05.2021

विषयः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 21.05.2021 के आलोक में कुल ₹54,02,07,183.00 (चौवन करोड़ दो लाख सात हजार एक सौ तिरासी रूपये) मात्र में से ₹17,05,12,000.00 (सतरह करोड़ पाँच लाख बारह हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प–4046 दिनांक 25.07.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 21.05.2021 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलों के संविदा/मानदेय के आधार पर नियोजित तकनीकी सहायकों के लिए ₹27,63,42,953.00 (सत्ताईस करोड़ तिरेसठ लाख बयालीस हजार नौ सौ तिरेपन रूपये) मात्र तथा लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के लिए ₹26,38,64,230.00 (छब्बीस करोड़ अड़तीस लाख चौसठ हजार दो सो तीस रूपये) मात्र अर्थात **कुल ₹54,02,07,183.00 (चौवन करोड़ दो लाख सात हजार एक सौ तिरासी रूपये) मात्र** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में तकनीकी सहायकों तथा लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के मानदेय के भुगतान हेतु कुल **₹54,02,07,183.00 (चौवन करोड़ दो लाख सात हजार एक सौ तिरासी रूपये) मात्र में से ₹17,05,12,000.00 (सतरह करोड़ पाँच लाख बारह हजार रूपये) मात्र** की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

क्र०	जिला का नाम	तकनीकी सहायकों के के मानदेय के भुगतान हेतु आवंटित राशि	लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु आवंटित राशि	कुल आवंटन (3+4)
1	2	3	4	5
1	Araria	2484000	2160000	4644000
2	Arwal	702000	900000	1602000
3	Aurangabad	1998000	2940000	4938000
4	Banka	1620000	2700000	4320000
5	Begusarai	2700000	2160000	4860000
6	Bhagalpur	3024000	3240000	6264000
7	Bhojpur	2538000	2880000	5418000

8	Buxar	1620000	1860000	3480000
9	Darbhanga	4050000	4860000	8910000
10	E. Champaran	3564000	4320000	7884000
11	Gaya	2970000	4200000	7170000
12	Gopalganj	1026000	1080000	2106000
13	Jamui	1620000	1860000	3480000
14	Jehanabad	432000	1200000	1632000
15	Kaimur	1350000	1920000	3270000
16	Katihar	2322000	2820000	5142000
17	Khagaria	1674000	1560000	3234000
18	Kishanganj	1674000	1860000	3534000
19	Lakhisarai	594000	1080000	1674000
20	Madhepura	1944000	1680000	3624000
21	Madhubani	3888000	2800000	6688000
22	Munger	918000	1200000	2118000
23	Muzaffarpur	2214000	4440000	6654000
24	Nalanda	2430000	3240000	5670000
25	Nawada	1998000	1620000	3618000
26	Patna	2592000	4020000	6612000
27	Purnia	1998000	2820000	4818000
28	Rohtas	2376000	3300000	5676000
29	Saharsa	432000	1440000	1872000
30	Samastipur	2862000	3360000	6222000
31	Saran	3024000	2820000	5844000
32	Sheikhpura	378000	720000	1098000
33	Sheohar	648000	660000	1308000
34	Sitamarhi	2808000	3180000	5988000
35	Siwan	2808000	3960000	6768000
36	Supaul	1512000	1980000	3492000
37	Vaishali	1080000	1620000	2700000
38	W. Champaran	2700000	3480000	6180000
Total		**76572000**	**93940000**	**170512000**

कुल : सतरह करोड़ पाँच लाख बारह हजार रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के "विषय शीर्ष–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2021–22 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
31/05/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/1113(3)/पं०रा० पटना, दिनांक 31.05.2021
प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा–03, 06(लेखा) एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांक) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/05/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/1113(4)/पं०रा० पटना, दिनांक 31.05.2021
प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/05/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/12 हजार/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 31.05.2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 06(स्वी०) दिनांक 13.05.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹13,45,68,000.00 (तेरह करोड़ पैंतालीस लाख अड़सठ हजार रूपये मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 06(स्वी०) दिनांक 13.05.2021 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना हेतु विभिन्न कार्यालयों में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से अनुबंध/संविदा के आधार पर नियोजित प्रखण्ड स्तरीय कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान हेतु **कुल ₹13,45,68,000.00 (तेरह करोड़ पैंतालीस लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र** की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में **कुल ₹13,45,68,000.00 (तेरह करोड़ पैंतालीस लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2021–22 में निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

क्र०	DPRO के कार्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	Araria	2268000.00
2	Arwal	1260000.00
3	Aurangabad	2772000.00
4	Banka	2772000.00
5	Begusarai	4536000.00
6	Bhagalpur	4032000.00
7	Bhojpur	3528000.00
8	Buxar	2772000.00
9	Darbhanga	4536000.00
10	E.Champaran	6804000.00
11	Gaya	6048000.00
12	Gopalganj	3528000.00
13	Jamui	2520000.00
14	Jehanabad	1764000.00
15	Kaimur	2772000.00
16	Katihar	4032000.00

17	Khagaria	1764000.00
18	Kishanganj	1764000.00
19	Lakhisarai	1764000.00
20	Madhepura	3276000.00
21	Madhubani	5292000.00
22	Munger	2268000.00
23	Muzaffarpur	4032000.00
24	Nalanda	5040000.00
25	Nawada	3528000.00
26	Patna	5796000.00
27	Purnea	3528000.00
28	Rohtas	4788000.00
29	Saharsa	2520000.00
30	Samastipur	5040000.00
31	Saran	5040000.00
32	Sheikhpura	1512000.00
33	Sheohar	1260000.00
34	Sitamarhi	4284000.00
35	Siwan	4788000.00
36	Supaul	2772000.00
37	Vaishali	4032000.00
38	W.Champaran	4536000.00
Total :-		134568000.00

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2021–22** में **मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत "**मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना**" मद के विषय शीर्ष '**0102.28.02–संविदा सेवाएँ**' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड

एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017 के पृष्ठ संख्या 80/टि० पर दिनांक 28.05.21 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

28/05/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/12(311) पं०रा० पटना, दिनांक 31.05.20

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/05/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/12(311) पं०रा० पटना, दिनांक 31.05.202

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/05/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/13 (5)(1-7) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 31.05.2021

विषय : **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 13.05.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹105.50 करोड (एक अरब पाँच करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र में से ₹68.00 करोड़ (अड़सठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 13.05.2021 द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹105.50 करोड (एक अरब पाँच करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत कुल ₹105.50 करोड (एक अरब पाँच करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र में से ₹68.00 करोड़ (अड़सठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2021–22 में निम्नरूपेण किया जाता है:–

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	बक्सर	15000000
2	रोहतास	30000000
3	भोजपुर	10000000
4	नालन्दा	50000000
5	पटना	15000000
6	कैमूर	15000000
7	गया	40000000
8	नवादा	10000000
9	औरंगाबाद	60000000
10	जहानाबाद	10000000
11	अरवल	5000000
12	सारण	15000000
13	सिवान	10000000
14	गोपालगंज	10000000
15	मुजफ्फरपुर	40000000

16	वैशाली	10000000
17	पू0 चम्पारण	50000000
18	प0 चम्पारण	15000000
19	सीतामढ़ी	50000000
20	शिवहर	5000000
21	भागलपुर	10000000
22	बांका	15000000
23	मधुबनी	10000000
24	समस्तीपुर	15000000
25	दरभंगा	15000000
26	सहरसा	15000000
27	मधेपुरा	15000000
28	सुपौल	40000000
29	पूर्णिया	10000000
30	अररिया	5000000
31	किशनगंज	5000000
32	कटिहार	5000000
33	मुंगेर	5000000
34	जमुई	15000000
35	बेगूसराय	15000000
36	खगड़िया	10000000
37	लखीसराय	5000000
38	शेखपुरा	5000000
	कुल	**680000000**
		कुलः अड़सठ करोड़ रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होंगे, जो आवंटित राशि की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 13.05.2021 के आलोक में संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिंता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2021–22** में मांग संख्या–**16** के राज्य स्कीम अंतर्गत "**मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–पंचायती राज–उपशीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवन**" मद के विषय शीर्ष '**0108.53.01–मुख्य निर्माण कार्य**' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–4515001010108** है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019 के पृष्ठ संख्या 61 /टि० पर दिनांक 27.05.2021 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
31/05/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/13311/पं०रा० पटना, दिनांक 31.05.2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/05/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/13312/पं०रा० पटना, दिनांक 31.05.2021

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/05/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/1463(200)/ पं०रा०

अत्यावश्यक
ई–मेल/फैक्स

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 07.06.21

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 09(स्वी०) दिनांक 31.05.2021 के आलोक में कुल ₹74,57,50,000.00 (चौहतर करोड़ सतावन लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 09(स्वी०) दिनांक 31.05.2021 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच को वित्तीय वर्ष 2021–22 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹1,42,00,000.00 (एक करोड़ बयालीस लाख रूपये) मात्र, पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख तथा सदस्यों को ₹7,16,00,000.00 (सात करोड़ सोलह लाख रूपये) मात्र, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया तथा सदस्यों का ₹33,00,00,000.00 (तैंतीस करोड़ रूपये) मात्र, तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹33,00,00,000.00 (तैंतीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल **₹74,58,00,000.00 (चौहतर करोड़ अठ्ठावन लाख रूपये)** मात्र का स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी–I के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को ₹1,41,50,000.00 (एक करोड़ इकतालीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र, पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख तथा सदस्यों को ₹7,16,00,000.00 (सात करोड़ सोलह लाख रूपये) मात्र, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया तथा सदस्यों का ₹33,00,00,000.00 (तैंतीस करोड़ रूपये) मात्र, तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹33,00,00,000.00 (तैंतीस**

करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹74,57,50,000.00 (चौहतर करोड़ सतावन लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के **उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्** एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के **जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 09(स्वी०) दिनांक 31.05.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सभी स्तरों से नियत भत्ते का भुगतान CFMS के माध्यम से संबंधित पदधारकों के बैंक खाते में उपलब्ध करायेंगे।

4. इस आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए तथा विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 के मांग संख्या–16 के अन्तर्गत राज्य स्कीम में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी :–

जिला परिषदों के लिए –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपषीर्ष–0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001960106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विषेष घटक योजना–उपषीर्ष–0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890106 है।

पंचायत समितियों के लिए –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपषीर्ष –0103–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103. 31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001970103 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विषेष घटक योजना–उपषीर्ष–0105–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890105 है।

ग्राम पंचायतों के लिए –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपषीर्ष–0105–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001980105 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विक कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विषेष घटक योजना–उपषीर्ष–0103–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890103 है।

ग्राम कचहरियों के लिए –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपषीर्ष–0106–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001980106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विषेष घटक योजना–उपषीर्ष–0104–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890104 है।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एव व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

12. इस आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

13. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017 के पृष्ठ संख्या 106/टि० पर दिनांक 04.06.21 को प्राप्त है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
07/06/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/1436 पं०रा० पटना, दिनांक 07.06.2021

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/06/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/1437 पं०रा० पटना, दिनांक 07.06.2021

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/06/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद् (जिला परिषद् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001960106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	220216.00	45104.00	**265320.00**
2	रोहतास	327037.00	66983.00	**394020.00**
3	भोजपुर	310603.00	63617.00	**374220.00**
4	नालन्दा	335254.00	68666.00	**403920.00**
5	पटना	433858.00	88862.00	**522720.00**
6	कैमूर	211999.00	43421.00	**255420.00**
7	गया	433858.00	88862.00	**522720.00**
8	नवादा	261301.00	53519.00	**314820.00**
9	औरंगाबाद	285952.00	58568.00	**344520.00**
10	जहानाबाद	162697.00	33323.00	**196020.00**
11	अरवल	129829.00	26591.00	**156420.00**
12	सारण	442075.00	90545.00	**532620.00**
13	सिवान	392773.00	80447.00	**473220.00**
14	गोपालगंज	318820.00	65300.00	**384120.00**
15	मुजफ्फरपुर	499594.00	102326.00	**601920.00**
16	वैशाली	392773.00	80447.00	**473220.00**

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001960106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
17	पूo चम्पारण	452723.00	316857.00	**769580.00**
18	पo चम्पारण	400990.00	82130.00	**483120.00**
19	सीतामढ़ी	368122.00	75398.00	**443520.00**
20	शिवहर	113395.00	23225.00	**136620.00**
21	भागलपुर	310683.00	63617.00	**374300.00**
22	बांका	261301.00	53519.00	**314820.00**
23	मधुबनी	516028.00	105692.00	**621720.00**
24	समस्तीपुर	474943.00	97277.00	**572220.00**
25	दरभंगा	442075.00	90545.00	**532620.00**
26	सहरसा	228433.00	46787.00	**275220.00**
27	मधेपुरा	244867.00	50153.00	**295020.00**
28	सुपौल	261301.00	53519.00	**314820.00**
29	पूर्णियाँ	302386.00	61934.00	**364320.00**
30	अररिया	335254.00	68666.00	**403920.00**
31	किशनगंज	203782.00	41738.00	**245520.00**
32	कटिहार	327037.00	66983.00	**394020.00**
33	मुंगेर	170914.00	35006.00	**205920.00**
34	जमुई	220216.00	45104.00	**265320.00**
35	बेगुसराय	293471.00	70349.00	**363820.00**
36	खगड़िया	203782.00	41738.00	**245520.00**
37	लखीसराय	146263.00	29957.00	**176220.00**
38	शेखपुरा	113395.00	23225.00	**136620.00**
	कुल राशि	**11550000.00**	**2600000.00**	**14150000.00**

कुलः एक करोड़ इकतालीस लाख पचास हजार रूपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी–II

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप–प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001970103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	1127372.00	230908.00	**1358280.00**
2	रोहतास	1896484.00	388436.00	**2284920.00**
3	भोजपुर	1617106.00	331214.00	**1948320.00**
4	नालन्दा	1978654.00	405266.00	**2383920.00**
5	पटना	2442092.00	500188.00	**2942280.00**
6	कैमूर	1081357.00	221483.00	**1302840.00**
7	गया	2534123.00	519037.00	**3053160.00**
8	नवादा	1433045.00	293515.00	**1726560.00**
9	औरंगाबाद	1406750.00	288130.00	**1694880.00**
10	जहानाबाद	719809.00	147431.00	**867240.00**
11	अरवल	502880.00	103000.00	**605880.00**
12	सारण	2382930.00	488070.00	**2871000.00**
13	सिवान	2034529.00	416711.00	**2451240.00**
14	गोपालगंज	1649974.00	337946.00	**1987920.00**
15	मुजफ्फरपुर	2422372.00	496148.00	**2918520.00**
16	वैशाली	1981940.00	405940.00	**2387880.00**

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001970103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	3037954.00	401496.00	**3439450.00**
18	प० चम्पारण	2142994.00	438926.00	**2581920.00**
19	सीतामढ़ी	1988514.00	407286.00	**2395800.00**
20	शिवहर	450292.00	92228.00	**542520.00**
21	भागलपुर	1715710.00	351410.00	**2067120.00**
22	बांका	1291712.00	264568.00	**1556280.00**
23	मधुबनी	2721470.00	557410.00	**3278880.00**
24	समस्तीपुर	2570278.00	526442.00	**3096720.00**
25	दरभंगा	2258032.00	462488.00	**2720520.00**
26	सहरसा	1104365.00	226195.00	**1330560.00**
27	मधेपुरा	1294999.00	265241.00	**1560240.00**
28	सुपौल	1308146.00	267934.00	**1576080.00**
29	पूर्णियाँ	1718996.00	352084.00	**2071080.00**
30	अररिया	138046.00	282744.00	**420790.00**
31	किशनगंज	877576.00	179744.00	**1057320.00**
32	कटिहार	1761725.00	360835.00	**2122560.00**
33	मुंगेर	831560.00	170320.00	**1001880.00**
34	जमुई	1061636.00	217444.00	**1279080.00**
35	बेगुसराय	1850468.00	379012.00	**2229480.00**
36	खगड़िया	907157.00	185803.00	**1092960.00**
37	लखीसराय	670507.00	137333.00	**807840.00**
38	शेखपुरा	486446.00	99634.00	**586080.00**
कुल राशि		**59400000.00**	**12200000.00**	**71600000.00**

कुलः सात करोड़ सोलह लाख रूपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी–III

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	4747454.00	972370.00	**5719824.00**
2	रोहतास	7672049.00	1571383.00	**9243432.00**
3	भोजपुर	7985609.00	1635607.00	**9621216.00**
4	नालन्दा	8117739.00	1662669.00	**9780408.00**
5	पटना	10709709.00	2193555.00	**12903264.00**
6	कैमूर	4609080.00	944028.00	**5553108.00**
7	गया	11007165.00	2254479.00	**13261644.00**
8	नवादा	6119693.00	1253431.00	**7373124.00**
9	औरंगाबाद	6807949.00	1394399.00	**8202348.00**
10	जहानाबाद	3071843.00	629173.00	**3701016.00**
11	अरवल	2108482.00	431858.00	**2540340.00**
12	सारण	10924008.00	2237448.00	**13161456.00**
13	सिवान	9796636.00	2006540.00	**11803176.00**
14	गोपालगंज	7682238.00	1573470.00	**9255708.00**
15	मुजफ्फरपुर	12744567.00	2610333.00	**15354900.00**
16	वैशाली	9563273.00	1958743.00	**11522016.00**

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	10009074.00	2050051.00	**12059125.00**
18	प० चम्पारण	10210444.00	2091296.00	**12301740.00**
19	सीतामढ़ी	9175431.00	1879305.00	**11054736.00**
20	शिवहर	1785061.00	365615.00	**2150676.00**
21	भागलपुर	7682566.00	1573538.00	**9256104.00**
22	बांका	6021418.00	1233302.00	**7254720.00**
23	मधुबनी	13274728.00	2718920.00	**15993648.00**
24	समस्तीपुर	12572667.00	2575125.00	**15147792.00**
25	दरभंगा	10791550.00	2210318.00	**13001868.00**
26	सहरसा	4996593.00	1023399.00	**6019992.00**
27	मधेपुरा	5472522.00	1120878.00	**6593400.00**
28	सुपौल	6059873.00	1241179.00	**7301052.00**
29	पूर्णियाँ	8099333.00	1658899.00	**9758232.00**
30	अररिया	7209924.00	1476731.00	**8686655.00**
31	किशनगंज	4232412.00	866880.00	**5099292.00**
32	कटिहार	7867284.00	1611372.00	**9478656.00**
33	मुंगेर	3307178.00	677374.00	**3984552.00**
34	जमुई	4835211.00	990345.00	**5825556.00**
35	बेगुसराय	7805493.00	1598715.00	**9404208.00**
36	खगड़िया	4411872.00	903636.00	**5315508.00**
37	लखीसराय	2673812.00	547648.00	**3221460.00**
38	शेखपुरा	1738060.00	355988.00	**2094048.00**
कुल राशि		**273900000.00**	**56100000.00**	**330000000.00**

कुलः तैंतीस करोड़ रूपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी–IV

वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890104 के विषय शीर्ष–0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	4747454.00	972370.00	**5719824.00**
2	रोहतास	7672049.00	1571383.00	**9243432.00**
3	भोजपुर	7985609.00	1635607.00	**9621216.00**
4	नालन्दा	8117739.00	1662669.00	**9780408.00**
5	पटना	10709709.00	2193555.00	**12903264.00**
6	कैमूर	4609080.00	944028.00	**5553108.00**
7	गया	11007165.00	2254479.00	**13261644.00**
8	नवादा	6119693.00	1253431.00	**7373124.00**
9	औरंगाबाद	6807949.00	1394399.00	**8202348.00**
10	जहानाबाद	3071843.00	629173.00	**3701016.00**
11	अरवल	2108482.00	431858.00	**2540340.00**
12	सारण	10924008.00	2237448.00	**13161456.00**
13	सिवान	9796636.00	2006540.00	**11803176.00**
14	गोपालगंज	7682238.00	1573470.00	**9255708.00**
15	मुजफ्फरपुर	12744567.00	2610333.00	**15354900.00**
16	वैशाली	9563273.00	1958743.00	**11522016.00**

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890104 के विषय शीर्ष–0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	10009074.00	2050051.00	**12059125.00**
18	प० चम्पारण	10210444.00	2091296.00	**12301740.00**
19	सीतामढ़ी	9175431.00	1879305.00	**11054736.00**
20	शिवहर	1785061.00	365615.00	**2150676.00**
21	भागलपुर	7682566.00	1573538.00	**9256104.00**
22	बांका	6021418.00	1233302.00	**7254720.00**
23	मधुबनी	13274728.00	2718920.00	**15993648.00**
24	समस्तीपुर	12572667.00	2575125.00	**15147792.00**
25	दरभंगा	10791550.00	2210318.00	**13001868.00**
26	सहरसा	4996593.00	1023399.00	**6019992.00**
27	मधेपुरा	5472522.00	1120878.00	**6593400.00**
28	सुपौल	6059873.00	1241179.00	**7301052.00**
29	पूर्णियाँ	8099333.00	1658899.00	**9758232.00**
30	अररिया	7209924.00	1476731.00	**8686655.00**
31	किशनगंज	4232412.00	866880.00	**5099292.00**
32	कटिहार	7867284.00	1611372.00	**9478656.00**
33	मुंगेर	3307178.00	677374.00	**3984552.00**
34	जमुई	4835211.00	990345.00	**5825556.00**
35	बेगुसराय	7805493.00	1598715.00	**9404208.00**
36	खगड़िया	4411872.00	903636.00	**5315508.00**
37	लखीसराय	2673812.00	547648.00	**3221460.00**
38	शेखपुरा	1738060.00	355988.00	**2094048.00**
कुल राशि		**273900000.00**	**56100000.00**	**330000000.00**

कुल: तैंतीस करोड़ रूपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/ 1540 /पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

पटना, दिनांक 16/6/2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव को अनुग्रह अनुदान मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश संख्या 216 दिनांक 11.11.2019 द्वारा संविदा पर नियोजित ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में समाजिक सुरक्षा के रूप में मृतक के आश्रित को एकमुश्त कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्राधिकार सम्बंधित जिला पदाधिकारी को बनाया गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पदाधिकारी औरंगाबाद का पत्रांक 967 दिनांक 30.04.2021 एंव जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) का पत्रांक 706 दिनांक 13.03.2021 के द्वारा स्वीकृत अनुग्रह अनुदान की राशि निम्नवत् आवंटित की जाती है:–

राशि रूपया में

क्र० सं०	जिला का नाम	जिला पदाधिकारी का अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने वाले की विवरण	अनुग्रह अनुदान की आवंटित राशि
1	औरंगाबाद	पत्रांक–967 दिनांक–30.04.2021	स्व० रबिन्द्र प्रसाद, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, ग्राम पंचायत –पीरू, ग्राम–रसूलपुर प्रखण्ड–हसपुरा, जिला–औरंगाबाद	4,00,000.00
2	पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	पत्रांक–706 दिनांक–13.03.2021	स्व० अमिरी प्रसाद, ग्राम कचहरी साचिव, पत्नी–मु० बच्ची देवी, ग्राम पंचायत–पिपरा पकड़ी, प्रखण्ड–बेतिया, जिला–पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	4,00,000.00
कुल				**8,00,000.00**

आठ लाख रूपया मात्र

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष '0010.37.01–अनुग्रह अनुदान" से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515001980010** है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित **जिला पदाधिकारी,** होंगे जो राशि की निकासी संबंधित **जिला कोषागार** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

5. **इस आवंटित राशि की संबधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515001980010) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020 के पृष्ठ संख्या 16/टि० पर दिनांक 10/06/2021 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

16/6/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/1508 पं०रा० पटना, दिनांक 16/6/21
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/6/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/1508 पं०रा० पटना, दिनांक 16/6/21
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/6/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/16(30)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
भागलपुर, लखीसराय, बाँका,
पश्चिमी चम्पारण एवं भोजपुर।

पटना दिनांकः 21/6/2021

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.06.2021 के आलोक मे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 मे कुल ₹5,13,71,693.00 रूपया (पाँच करोड़ तेरह लाख इकहत्तर हजार छ सौ तिरानवे रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु IOT Device अधिष्ठापन हेतु पाँच जिलों को विभागीय स्वीकृत्यादेश 11(स्वी० दिनांक 07.06.2021 के द्वारा **कुल ₹5,13,71,693.00 रूपया (पाँच करोड़ तेरह लाख इकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रूपये) मात्र** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹5,13,71,693.00 रूपया (पाँच करोड़ तेरह लाख इकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	भागलपुर	7603500.00
2	लखीसराय	4801250.00
3	बाँका	5828793.00
4	पश्चिमी चम्पारण	20793750.00
5	भोजपुर	12344400.00
	कुल	51371693.00

(पाँच करोड़ तेरह लाख इकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रूपये मा

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विका कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घट योजना–उपशीर्ष–0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना" मद के "विषय शीर्ष–0112.31.05–सहाय अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2021–22 में की जायेगी। विपत्र कोड–1 2515007890112 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जि पंचायत राज पदाधिकारी होंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 के पृष्ठ संख्या 13../टि० पर दिनांक 16.06.21 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
21/06/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/16(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/6/2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/06/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/16(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/6/2021

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/06/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक: 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05 / 2021 / 1750 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी (अरवल को छोड़कर)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 22/6/2021

विषय : **वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनांक 21.06.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,90,00,00,000.00 (एक अरब नब्बे करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **वित्तीय वर्ष 2021–22** में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनांक 21.06.2021 द्वारा षष्टम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत अनुदान की राशि से ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–1 के अनुरूप **कुल ₹1,90,00,00,000.00 (एक अरब नब्बे करोड़ रूपये) मात्र की राशि** की निकासी की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनांक 21.06.2021 के साथ संलग्न विवरणी–1 के अनुरूप कुल ₹1,90,00,00,000.00 (एक अरब नब्बे करोड़ रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी होगें, जो विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनाक 21.06.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2021–22** में **मांग संख्या–16** के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान"** मद के विषय शीर्ष **'0009.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन'** से किया जायेगा। इसका **विपत्र कोड 16–2515001980009** है।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–573 दिनांक 16.01.1975 एवं 9736 दिनांक 19.10.2011 तथा कोषागार संहिता के नियम–27(ड़) के आलोक में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत इस आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी विहित प्रपत्र में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. **इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन** संचिका संख्याः- 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 के पृष्ठ संख्या 04 /टि० पर दिनांक 21.06.2021 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 /17(आ) पं०रा० पटना, दिनांक 22/6/21

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ज़िला परिषद/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-06(लेखा) एवं 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 /17(आ) पं०रा० पटना, दिनांक 22/6/21

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/ 18 (आंशिक)
/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ, सारण, नवादा एंव औरंगाबाद।

पटना, दिनांक 30/06/2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव को अनुग्रह अनुदान मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश संख्या 216 दिनांक 11.11.2019 द्वारा संविदा पर नियोजित ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में समाजिक सुरक्षा के रूप में मृतक के आश्रित को एकमुश्त कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्राधिकार सम्बंधित जिला पदाधिकारी को बनाया गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ का ज्ञापांक 717 दिनांक 08.06.2021, जिला पदाधिकारी, सारण(छपरा) का पत्रांक 73 दिनांक 13.01.2021, जिला पदाधिकारी, नवादा का पत्रांक 889 दिनांक 15.03.2021 एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पत्रांक 780 दिनांक 26.03.2021 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद स्वीकृत्यादेश के आलोक में अनुग्रह अनुदान की राशि निम्नवत् आवंटित की जाती है:–

राशि रूपया में

क्र० सं०	जिला का नाम	जिला पदाधिकारी का अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने वाले की विवरण	अनुग्रह अनुदान की आवंटित राशि
1	पूर्णियाँ	ज्ञापांक–717 दिनांक -08.06.2021	स्व० अजय कांत झा, न्यायमित्र ग्राम कचहरी रौटा, प्रखंड–बैसा, जिला–पूर्णियाँ	400000.00
2	सारण (छपरा)	पत्रांक–73 दिनांक–13.01.2021	स्व० विजय कुमार प्रसाद, न्यायमित्र, ग्राम कचहरी मुकीमपुर, प्रखंड–गड़खा, जिला–सारण (छपरा)	400000.00

B.K

3	नवादा	पत्रांक–890 दिनांक–15.03.2021	स्व० राजेश कुमार, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी ननौरा, प्रखंड–नारदीगंज, जिला–नवादा	400000.00
4	औरंगाबाद	पत्रांक–780 दिनांक–26.03.2021	स्व० बागेश्वरी शर्मा, न्यायमित्र, ग्राम कचहरी–बेरका, प्रखंड–गोह, जिला–औरंगाबाद	400000.00
		कुल		**1600000.00**

सोलह लाख रूपये मात्र

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय के अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष '0010.37.01 अनुग्रह अनुदान" से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515001980010** है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित **जिला पदाधिकारी,** होंगे जो राशि की निकासी संबंधित **जिला कोषागार** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

5. **इस आवंटित राशि की संबधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515001980010) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जॉच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020 के पृष्ठ संख्या 20/टि० पर दिनांक 28/06/2021 को प्राप्त है।

औरंगाबाद

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
30/06/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/1820 पं०रा० पटना, दिनांक 30/6/20
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/06/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/1821 पं०रा० पटना, दिनांक 30/6/20
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/06/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्र संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/1703 पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 30/6/2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 12(स्वी०) दिनांक 14.06.2021 के आलोक में कुल ₹11,48,58,000.00 (ग्यारह करोड़ अड़तालीस लाख अट्ठावन हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 12(स्वी०) दिनांक 14.06.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु संविदा/मानदेय के आधार पर नियोजित तकनीकी सहायकों के मानदेय का भुगतान हेतु ₹27,000.00 (सत्ताईस हजार रूपये) मात्र प्रति माह के अनुमान्य दर से कुल तीन माह के लिए उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक–'क' के अनुरूप कुल ₹11,48,58,000.00 (ग्यारह करोड़ अड़तालीस लाख अट्ठावन हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश स्वीकृत्यादेश संख्या 12(स्वी०) दिनांक 14.06.2021 के साथ संलग्न अनुलग्नक–'क' के अनुरूप कुल ₹11,48,58,000.00 (ग्यारह करोड़ अड़तालीस लाख अट्ठावन हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 अंतर्गत निम्नरूपेण की जायेगी:–

क्र०	बजट शीर्ष	राशि (रूपये में)
	(क) केन्द्रांश	
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0215.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980215	43915000.00
2	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0214–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0214.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515007890214	20000000.00

3	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0220–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0220.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515007960220	5000000.00
कुल		**68915000.00**
(ख) राज्यांश		
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0315–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0315.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980315	32519000.00
2	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0314–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0314.31.06–सहायकअनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड–16–2515007890314	11724000.00
3	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0320–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0320.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515007960320	1700000.00
कुल		**45943000.00**
सकल योग (क+ख)		**114858000.00**

ग्यारह करोड़ अड़तालीस लाख अट्ठावन हजार रूपये मात्र

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होगें, जो CFMSके माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी करते हुए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान से संबंधित विभागीय खाता संख्या–37804658816, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्रैया भवन, बेली रोड, पटना–15) में अंतरित करते हुए विभागीय स्वीकृत्यादेश स्वीकृत्यादेश संख्या 12(स्वी०) दिनांक 14.06.2021 के साथ संलग्न अनुलग्नक–'क' के अनुरूप PFMS के माध्यम से संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय के बैंक खाता में राशि अंतरित करेगें। जिला पंचायत राज पदाधिकारी PFMS के माध्यम से राशि व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7 इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड,

विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020 के पृष्ठ संख्या 32/टि० पर दिनांक 29.06.2021 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

30/06/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/1903 पं०रा०पटना, दिनांक 30/6/20

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय विकास भवन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06(लेखा) एवं 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/06/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/1904 पं०रा०पटना, दिनांक 30/6/2

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/06/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्र संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/ 20(3/18) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 1/7/2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15(स्वी०) दिनांक 22.06.2021 के आलोक में कुल ₹4,20,00,000.00(चार करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15(स्वी०) दिनांक 22.06.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत संस्थागत अधोसंरचना के रख रखाव इकाई (Institutional Infrastructure, Recurring Cost Component) के अधीन राज्य पंचायत संस्था के रूप में पुनर्गठित बिहार ग्राम स्वराज अभियान योजना सोसाईटी के कर्मियों, जो राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में संविदा पर नियोजित हैं, के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹4,20,00,000.00 (चार करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹4,20,00,000.00 (चार करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 अंतर्गत निम्नरूपेण की जायेगी:–

क्र० –	बजट शीर्ष	राशि (रूपये में)
	(क) केन्द्रांश	
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0215.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980215	2,00,00,000.00
2	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0214–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0214.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515007890214	52,00,000.00
	कुल	2,52,00,000.00

(ख) राज्यांश		
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0315–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0315.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980315	1,00,00,000.00
2	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0314–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0314.31.06–सहायकअनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड–16–2515007890314	68,00,000.00
कुल		1,68,00,000.00
सकल योग (क+ख)		4,20,00,000.00

चार करोड़ बीस लाख रूपये मात्र

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होगें, जो CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से संबंधित विभागीय खाता संख्या–37804658816, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्रैया भवन, बेली रोड, पटना–15) में करेगें एवं राशि "बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी, पटना" को उनके बैंक खाता संख्या–0352101044099, IFSC-CNRB0000352 में PFMS के माध्यम से अंतरित करेगें। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी, पटना द्वारा उपर्युक्त राशि को PFMS के माध्यम से नियमानुसार व्यय किया जायेगा तथा व्ययोपरांत पंचायती राज मंत्रालय के विहित प्रपत्र (GFR-19A एवं BTC-42 A) में विभाग को अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7 इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020 के पृष्ठ संख्या...../टि० पर दिनांक..... को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

1/07/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/2036 पं०रा०पटना, दिनांक 1/7/2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय विकास भवन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06(लेखा) एवं 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/07/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/2037 पं०रा०पटना, दिनांक 1/7/20

प्रतिलिपिः परियोजना निदेशक, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/07/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/2038 पं०रा०पटना, दिनांक 1/7/2

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/07/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

29/6

B.ic

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/ 21 (अति)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 7/7/2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की तैयारी/व्यवस्था के लिए कुल **₹5,00,00,000.00 (पाँच करोड़ रूपये) मात्र** की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.13.01–कार्यालय व्यय"** इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का यह दायित्त्व होगा की क्रय की गई सामग्रियों के संरक्षण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें ताकि भविष्य में इनका उपयोग पंचायत चुनावों के लिए किया जा सके।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\Estb & Commt Exp\Election\Letter.docx

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 के पृष्ठ संख्या 03/टि० पर दिनांक 07.07.21 को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

7/7/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/2(318) पं०रा० पटना, दिनांक 7/7

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/7/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/2(319) पं०रा० पटना, दिनांक 7/7

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/7/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक: 5प / राज्य स्कीम–02–03 / 2021 / 2263 पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
नालन्दा, दरभंगा, कैमूर, बक्सर, गया, मुंगेर,
समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, औरंगाबाद,
जमुई, अरवल, जहानाबाद, नवादा, गोपालगंज,
सारण, वैशाली एवं सीतामढ़ी।

पटना दिनांक: 12.07.20

विषय: **वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10(स्वी०) दिनांक 31.05.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹21,31,30,117.00 रूपये (इक्कीस करोड़ इकतीस लाख तीस हजार एक सौ सत्तरह रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश 10(स्वी०) दिनांक 31.05.2021 द्वारा राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के प्रभावी अनुश्रवण के लिए IOT Device अधिष्ठापन हेतु **कुल ₹21,31,30,117.00 रूपये (इक्कीस करोड़ इकतीस लाख तीस हजार एक सौ सत्तरह रूपये) मात्र** की राशि स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक 'क' के अनुरूप 18 (अठारह) जिलों को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹21,31,30,117.00 रूपये **(इक्कीस करोड़ इकतीस लाख तीस हजार एक सौ सत्तरह रूपये) मात्र** की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	नालंदा	2467900.00
2	दरभंगा	34494720.00
3	कैमूर	5797754.00
4	बक्सर	3602572.00
5	गया	14586418.00
6	मुंगेर	4254339.00
7	समस्तीपुर	20164962.00
8	पूर्वी चम्पारण	31832360.00
9	शिवहर	2778448.00

10	औरंगाबाद	1806938.00
11	जमुई	1807000.00
12	अरवल	5356000.00
13	जहानाबाद	6080156.00
14	नवादा	6780150.00
15	गोपालगंज	7861533.00
16	सारण	18676939.00
17	वैशाली	10409600.00
18	सीतामढ़ी	2684928.00
	कुल	213130117.00

इक्कीस करोड़ इकतीस लाख तीस हजार एक सौ सत्तरह रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष–2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना" मद के "विषय शीर्ष 0113.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2021–22 में की जायेगी। वित्त कोड- 16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाली विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या: 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 के पृष्ठ संख्या 25/टि० पर दिनांक08.07.21को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
12/7/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/2270पं०रा० पटना, दिनांक 12.07.20
प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12/7/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/2269पं०रा० पटना, दिनांक 12.07.20
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
12/7/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 (खण्ड)/4313 पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव सह निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 12.07.20

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 17(स्वी०) दिनांक 29.06.2021 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹3,20,00,000.00 करोड़ (तीन करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु **कुल ₹3,20,00,000.00 करोड़ (तीन करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र की राशि** उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न 'विवरणी A' के अनुसार पटना जिला के कुल 2 (इक्कीस) ग्राम पंचायतों को अंतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹3,20,00,000.00 करोड़ (तीन करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0119–मुख्यमंत्री निश्चय योजना" मद के "विषय शीर्ष–0119.31.05–सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2021–22 में की जायेगी। इसका मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड– 16-2515007960119 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो CFMS के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 17(स्वी०) दिनांक 29.06.2021 के साथ संलग्न 'विवरणी A' के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS Portal के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 1 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या: 5प/राज्य स्कीम 02 03/2021 (खण्ड) के पृष्ठ संख्या 03/टि० पर दिनांक 8.07.21 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी) 12/07/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 (खण्ड)/2330 पं०रा० पटना, दिनांक 12.07.21

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ज़िला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी) 12/07/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 (खण्ड)/2330 पं०रा० पटना, दिनांक 12.07.21

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी) 12/07/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/2437 पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक 12.07.20

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 14(स्वी०) दिनांक 22.06.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹32,28,629.00 (बत्तीस लाख अठाईस हजार छः सौ उनत्तीस रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 14(स्वी०) दिनांक 22.06.2021 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना से संबंधित विषयों की उपलब्धि की पारदर्शिता, सग्रहण एवं आम जनों की इसकी जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु NIC पटना द्वारा विकसित "पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल" के सुचारू अनुरक्षण, अनुश्रवण एवं उचित IMIS प्रबंधन हेतु NICSI द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले छह मानवबल के मानदेय भुगतान हेतु **₹5,88,051.00 + ₹10,07,343.00 + ₹16,33,235.00 अर्थात कुल ₹32,28,629.00 (बत्तीस लाख अठाईस हजार छः सौ उनत्तीस रूपये) मात्र** की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹32,28,629.00 (बत्तीस लाख अठाईस हजार छः सौ उनत्तीस रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो NICSI द्वारा प्राप्त विपत्र के अनुसार इस आवंटित राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करते हुए CFMS के माध्यम से बैंक खाता संख्या 032201002813 IFSC Code-ICIC0000322 में उपलब्ध करायेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0102.28.02–संविदा सेवाएँ' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16–2515000010102 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Scheme\16-2515000010102\Letter.docx

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-11/2017 के पृष्ठ संख्या 83/टि० पर दिनांक 07.07.2021 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः- यथा उपर्युक्त।

12/07/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-11/2017/2417 प०रा० पटना, दिनांक 12.07.2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03/लेखापाल/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/07/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-11/2017/2417 प०रा० पटना, दिनांक 12.07.2021

प्रतिलिपिः NICSI को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/07/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-11/2017/2417 प०रा० पटना, दिनांक 12.07.2021

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/07/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्र संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-03/2020/25(3नं)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव-सह
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13.07.2021

विषय : **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 16(स्वी०) दिनांक 22.06.2021 के आलोक में कुल ₹18,68,00,000.00(अट्ठारह करोड़ अड़सठ लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 16(स्वी०) दिनांक 22.06.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 80 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹16,00,00,000.00(सोलह करोड़ रूपये) मात्र एवं 67 कम्प्यूटराईज्ड सेवा केन्द्र (CSC Co-Location) के निर्माण हेतु कुल ₹2,68,00,000.00(दो करोड़ अड़सठ लाख रूपये) मात्र अर्थात **कुल ₹18,68,00,000.00(अट्ठारह करोड़ अड़सठ लाख रूपये) मात्र** की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-1(क) के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत कुल ₹18,68,00,000.00 (अट्ठारह करोड़ अड़सठ लाख रूपये) मात्र की राशि की निकासी हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-16 अंतर्गत निम्नरूपेण आवंटित की जायेगी।

राशि लाख रूपये में

क्र०	बजट शीर्ष	पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु राशि	सेवा केन्द्र (CSC) कक्ष निर्माण हेतु राशि (रूपया में)	कुल आवंटित राशि
	(क) केन्द्रांश			
1	मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष 00-लघु शीर्ष 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-0215-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष 0215.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन विपत्र कोड 16 2515001980215	860.00	127.50	987.50
2	मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0214-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष-0214.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन विपत्र कोड 16-2515007890214	100.00	33.30	133.30
	कुल	**960.00**	**160.80**	**1120.80**

	(ख) राज्यांश			
1	मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता 0315 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0315.31. 06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980315	558.00	107.20	**665.20**
2	मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0314 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष 0314.31. 06 सहायकअनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड 16–2515007890314	82.00	0.00	82.00
	कुल	**640.00**	**107.20**	**747.20**
	सकल योग (क+ख)	**1600.00**	**268.00**	**1868.00**

अट्ठारह करोड़ अड़सठ लाख रूपये मात्र

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होगें, जो CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान से संबंधित विभागीय खाता संख्या–37804658816, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना 15) में करेगें एवं संलग्न अनुलग्नक 1(क) के अनुरूप PFMS के माध्यम से संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय के बैंक खाता में राशि अंतरित करेगें। जिला पंचायत राज पदाधिकारी PFMS के माध्यम से राशि संबंधित ग्राम पंचायत को खाते में हस्तान्तरित करते हुए व्यय कराना सुनिश्चित करेगें।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-03/2020 के पृष्ठ संख्या 37/टि० पर दिनांक 13.07.2021 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

13/07/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम-02-03/2020/2537 पं०रा०पटना, दिनांक 13.07.2021

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय विकास भवन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06(लेखा) एवं 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/07/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम-02-03/2020/2538 पं०रा०पटना, दिनांक 13.07.2021

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/07/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021/26 (3110) पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रभारी प्रचार्य
जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान,
गया।

पटना, दिनांक 13.07.20

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु कुल **₹30,28,000.00 (तीस लाख अट्ठाईस हजार रूपये) मात्र की राशि** निम्नरूपेण प्रकार आवंटित की जाती है :–

राशि रूपया

संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन						किराया महसूल एवं कर 0001.14.01	कुल योग
		वेतन 0001.01.01	जी० या० भत्ता 0001.01.03	मकान भत्ता 0001.01.04	प० भत्ता 0001.01.05	चि० भत्ता 0001.01.06	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, गया	प्रभारी प्राचार्य, गया	2300000	414000	184000	10000	10000	2918000	110000	₹ 302

(तीस लाख अट्ठाईस हजार रूपये) मात्र की

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया रहा है।

3. इस आवंटित राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पंचायत राज प्रशि संस्थान, गया के प्रभारी प्रचार्य होंगे,** जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करेगें

4. **सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपाल एवं बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है।**

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचि

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी अगले माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021 के पृष्ठ संख्या 08/टि० पर दिनांक 09.07.21 को प्राप्त है।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000030001 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी) 13/07/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021/2113 पं०रा० पटना, दिनांक 13.07.2021

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी) 13/07/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं-प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021/2114 पं०रा० पटना, दिनांक 13.07.2021

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी) 13/07/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक: 54 / राज्य स्कीम 02 03 / 2021 / 27 (3) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव सह निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक: 02.07.2021

विषय: विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 18(स्वी०) दिनांक 07.07.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹12,39,000.00 (बारह लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021 22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 18(स्वी०) दिनांक 07.07.2021 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं पंचायत सरकार भवन के निर्माण कराये जाने से संबंधित फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाये जाने से संबंधित बकाया विपत्र के भुगतान हेतु कुल **₹12,39,000.00 (बारह लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र की** राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021 22 में कुल ₹12,39,000.00 (बारह लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0113 मुख्यमंत्री निश्चय योजना" मद के "विषय शीर्ष 0113.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2021 22 में की जायेगी। विपत्र कोड 16.2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो CFMS के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करते हुए CFMS के माध्यम से आर्ट एण्ड वर्क्स के खाता संख्या 387010200003896 में राशि अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05 / 98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र / वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संचित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं भाग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम 02 03/2021 (खण्ड) के पृष्ठ संख्या 2[illegible]/टि० पर दिनांक 21.07.2021 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम 02 03/2021/2[illegible] पं०रा० पटना, दिनांक 22.07.2021
प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 03, 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम 02 03/2021/2[illegible] पं०रा० पटना, दिनांक 22.07.2021
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक: 54 / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 09 / 2017 / 2380 पo/रा०

अत्यावश्यक
ई मेल / फैक्स

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

रांची जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 23.07.21

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 19(स्वी०) दिनांक 14.07.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹66,00,00,000.00 (छियाराठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 19(स्वी०) दिनांक 14.07.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 22 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय के भुगतान हेतु ₹6,000.00 (छह हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से **₹32,03,34,000.00 (बत्तीस करोड़ तीन लाख चौंतीस हजार रूपये) मात्र** एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस के भुगतान हेतु ₹7,000.00 (सात हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से **₹33,96,66,000.00 (तैंतीस करोड़ छियानवें लाख छियासठ हजार रूपये) मात्र** अर्थात कुल **₹66,00,00,000.00 (छियाराठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय तथा ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021 22 में कुल **₹66,00,00,000.00 (छियाराठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि** निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	जिला	ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय के भुगतान हेतु आवंटित राशि	ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियत फीस के भुगतान हेतु आवंटित राशि	कुल (3+4)
1	2	3	4	5
1	बक्सर	4998000.00	5684000.00	10682000.00
2	रोहतास	9492000.00	9898000.00	19390000.00
3	भोजपुर	8694000.00	9506000.00	18200000.00
4	नालन्दा	8274000.00	8771000.00	17045000.00
5	पटना	13692000.00	15190000.00	28882000.00
6	कैमूर	5712000.00	6664000.00	12376000.00
7	गया	12180000.00	14014000.00	26194000.00
8	नवादा	6972000.00	7595000.00	14567000.00
9	औरंगाबाद	8568000.00	9996000.00	18564000.00
10	जहानाबाद	3612000.00	3871000.00	7483000.00
11	अरवल	2604000.00	1666000.00	4270000.00

12	सारण	13314000.00	14112000.00	**27426000.00**
13	सीवान	11340000.00	12691000.00	**24031000.00**
14	गोपालगंज	9366000.00	9408000.00	**18774000.00**
15	मुजफ्फरपुर	13692000.00	11760000.00	**25452000.00**
16	वैशाली	11508000.00	11858000.00	**23366000.00**
17	पू० चम्पारण	14070000.00	13720000.00	**27790000.00**
18	प० चम्पारण	12264000.00	13720000.00	**25984000.00**
19	सीतामढी	10878000.00	10045000.00	**20923000.00**
20	शेवहर	2226000.00	2499000.00	**4725000.00**
21	मागलपुर	8862000.00	9653000.00	**18515000.00**
22	बांका	7518000.00	8624000.00	**16142000.00**
23	मधुबनी	14154000.00	12593000.00	**26747000.00**
24	समस्तीपुर	14826000.00	15190000.00	**30016000.00**
25	दरभगा	11508000.00	13916000.00	**25424000.00**
26	सहरसा	5670000.00	5831000.00	**11501000.00**
27	मधेपुरा	6174000.00	7301000.00	**13475000.00**
28	सुपौल	6762000.00	6566000.00	**13328000.00**
29	पूर्णिया	8694000.00	10043000.00	**18737000.00**
30	अररिया	7518000.00	7742000.00	**15260000.00**
31	किशनगंज	4830000.00	5047000.00	**9877000.00**
32	कटिहार	9534000.00	9947000.00	**19481000.00**
33	मुगेर	4242000.00	4949000.00	**9191000.00**
34	जमुई	6132000.00	7105000.00	**13237000.00**
35	बेगुसराय	10458000.00	11662000.00	**22120000.00**
36	खगडिया	4914000.00	5782000.00	**10696000.00**
37	लखीसराय	2940000.00	2499000.00	**5439000.00**
38	शेखपुरा	2142000.00	2548000.00	**4690000.00**
	कुल राशि	**320334000.00**	**339666000.00**	**660000000.00**

(छियासठ करोड़ रूपये) मात्र

3. इस राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्यशीर्ष 00 लघुशीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0010 ग्राम कचहरी की विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष 0010 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन इकाई से की जायेगी। इसकी मॉ० संख्या 16 एवं चित्र कोड 16 2515001980010 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05/98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग वित्तीय राज्यादेश संख्या 19(स्वी०) दिनांक 14.07.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

6. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

7 कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण सामुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन सचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 09/2017 के पृष्ठ संख्या 21 /टि० पर दिनांक 21.7.2021 को प्राप्त है।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वास/भाजन
21/07/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 09/2017 /2870/प०रा० पटना, दिनांक 23.07.

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा 08 एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/07/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 09/2017/[illegible] पटना, दिनांक 23.07.20

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्याण कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक: 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 01 / 2021 / 29 Dec पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, नवादा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा।
प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं दरभंगा।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, गया, वैशाली, भागलपुर, मधेपुरा, पश्चिमी चम्पारण, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी, कटिहार एवं अररिया।

पटना, दिनांक 29.07.21

विषय : **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष 00 लघुशीर्ष 001–निदेशन एवं प्रशासन उपशीर्ष 0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी अनुलग्नक 'क' के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹2,58,62,000.00 (दो करोड़ अट्ठावन लाख बासठ हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटित राशि से नियमानुसार बकाये का भुगतान किया जा सकेगा।

4. यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार / जिला कोषागार से की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण सुचारू ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. **आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।**

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन सचिका संख्या 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 01/2021 के पृष्ठ संख्या 12/टि० पर दिनांक 22.07.21 को प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सापेक्ष पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16 2515000010003** है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 01/2021/2736 पं०रा० पटना, दिनांक 29.07.21
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सापेक्ष संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 01/2021/2737 पं०रा० पटना, दिनांक 29.07.21
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से 'मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 001 निदेशन एवं प्रशासन उपशीर्ष 0003–जिला पंचायत की स्थापना' अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) विवरणी।

अनुलग्नक : 'क'

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	यात्रा व्यय 0003.11.01	विद्युत प्रभार 0003.13.04	वर्दी / पोशाक 0003.13.06	सविदा सेवाएँ 0003.28.02		योग
1	2	3	4	5	6		7
	उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु						
1	उप विकास आयुक्त, नवादा				437000	₹	437000.00
2	उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर			5000	100000	₹	105000.00
3	उप विकास आयुक्त, सहरसा				390000	₹	390000.00
	कुल	0	0	5000	927000	₹	932000.00
	प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु						
4	उप निदेशक, पचायत राज, मुजफ्फरपुर		300000	25000		₹	325000.00
5	उप निदेशक, पचायत राज, सहरसा	10000		5000		₹	15000.00
6	उप निदेशक, पचायत राज, दरभंगा	10000			300000	₹	310000.00
	कुल	20000	300000	30000	300000	₹	650000.00
	जिला पचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु						
7	जिला पचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर		10000			₹	10000.00
8	जिला पचायत राज पदाधिकारी, गया				300000	₹	300000.00
9	जिला पचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	10000				₹	10000.00
10	जिला पचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	15000		15000	820000	₹	850000.00
11	जिला पचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा			5000		₹	5000.00
12	जिला पचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया		120000			₹	120000.00
13	जिला पचायत राज पदाधिकारी, कटिहार				1000000	₹	1000000.00
	कुल	25000	130000	20000	2120000	₹	2295000.00
	प्रखंड पचायत राज पदाधिकारी, पचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु						
14	जिला पचायत राज पदाधिकारी, बक्सर				1500000	₹	1500000.00
15	जिला पचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर				485000	₹	485000.00
16	जिला पचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा				3000000	₹	3000000.00
17	जिला पचायत राज पदाधिकारी, वैशाली				3000000	₹	3000000.00
18	जिला पचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण				3000000	₹	3000000.00
19	जिला पचायत राज पदाधिकारी, सहरसा				3000000	₹	3000000.00
20	जिला पचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी				3000000	₹	3000000.00
21	जिला पचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया				2000000	₹	2000000.00
22	जिला पचायत राज पदाधिकारी, अररिया				3000000	₹	3000000.00
	कुल	0	0	0	21985000	₹	21985000.00
	सकल कुल	45000	430000	55000	25332000	₹	25862000.00

(दो करोड़ अट्ठावन लाख बासठ हजार रूपये) मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020/30(अति)पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशासी पदाधिकारी–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12/8/

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मु शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–निर्वाचन आयो उपशीर्ष–0001–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)" मद में राशि का आवंट

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु व ₹2,60,71,000.00 (दो करोड़ साठ लाख इकहत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि निम्नरू आवंटित की जाती है:–

राशि रूपय

क्र०	विषय शीर्ष	आवंटित की जा रही राशि की विवरणी	
1	2	3	
1	0001.01.01 – वेतन	₹ 14480000.00	(एक करोड़ चौवालीस लाख अस्सी हजार रूपय मात्र
2	0001.01.03 – जीवन यापन भत्ता	₹ 4350000.00	(तेतालीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र
3	0001.01.04 – मकान किराया भत्ता	₹ 2316000.00	(तेईस लाख सोलह हजार रूपये) मात्र
4	0001.01.05 – परिवहन भत्ता	₹ 560000.00	(पाँच लाख साठ हजार रूपये) मात्र
5	0001.01.06 – चिकित्सा भत्ता	₹ 195000.00	(एक लाख पचानवें हजार रूपये) मात्र
6	0001.01.07 – अन्य भत्ता	₹ 49000.00	(उनचास हजार रूपये) मात्र
7	0001.06.01 – चिकित्सा प्रतिपूर्ति	₹ 335000.00	(तीन लाख पैंतीस हजार रूपये) मात्र
8	0001.13.04 – विद्युत प्रभार	₹ 335000.00	(तीन लाख पैंतीस हजार रूपये) मात्र
9	0001.14.01 – किराया महसूल एवं कर	₹ 1106000.00	(ग्यारह लाख छः हजार रूपये) मात्र
10	0001.28.02 – संविदा सेवायें	₹ 2345000.00	(तेईस लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र
कुल योग :–		₹ 26071000.00	(दो करोड़ साठ लाख इकहत्तर हजार रूपये मात्र

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रै 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. आवंटित की जा रही राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशास पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना हों इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

(69)

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम-02-03/2021/31(316)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी सह
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 12/8/2021

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 20(स्वी०) दिनांक 05.08.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹10,50,20,000.00 (दस करोड़ पचास लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 20(स्वी०) दिनांक 05.08.2021 द्वारा "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु **कुल ₹10,50,20,000.00 (दस करोड़ पचास लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि** स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न 'विवरणी–A' के अनुसार सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं कैमूर जिले के कुल 57 ग्राम पंचायतों को CFMS के माध्यम से अंतरित कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं इसके साथ संलग्न 'विवरणी–A' के अनुसार **कुल ₹10,50,20,000.00 (दस करोड़ पचास लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि** निम्नरूपेण आवंटित की जाती हैः–

क्र०	जिला का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	आवंटित राशि
1	सीतामढ़ी	12	14798500.00
2	मुजफ्फरपुर	22	54685200.00
3	मधुबनी	17	29011300.00
4	कैमूर	6	6525000.00
कुल		**57**	**105020000.00**

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 20(स्वी०) दिनांक 05.08.2021 द्वारा** के साथ संलग्न 'विवरणी–A' के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS Portal के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। भवदीय,

(68)

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता,.2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम-02-03/2021 के पृष्ठ संख्या ...../टि० पर दिनांक .....को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी) 12/8/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम-02-13/2021/31(310)/पं०रा० पटना, दिनांक 12/8/2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी) 12/8/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम-02-03/2021/31(310)/पं०रा० पटना, दिनांक 12/8/20

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी) 12/8/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/326 पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिमी चम्पारण, बेतिया।

पटना, दिनांक 27/08/2021

विषय : स्व० स्नेहा कुमारी, पति–सुरेश कुमार गुप्ता, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी–उत्तरी पटजिरवा, प्रखण्ड–बैरिया, जिला–पश्चिमी चम्पारण, बेतिया की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया का पत्रांक 82 दिनांक 08.04.2021 द्वारा स्व० स्नेहा कुमारी, पति–सुरेश कुमार गुप्ता, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी–उत्तरी पटजिरवा, प्रखण्ड–बैरिया, जिला–पश्चिमी चम्पारण, बेतिया की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय आदेश संख्या 216 दिनांक 11.11.2019 एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया का पत्रांक 82 दिनांक 08.04.2021 के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी,** पश्चिमी चम्पारण, बेतिया होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार,** पश्चिमी चम्पारण, बेतिया से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. **इस आवंटित राशि की संबधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515001980010) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष '0010.37.01–अनुग्रह अनुदान" से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515001980010** है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020 के पृष्ठ संख्या 25/टि० पर दिनांक 23/08/2021 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

26/08/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020/3269 पं०रा० पटना, दिनांक 27.08.2021
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया/ प्रभारी पदाधिकारी-08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020/3270 पं०रा० पटना, दिनांक 27.08.2021
.....प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/08/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्र संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-03/2020/33 Bmp/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी 8 सह
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 27.08.2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 21(स्वी०) दिनांक 12.08.2021 के आलोक में कुल ₹11,52,00,000.00 (ग्यारह करोड़ बावन लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 23 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु ₹4,60,00,000.00 (चार करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र एवं 173 सेवा केन्द्र (CSC Co-Location) के निर्माण हेतु ₹6,92,00,000.00 (छह करोड़ बानवें लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹11,52,00,000.00 (ग्यारह करोड़ बावन लाख रूपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-1(क) के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत कुल ₹11,52,00,000.00 (ग्यारह करोड़ बावन लाख रूपये) मात्र की राशि की निकासी हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-16 अंतर्गत निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:-

राशि लाख रूपये में

क्र०	बजट शीर्ष	पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु राशि	सेवा केन्द्र (CSC) कक्ष निर्माण हेतु राशि (रूपया में)	कुल आवंटित राशि
	(क) केन्द्रांश			
1	मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता 0215 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष 0215.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन विपत्र कोड 16-2515001980215	266.65	188.00	454.65
2	मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0214 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष 0214.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन विपत्र कोड 16-2515007890214	13.00	0.00	13.00
	कुल	279.65	188.00	467.65

	(ख) राज्यांश			
3	मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-0315-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष- 0315.31.06-सहायक अनुदान-गैर-वेतन। विपत्र कोड - 16 -2515001980315	174.99	250.00	424.99
4	मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0314-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष-0314.31.06-सहायकअनुदान-गैर-वेतन विपत्र कोड- 16-2515007890314	0.00	250.00	250.00
5	मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातिये क्षेत्र उप योजना-0320-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष-0320.31.06-सहायक अनुदान-गैर-वेतन विपत्र कोड- 16-2515007960320	5.36	4.00	9.36
	कुल	**180.35**	**504.00**	**684.35**
	सकल योग (क+ख)	**460.00**	**692.00**	**1152.00**

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी 8, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होगें, जो CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान से संबंधित, विभागीय खाता संख्या- 37804658816, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना 15) में करेगें एवं संलग्न अनुलग्नक-1(क) के अनुरूप PFMS के माध्यम से संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय के बैंक खाता में राशि अंतरित करेगें। जिला पंचायत राज पदाधिकारी PFMS के माध्यम से राशि संबंधित ग्राम पंचायत को खाते में हस्तान्तरित करते हुए व्यय कराना सुनिश्चित करेगें।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4 05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-03/2020 के पृष्ठ संख्या 45/टि० पर दिनांक 27.08.2021 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
27/08/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम 02-03/2020/3360 पं०रा०पटना, दिनांक 27.08.21

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय विकास भवन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06(लेखा) एवं 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/08/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम-02-03/2020/3361 पं०रा०पटना, दिनांक 27.08.21

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/08/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/3453 पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

पटना, दिनांक 27/08/2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं **ग्राम पंचायत सदस्य** तथा ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं ग्राम **कचहरी सदस्य (पंच)** को निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का स्वीकृति प्राधिकार संबंधित जिला पदाधिकारी को बनाया गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 1060 दिनांक 30.07.2021 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के अनुरूप कुल ₹10,00,000.00 (दस लाख रूपये) निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपया में

क्र०	अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने वाले की विवरण	अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि
1	स्व० पवन यादव, पे०–नन्हकु यादव, ग्राम कचहरी सदस्य, वार्ड संख्या–14, ग्राम–संसारपुर, पो०+थाना–गिद्धौर, प्रखण्ड–गिद्धौर, जिला–जमुई	500000.00
3	स्व० बबलू कुमार, वार्ड सदस्य, वार्ड संख्या–13, ग्राम पंचायत राज–खैरा, प्रखण्ड–खैरा, जिला–जमुई	500000.00
सकल योग		**1000000.00**

दस लाख रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, जमुई** होंगें जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, जमुई** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. **इस आवंटित राशि की संबधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\P 2515000010101\Letter.docx

6. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010101 है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 के पृष्ठ संख्या 160/टि० पर दिनांक 25/08/2021 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/3463 पं०रा०, पटना, दिनांक 27/08/2021

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/उप विकास आयुक्त–सह –मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला कोषागार पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/3464 पं०रा०, पटना, दिनांक 27/08/2021

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(90)

पत्रांक: 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय--01--07 / 2021 / 35 Bny पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी--सह--
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31.08.20

विषय : वित्तीय वर्ष 2021--22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 23(स्वी०) दिनांक 31.08.2021 द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को "मुख्य शीर्ष--2015--निर्वाचन--उपमुख्य शीर्ष--00--लघुशीर्ष--109-- पंचायतों / स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार--उपशीर्ष--0002--जिला परिषदों / पंचायत समितियों / ग्राम पंचायतों का चुनाव" के "0002.13.01--कार्यालय व्यय" इकाई में **कुल ₹1,09,00,00,000.00 (एक अरब नौ करोड़ रूपये) मात्र** की राशि की स्वीकृति प्रदान गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021--22 में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को **कुल ₹1,09,00,00,000.00 (एक अरब नौ करोड़ रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

3. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16--2015001090002** है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी--सह--निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम--4--05 / 98--2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का यह दायित्व होगा की क्रय की गई सामग्रियों के संरक्षण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें ताकि भविष्य में इनका उपयोग पंचायत चुनावों के लिए किया जा सके।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र

(2)

89

कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 के पृष्ठ संख्या 12/टि० पर दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त है।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

31/08/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/3553 सं०रा० पटना, दिनांक 31.08.21

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/08/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/3554 सं०रा० पटना, दिनांक 31.08.21

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/08/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

(88)

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय--01--07/2021/36 Bhoj/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), बिहार।

पटना, दिनांक 31.08.2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 23(स्वी०) दिनांक 31.08.2021 द्वारा सभी संबंधित जिलों को बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" के "0002.11.01–यात्रा व्यय" मद में उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी Annexure-A के अनुरूप **कुल ₹42,46,28,751.00 (बयालीस करोड़ छियालीस लाख अठाईस हजार सात सौ इक्यावन रूपये) मात्र तथा** "0002.13.01–कार्यालय व्यय" मद में उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी Annexure-B के अनुरूप **कुल ₹13,88,97,000.00 (तेरह करोड़ अठासी लाख संतानबे हजार रूपया) मात्र** की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश एवं इसके साथ संलग्न जिलावार विवरणी के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त "0002.11.01–यात्रा व्यय" इकाई में **कुल ₹42,46,28,751.00 (बयालीस करोड़ छियालीस लाख अठाईस हजार सात सौ इक्यावन रूपये) मात्र तथा** "0002.13.01–कार्यालय व्यय" इकाई में **कुल ₹13,88,97,000.00 (तेरह करोड़ अठासी लाख संतानबे हजार रूपया) मात्र** की राशि को आवंटित की जाती है।

3. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002** है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **सभी संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)** होंगे। वे वित्तीय नियमों का अनुपानल करते हुए विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर ही भुगतान करेगें। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

आज्ञा से,

(87)

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी बिपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 के पृष्ठ संख्या 12/टि० पर दिनांक 31.08.21 को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

31/08/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/3.6.8.7/पं०रा० पटना, दिनांक 31.08.21

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

31/08/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/3.6.8.6/पं०रा० पटना, दिनांक 31.08.21

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

31/08/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/ 37(3110) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर एवं खगड़िया।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 03.09.2021

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹81,62,22,000.00 (इक्यासी करोड़ बासठ लाख बाईस हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना मद में आवंटित राशि से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत जिला अभियंता, यदि किसी जिला परिषद् में हैं, तो उनके वेतनादि का भुगतान भी इस आवंटित राशि से किया जायेगा।

4. विभागीय संकल्प संख्या 6020 दिनांक 30.09.2019 के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुलग्नक की कंडिका–80 में जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, वैशाली में पदस्थापित व्याख्याता/प्राचार्य के वेतनादि का भुगतान हेतु राशि आवंटित है।

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

6. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखासंधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 के पृष्ठ संख्या 18 टि० पर दिनांक 02.09.21 को प्राप्त है।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. **इसकी मांग संख्या 16 एवं वित्त कोड संख्या 16–2515000010003** है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथाउपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01–01/2021/3760 पं०रा०पटना, दिनांक 03.09.21
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथाउपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01–01/2021/3761 पं०रा० पटना, दिनांक 03.09.21
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतुप्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विक कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थाप अन्तर्गत व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) विवरणी।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन					योग
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
	उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु						
1	उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद	2100000.00	588000.00	180000.00	90000.00	30000.00	₹ 2988000
2	उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर	700000.00	196000.00	60000.00	30000.00	10000.00	₹ 996000
3	उप विकास आयुक्त, खगड़िया	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
	कुल	**6300000.00**	**1764000.00**	**540000.00**	**270000.00**	**90000.00**	₹ 8964000
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु						
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	2100000.00	588000.00	180000.00	90000.00	30000.00	₹ 2988000
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	2800000.00	784000.00	240000.00	120000.00	40000.00	₹ 3984000
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	2800000.00	784000.00	240000.00	120000.00	40000.00	₹ 3984000
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	3150000.00	882000.00	270000.00	135000.00	45000.00	₹ 4482000
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमुर	2100000.00	588000.00	180000.00	90000.00	30000.00	₹ 2988000
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	2800000.00	784000.00	240000.00	120000.00	40000.00	₹ 3984000
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	2100000.00	588000.00	180000.00	90000.00	30000.00	₹ 2988000
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	2800000.00	784000.00	240000.00	120000.00	40000.00	₹ 3984000
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	2100000.00	588000.00	180000.00	90000.00	30000.00	₹ 2988000
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	2100000.00	588000.00	180000.00	90000.00	30000.00	₹ 2988000
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	3850000.00	1078000.00	330000.00	165000.00	55000.00	₹ 5478000
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढी	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
25	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	2800000.00	784000.00	240000.00	120000.00	40000.00	₹ 3984000
26	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	2100000.00	588000.00	180000.00	90000.00	30000.00	₹ 2988000
27	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
28	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	3500000.00	980000.00	300000.00	150000.00	50000.00	₹ 4980000
29	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	3150000.00	882000.00	270000.00	135000.00	45000.00	₹ 4482000
30	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	2800000.00	784000.00	240000.00	120000.00	40000.00	₹ 3984000
31	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	2800000.00	784000.00	240000.00	120000.00	40000.00	₹ 3984000
32	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	2800000.00	784000.00	240000.00	120000.00	40000.00	₹ 3984000
33	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	2100000.00	588000.00	180000.00	90000.00	30000.00	₹ 2988000
34	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	2450000.00	686000.00	210000.00	105000.00	35000.00	₹ 3486000
35	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	2100000.00	588000.00	180000.00	90000.00	30000.00	₹ 2988000
36	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	2800000.00	784000.00	240000.00	120000.00	40000.00	₹ 3984000
37	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	2100000.00	588000.00	180000.00	90000.00	30000.00	₹ 2988000
38	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय	3150000.00	882000.00	270000.00	135000.00	45000.00	₹ 4482000
39	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	2800000.00	784000.00	240000.00	120000.00	40000.00	₹ 3984000
40	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	2100000.00	588000.00	180000.00	90000.00	30000.00	₹ 2988000
41	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	1750000.00	490000.00	150000.00	75000.00	25000.00	₹ 2490000
	कुल	**108500000.00**	**30380000.00**	**9300000.00**	**4650000.00**	**1550000.00**	₹ 154380000

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन					योग
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु						
42	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	10500000.00	2940000.00	900000.00	450000.00	150000.00	₹ 14940000.00
43	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	14000000.00	3920000.00	1200000.00	600000.00	200000.00	₹ 19920000.00
44	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	11900000.00	3332000.00	1020000.00	510000.00	170000.00	₹ 16932000.00
45	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	14000000.00	3920000.00	1200000.00	600000.00	200000.00	₹ 19920000.00
46	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	17500000.00	4900000.00	1500000.00	750000.00	250000.00	₹ 24900000.00
47	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर	10500000.00	2940000.00	900000.00	450000.00	150000.00	₹ 14940000.00
48	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	17500000.00	4900000.00	1500000.00	750000.00	250000.00	₹ 24900000.00
49	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भवादा	11900000.00	3332000.00	1020000.00	510000.00	170000.00	₹ 16932000.00
50	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	10500000.00	2940000.00	900000.00	450000.00	150000.00	₹ 14940000.00
51	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	7000000.00	1960000.00	600000.00	300000.00	100000.00	₹ 9960000.00
52	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	7000000.00	1960000.00	600000.00	300000.00	100000.00	₹ 9960000.00
53	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	17500000.00	4900000.00	1500000.00	750000.00	250000.00	₹ 24900000.00
54	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	14000000.00	3920000.00	1200000.00	600000.00	200000.00	₹ 19920000.00
55	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	11900000.00	3332000.00	1020000.00	510000.00	170000.00	₹ 16932000.00
56	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	14000000.00	3920000.00	1200000.00	600000.00	200000.00	₹ 19920000.00
57	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	14000000.00	3920000.00	1200000.00	600000.00	200000.00	₹ 19920000.00
58	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	17500000.00	4900000.00	1500000.00	750000.00	250000.00	₹ 24900000.00
59	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	17500000.00	4900000.00	1500000.00	750000.00	250000.00	₹ 24900000.00
60	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	14000000.00	3920000.00	1200000.00	600000.00	200000.00	₹ 19920000.00
61	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	7000000.00	1960000.00	600000.00	300000.00	100000.00	₹ 9960000.00
62	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	14000000.00	3920000.00	1200000.00	600000.00	200000.00	₹ 19920000.00
63	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	10500000.00	2940000.00	900000.00	450000.00	150000.00	₹ 14940000.00
64	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	17500000.00	4900000.00	1500000.00	750000.00	250000.00	₹ 24900000.00
65	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	17500000.00	4900000.00	1500000.00	750000.00	250000.00	₹ 24900000.00
66	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	14000000.00	3920000.00	1200000.00	600000.00	200000.00	₹ 19920000.00
67	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	8400000.00	2352000.00	720000.00	360000.00	120000.00	₹ 11952000.00
68	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	11900000.00	3332000.00	1020000.00	510000.00	170000.00	₹ 16932000.00
69	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	10500000.00	2940000.00	900000.00	450000.00	150000.00	₹ 14940000.00
70	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	11900000.00	3332000.00	1020000.00	510000.00	170000.00	₹ 16932000.00
71	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	8400000.00	2352000.00	720000.00	360000.00	120000.00	₹ 11952000.00
72	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	7000000.00	1960000.00	600000.00	300000.00	100000.00	₹ 9960000.00
73	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	14000000.00	3920000.00	1200000.00	600000.00	200000.00	₹ 19920000.00
74	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	8400000.00	2352000.00	720000.00	360000.00	120000.00	₹ 11952000.00
75	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	8400000.00	2352000.00	720000.00	360000.00	120000.00	₹ 11952000.00
76	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	14000000.00	3920000.00	1200000.00	600000.00	200000.00	₹ 19920000.00
77	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	7000000.00	1960000.00	600000.00	300000.00	100000.00	₹ 9960000.00
78	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	7000000.00	1960000.00	600000.00	300000.00	100000.00	₹ 9960000.00
79	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	7000000.00	1960000.00	600000.00	300000.00	100000.00	₹ 9960000.00
	कुल	**457100000.00**	**127988000.00**	**39180000.00**	**19590000.00**	**6530000.00**	₹ **650388000.00**
	जिला प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यालय में पदस्थापित व्याख्याता/प्रवाचक हेतु						
80	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	1750000.00	490000.00	150000.00	75000.00	25000.00	₹ 2490000.00
	कुल	**1750000.00**	**490000.00**	**150000.00**	**75000.00**	**25000.00**	₹ 2490000.00
	सकल योग	**573650000.00**	**160622000.00**	**49170000.00**	**24585000.00**	**8195000.00**	₹ **816222000.00**

(इक्यासी करोड़ बासठ लाख बाईस हजार रूपये) मात्र

(कल्पना कुमारी)
अवर सचिव एवं पदाधिकारी

(106)

पत्रांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/3883/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुजफ्फरपुर ।

पटना, दिनांक 03.09.2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान हेतु कुल 4,63,990.00 (चार लाख तिरेसठ हजार नौ सौ नब्बें रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान हेतु **कुल 4,63,990.00 (चार लाख तिरेसठ हजार नौ सौ नब्बें रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुजफ्फरपुर** होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.13.01–कार्यालय व्यय"** इकाई से किया जायेगा। **इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16–2015001090002 है।**

4. **यह राशि इस शर्त के साथ आवंटित की जाती है कि जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुजफ्फरपुर द्वारा लंबित विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए बकाया भुगतान करेगें।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\Estb & Commt Exp\Election\Letter

(A)

B.C

भगानाद

(49)

7. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 के पृष्ठ संख्या 17/टि० पर दिनांक 03./09/2021 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

03/09/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/3858 प्रा०रा० पटना, दिनांक 03.09.20

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर /सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/09/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/3858 प्रा०रा० पटना, दिनांक 03.09.2

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/09/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021/3763 पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, 08–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06.09.2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 25(स्वी०) दिनांक 06.09.2021 द्वारा 15वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से प्राप्त Tied अनुदान की प्रथम किस्त की स्वीकृत कुल ₹1112.70 करोड़ (ग्यारह अरब बारह करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 25(स्वी०) दिनांक 06.09.2021 द्वारा 15वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से प्राप्त Tied अनुदान की प्रथम किस्त की कुल ₹1112.70 करोड़ (ग्यारह अरब बारह करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि को ग्राम पंचायतों के लिए संलग्न विवरणी–1, पंचायत समितियों के लिए संलग्न विवरणी–2 एवं जिला परिषदों के लिए संलग्न विवरणी–3 के अनुरूप वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान गई है।

2. **उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में** कुल ₹1112.70 करोड़ (ग्यारह अरब बारह करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र **की राशि को वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के संबंधित बजट शीर्षों के अंतर्गत निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–**

राशि करोड़ में।

क्र०	PRIs	योजना शीर्ष	Tied Grant
i	ग्राम पंचायत	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष–0001.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980001	778.8900
ii	पंचायत समिति	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष– 0001.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड– 16–2515001970001	166.9050

iii	जिला परिषद	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0003–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष– 0003.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड– 16–2515001960003	166.9050
		कुलः (ग्यारह अरब बारह करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र	**1112.7000**

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी, 08–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से कर 15वें वित्त आयोग से संबंधित भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेसरैया भवन, बेली रोड शाखा, पटना–800015 में संधारित विभागीय बैंक खाता में अंतरित करते हुए PFMS Portal के माध्यम से इस स्वीकृत्यादेश के साथ ग्राम पंचायतों के लिए संलग्न विवरणी–1 (राज्य के सभी 8071 ग्राम पंचायतों), पंचायत समितियों के लिए संलग्न विवरणी–2 (राज्य के सभी 533 पंचायत समितियों) एवं जिला परिषदों के लिए संलग्न विवरणी–3 (राज्य के सभी 38 जिला परिषदों) के अनुरूप Tied अनुदान की राशि को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के संबंधित बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

4. **15वें वित्त आयोग योजना के क्रियान्वयन एवं राशि के व्यय के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश विभागीय राज्यादेश संख्या 14(रा०) दिनांक 16.06.2020 एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 15(2)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 14.07.2021 द्वारा संसूचित है। ग्राम पंचायतों को आवंटित Tied घटक की राशि में से पेयजल योजना का संधारण करना है। संबंधित सचिव, ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी होगी कि दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति संबंधी संकल्प 2935 दिनांक 22.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) के प्रावधानुसार अनुरक्षण अनुदान, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों को हस्तांतरित करेंगे। ग्राम पंचायत के खाते में राशि प्राप्त होते ही अनुरक्षण अनुदान की राशि हस्तांतरित कर दी जाये।**

5. इस आवंटित राशि का उपयोग राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए किया जा सकेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

सरकार

9. जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021 के पृष्ठ संख्या 04/ह० पर दिनांक 06.09.21 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–04/2021/3980 पं०रा० पटना, दिनांक 06.09.21
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी–03, 04, 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), 06 एवं 07, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–04/2021/3981 पं०रा० पटना, दिनांक 06.09.21
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/140(अ०)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), सहरसा ।

पटना, दिनांक 16/9/2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 26(स्वी०) दिनांक 10.09.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 26(स्वी०) दिनांक 10.09.2021 द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कर्त्तव्य के दौरान स्व० सुबोध कुमार, प्रखण्ड शिक्षक, मध्य विद्यालय, सौरबाजर, सहरसा की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रिता को ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला **पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), सहरसा** होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.37.01–अनुग्रह अनुदान"** इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–256 वि(२) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, सहरसा** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/प्राथमिक

इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 के पृष्ठ संख्या 13/टि० पर दिनांक 15/09/2021 को प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी) 16/09/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक :. 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/4078(10) पं०रा० पटना, दिनांक 16/9/21

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा/पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी) 16/09/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/4078(11) पं०रा० पटना, दिनांक 16/9/21

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी) 16/09/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
इ-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/411(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
खगडिया, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), नवादा, भागलपुर एवं अररिया।

पटना, दिनांक 16/9../2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया/**उप–मुखिया** एवं **ग्राम पंचायत सदस्य** तथा ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं ग्राम **कचहरी सदस्य (पंच)** को निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का स्वीकृति प्राधिकार संबंधित जिला पदाधिकारी को बनाया गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित किये जाने की अनुशंसा के आलोक में कुल ₹25,00,000.00 (पच्चीस लाख रूपये) निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपया में

क्र० स०	जिला का नाम	जिला पदाधिकारी की अुनशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने वाले की विवरण	अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि
1	खगड़िया	पत्रांक–1333 दिनांक–21.08.2021	स्व० सुधीर साहनी, उप सरपंच, ग्राम+पो०–कुल्हड़िया, थाना–परवत्ता, जिला–खगड़िया	500000.00
2	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	पत्रांक–185 दिनांक–18.06.2021	स्व०सुबोध कुमार साह, उप मुखिया, ग्राम पंचायत–दलपत विशुनपुर वार्ड संख्या–02, प्रखंड–ढ़ाका, जिला–पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	500000.00
3	नवादा	पत्रांक–1643 दिनांक–04.08.2021	स्व० रामवरण साव, पंच, ग्राम कचहरी–उकौडा, प्रखंड–पकरीबरावॉ, जिला–नवादा	500000.00

4	अररिया	पत्रांक–1529 दिनांक–13.08.2021	स्व० सत्येन्द्र कुमार यादव, पिता–बासुदेव यादव, सरपंच, ग्राम कचहरी–हरिपुरकला, प्रखंड–भरगामा, सा०–लक्ष्मीपुर, थाना–भरगामा, जिला–अररिया	500000.00
5	भागलपुर	स्वीकृत्यादेश फलक का दिनांक– 15.02.2021	स्व० अफसाना खातुन, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम कचहरी–बिहपुर पूरब, प्रखंड–बिहपुर, जिला–भागलपुर	500000.00
सकल योग				**2500000.00**

पच्चीस लाख रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित **जिला पदाधिकारी** होंगे जो राशि की निकासी संबंधित **जिला कोषागार** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. **इस आवंटित राशि की संबधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.37. 01–अनुग्रह अनुदान'से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010101 है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एव मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

508

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 के पृष्ठ संख्या 165/टि० पर दिनांक 15.09.2021 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

16/09/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/411(सा०)/पं०रा०, पटना, दिनांक 16/9/2021
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित उप विकास आयुक्त–सह –मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, /प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/09/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/411(सा०)/पं०रा०, पटना, दिनांक 16/9/2021
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/09/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/4-2[illegible]पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया एवं भोजपुर (आरा)

पटना, दिनांक 22/09/2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹10,00,000.00 (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपया में

क्र० सं०	जिला का नाम	अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	मृतक जनप्रतिनिधि का विवरण	अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	गया	पत्रांक–1564 दिनांक–17.08.2021	स्व० धनंजय सिंह, ग्राम पंचायत–रौना के प्रा०नि०क्षे०सं०–08 के वार्ड सदस्य, प्रखण्ड–बेलागंज, जिला–गया	500000.00
2	भोजपुर, आरा	पत्रांक–1740 दिनांक 28.07.2021	स्व० अनिता देवी, पंचायत समिति सदस्य–पिरौटा, पति–अयोध्या कुमार, ग्राम–जादोपुर, प्रखण्ड–आरा सदर, थाना–आरा मुफ्फसिल, जिला–भोजपुर	500000.00
सकल योग				**1000000.00**

दस लाख रूपया मात्र

2. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के **जिला पदाधिकारी** होंगे जो राशि की निकासी संबंधित **जिला कोषागार** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

3. **इस आवंटित राशि की संबधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\P 2515000010101\Letter.docx

B.K

5. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.37.01–अनुग्रह अनुदान' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010101 है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 के पृष्ठ संख्या 172/टि० पर दिनांक 21.09.2021 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

22/9/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/4253 पं०रा०, पटना, दिनांक 22.09.2021

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित उप विकास आयुक्त–सह –मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/4254 पं०रा०, पटना, दिनांक 22.09.2021

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/9/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

8.12

पत्रांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021/4360 पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रभारी प्रचार्य
मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, पटना, सारण, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक 22.09.21

विषय : **वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित कुल **₹40,28,000.00 (चालिस लाख अट्ठाईस हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. **इस आंवटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रभारी प्रचार्य होंगे,** जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करेगें।

4. **इस आवंटित राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है।**

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

B.K भगत

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी अगले माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021 के पृष्ठ संख्या 15/टि० पर दिनांक 21.09.2021 को प्राप्त है।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000030001 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021/4360 रा० पटना, दिनांक 22.09.21

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021/4359 रा० पटना, दिनांक 22.09.20

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2021--22 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन विवरणी।

(राशि रूपया में)

क्र०	संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन						किराया महसूल एवं कर 0001.14.01	कुल योग
			वेतन 0001.01.01	जी० या० भत्ता 0001.01.03	मकान भत्ता 0001.01.04	प० भत्ता 0001.01.05	चि० भत्ता 0001.01.06	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, पटना	प्रभारी प्राचार्य, पटना	883000.00	139000.00	71000.00	66000.00	18000.00	**1177000.00**	0.00	₹ **1177000.00**
2	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, सारण	प्रभारी प्राचार्य, सारण	300000.00	81000.00	24000.00	8000.00	5000.00	**418000.00**	0.00	₹ **418000.00**
3	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर	प्रभारी प्राचार्य, भागलपुर	300000.00	81000.00	24000.00	8000.00	5000.00	**418000.00**	0.00	₹ **418000.00**
4	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा	प्रभारी प्राचार्य, दरभंगा	300000.00	81000.00	24000.00	8000.00	5000.00	**418000.00**	110000.00	₹ **528000.00**
5	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा	प्रभारी प्राचार्य, सहरसा	600000.00	162000.00	48000.00	10000.00	5000.00	**825000.00**	0.00	₹ **825000.00**
6	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर	प्रभारी प्राचार्य, मुंगेर	469000.00	132000.00	44000.00	10000.00	7000.00	**662000.00**	0.00	₹ **662000.00**
कुल योग			**2852000.00**	**676000.00**	**235000.00**	**110000.00**	**45000.00**	**3918000.00**	**110000.00**	₹ **4028000.00**

(चालीस लाख अट्ठाईस हजार रूपये) मात्र की राशि

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/4569/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), भोजपुर ।

पटना, दिनांक 24.09.

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–29(स्वी०) दिनांक 24.09.2021 के द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर स्वीकृत कुल ₹6,89,79,295.00 (छह करोड़ नवासी लाख उनासी हजार दो सौ पंचानबे रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–29(स्वी०) दिनांक 24.09.2021 के द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.11.01–यात्रा व्यय" इकाई में कुल ₹3,33,94,295.00 (तीन करोड़ तैतीस लाख चौरानबे हजार दो सौ पंचानबे रूपये) मात्र की राशि एवं विषय शीर्ष "0002.13.01–कार्यालय व्यय" इकाई में कुल ₹3,55,85,000.00 (तीन करोड़ पचपन लाख पचासी हजार रूपये) मात्र की राशि अर्थात् कुल ₹6,89,79,295.00 (छह करोड़ नवासी लाख उनासी हजार दो सौ पंचानबे रूपये) मात्र की स्वीकृत राशि** वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला **पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), भोजपुर** होंगे। **इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16–2015001090002 है।**

4. **यह राशि इस शर्त के साथ आवंटित की जाती है कि जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), भोजपुर (आरा) द्वारा लंबित विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए बकाया भुगतान करेंगे।**

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\Estb & Comm Exp\Election\Letter.docx

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं विभागीय पत्रांक 5612 दिनांक 22.09.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, भोजपुर (आरा)** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 के पृष्ठ संख्या 2:5 /टि० पर दिनांक 24/09/2021 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,
24/09/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/4520 पं०रा० पटना, दिनांक 24.09.2021

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर (आर) /सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/09/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/4521 पं०रा० पटना, दिनांक 24.09.2021

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/09/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(12)

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम--02--03/2019/44(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 24/2/2021

विषय : **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 13.05.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹105.50 करोड (एक अरब पाँच करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र में से ₹37.50 करोड़ (सैंतीस करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 13.05.2021 द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹105.50 करोड (एक अरब पाँच करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से विभागीय आवंटनादेश संख्या 13(आ०) दिनांक 31.05.2021 द्वारा कुल ₹68.00 करोड़ (अड़सठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि सभी जिलों को आवंटित है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 13.05.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹105.50 करोड (एक अरब पाँच करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र में से आवंटन हेतु अवशेष ₹37.50 करोड़ (सैंतीस करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2021--22 में निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	बक्सर	5000000
2	रोहतास	15000000
3	भोजपुर	10000000
4	नालन्दा	15000000
5	पटना	5000000
6	कैमूर	10000000
7	गया	7500000
8	नवादा	10000000
9	औरंगाबाद	0
10	जहानाबाद	5000000
11	अरवल	5000000
12	सारण	10000000
13	सिवान	15000000
14	गोपालगंज	15000000

15	मुजफ्फरपुर	10000000
16	वैशाली	10000000
17	पू0 चम्पारण	10000000
18	प0 चम्पारण	10000000
19	सीतामढी	10000000
20	शिवहर	5000000
21	भागलपुर	10000000
22	बांका	15000000
23	मधुबनी	5000000
24	समस्तीपुर	5000000
25	दरभंगा	5000000
26	सहरसा	15000000
27	मधेपुरा	10000000
28	सुपौल	7500000
29	पूर्णिया	10000000
30	अररिया	10000000
31	किशनगंज	15000000
32	कटिहार	20000000
33	मुंगेर	15000000
34	जमुई	10000000
35	बेगूसराय	10000000
36	खगडिया	10000000
37	लखीसराय	15000000
38	शेखपुरा	5000000
कुल		**375000000**
कुलः सैंतीस करोड़ पचास लाख रूपये मात्र		

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होंगे, जो आवंटित राशि की निकासी **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 13.05.2021** के आलोक में संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिंता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2021–22** में **मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत "**मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–पंचायती राज–उपशीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवन**" मद के विषय शीर्ष '**0108.53.01–मुख्य निर्माण कार्य**' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–4515001010108** है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय **राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु लागू आदर्श आचार संहिता के आलोक में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।**

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

पत्रांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/ 46(आठ) /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर, नालंदा, नवादा, पटना, गया, अरवल, जहानाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, सीतामंढी, बाँका, मधेपुरा एवं शेखपुरा।

पटना, दिनांक 01/10/2021

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित कुल **₹1,97,25,000.00 (एक करोड़ सत्तानवें लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र** की राशि आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटित राशि से नियमानुसार बकाये का भुगतान किया जा सकेगा। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखासंधारण समुचित ढंग से हो सके।

5. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।

9. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 के पृष्ठ संख्या...../टि० पर दिनांक ..... को प्राप्त है।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16–2515000010003** है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथाउपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 /46(आ०)/पं०रा०पटना, दिनांक 01/10/2
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथाउपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 /46(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 01/10/2
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतुप्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) निकासी।

राशि रूपया में

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	विद्युत प्रभार 0003.13.04	वर्दी / पोशाक 0003.13.06	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु							
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	—	—	—	—	—	200000.00	₹ 200000.00
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	—	200000.00	—	—	—	—	₹ 200000.00
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	—		—	5000.00	800000.00	—	₹ 805000.00
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	—		—	—	—	300000.00	₹ 300000.00
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	—	150000.00	—	—	225000.00	600000.00	₹ 975000.00
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	—	—	—	—	200000.00	—	₹ 200000.00
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	—	200000.00	—	—	250000.00	—	₹ 450000.00
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	—	—	—	5000.00	200000.00	700000.00	₹ 905000.00
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	—	—	—	—	200000.00	—	₹ 200000.00
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	—	—	—	—	—	150000	₹ 150000.00
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	30000.00	150000.00	—	10000.00	200000.00	—	₹ 390000.00
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	—	150000.00	—	—	200000.00	—	₹ 350000.00
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका	—	50000.00	—	—	200000.00	—	₹ 250000.00
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	—	100000.00	150000.00	—	200000.00	—	₹ 450000.00
	कुल	30000.00	1000000.00	150000.00	20000.00	2675000.00	1950000.00	₹ 5825000.00

राशि रूपया में

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	विद्युत प्रभार 0003.13.04	वर्दी / पोशाक 0003.13.06	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएं 0003.28.02	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु								
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	—	—	—	—	—	3000000.00	₹ 3000000.00
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	—	—	—	—	—	3000000.00	₹ 3000000.00
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	—	—	—	—	—	3000000.00	₹ 3000000.00
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	—	—	—	—	—	1500000.00	₹ 1500000.00
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	—	—	—	—	—	3000000.00	₹ 3000000.00
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	—	—	—	—	—	400000.00	₹ 400000.00
कुल		0	0	0	0	0	13900000.00	₹ 13900000.00
सकल योग		30000.00	1000000.00	150000.00	20000.00	2675000.00	15850000.00	₹ 19725000.00

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(121)

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019 के पृष्ठ संख्या 70/टि० पर दिनांक 23.09.2021 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
24/9/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/4437/पं०रा० पटना, दिनांक 24/9/2021
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/4438/पं०रा० पटना, दिनांक 24/9/2021
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/9/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Scheme\Panchayat Sarkar Bhawan 2021-22\Letter.docx

अत्यावश्यक
ई–मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांक: 5प / राज्य स्कीम–02–09 / 2017 / 47(30)/ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना एवं सारण, छपरा।

पटना, दिनांक 04 / 10 / 2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹10,00,000.00 (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपया में

क्र० सं०	जिला का नाम	अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	मृतक जनप्रतिनिधि का विवरण	अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	पटना	पत्रांक–3323 दिनांक–22.09.2021	स्व० बिरेन्द्र कुमार विद्यार्थी, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत–बहादुरपुर, ग्राम+पोस्ट–दक्षिणीचक, थाना–अथमलगोला, प्रखण्ड–अथमलगोला, जिला–पटना	500000.00
2	सारण, छपरा	पत्रांक–1515 दिनांक–18.09.2021	स्व० इन्द्रमोहन सिंह, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत–डुमरी बुजुर्ग, प्रखण्ड–सोनपुर, जिला–सारण, छपरा	500000.00
सकल योग				**1000000.00**

दस लाख रूपया मात्र

2. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के **जिला पदाधिकारी** होंगे जो राशि की निकासी संबंधित **जिला कोषागार** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

3. **इस आवंटित राशि की संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

5. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं

प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना' मद के विषय शीर्ष '0101.37.01–अनुग्रह अनुदान' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010101 है।

6. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु लागू आदर्श आचार संहिता के आलोक में किया जाना की सुनिश्चित करेगें।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूर्व छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 के पृष्ठ संख्या 177/टि० पर दिनांक 29.09.2021 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

04/10/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 477(सा०)/पं०रा०, पटना, दिनांक 04/10/2021

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित उप विकास आयुक्त–सह –मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/10/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 477(सा०)/पं०रा०, पटना, दिनांक 04/10/2021

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04/10/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 (खण्ड)/48(पा)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–8–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 04/10/2021

विषयः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 24(स्वी०) दिनांक 02.09.2021 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹4,14,12,000.00 करोड़ (चार करोड़ चौदह लाख बारह हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 24(स्वी०) दिनांक 02.09.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹4,14,12,000.00 करोड़ (चार करोड़ चौदह लाख बारह हजार रूपये) मात्र. की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी– A के अनुसार सिवान, गोपालगंज एवं पूर्वी चम्पारण जिला के कुल 20 (बीस) ग्राम पंचायतों को अंतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹4,14,12,000.00 करोड़ (चार करोड़ चौदह लाख बारह हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगीः–

क्र०	योजना शीर्ष	राशि (रूपये में)
1	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515001980113 विषय शीर्ष–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	3,57,51, 195.00

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\7 Nishchay\Letter.docx

2	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007890112 विषय शीर्ष–0112.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	56,60,805.00
	कुल	**4,14,12,000.00**

चार करोड़ चौदह लाख बारह हजार रूपये मात्र

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–8, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो CFMS के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेगें एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 24(स्वी०) दिनांक 02.09.2021 के साथ संलग्न विवरणी 'अनुलग्नक–A' के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

5. इस आवंटित राशि का उपयोग राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए किया जा सकेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

8. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

10. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या:–5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 (खण्ड) के पृष्ठ संख्या 09/टि० पर दिनांक 01.10. को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वास भाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 (खण्ड) 48(भाग)/पं०रा० पटना, दिनांक 04/10/2021

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रमंडलिय आयुक्त, सारण एवं तिरहुत (मुजफ्फरपुर)/जिला पदाधिकारी सिवान, गोपालगंज एवं पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/प्रमंडलीय उप निदेशक, सिवान, गोपालगंज एवं पूर्वी चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान, गोपालगंज एवं पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/10/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 (खण्ड) 48(भाग)/पं०रा० पटना, दिनांक 04.10.21

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03, 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र), 06/लेखापाल/रोकड़पाल/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/10/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020/4960/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 22.10.21

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–निर्वाचन आयोग–उपशीर्ष–0001–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)" मद में राशि क आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु कुल **₹22,64,000.00 (बाईस लाख चौंसठ हजार रूपये) मात्र की राशि** निम्नरूपेण आवंटित क जाती है:–

राशि रूपया में

क्र०	विषय शीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3
1	0001.11.01 – यात्रा व्यय	96000.00
2	0001.13.01 – कार्यालय व्यय	960000.00
3	0001.13.02 – वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	160000.00
4	0001.13.03 – दूरभाष	82500.00
5	0001.13.05 – विधि प्रभार	320000.00
6	0001.13.06 – वर्दी/पोशाक	5500.00
7	0001.13.10 – भाड़े की गाड़ी का भुगतान	480000.00
8	0001.20.01 – आतिथ्य व्यय	64000.00
9	0001.20.02 – कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	96000.00
कुल योग :–		**2264000.00**

बाईस लाख चौंसठ हजार रूपया

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 1 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. आवंटित की जा रही राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाख पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पट** होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. जिन मदों में सम्पादित कार्य अथवा आपूर्ति के विरूद्ध भुगतान नहीं किया जा स हो, उसके भुगतान की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाये। आवश्यकतानुसार पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध प्रतिस्थानी आदेश निर्गत किया जाये।

भुगतान

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020 के पृष्ठ संख्या ..49../टि० पर दिनांक 18.10.202 .....को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16–2015001010001** है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी) 4/10/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020/4233 पं०रा० पटना, दिनांक 22.10.202

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी) 4/10/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020/4236 पं०रा० पटना, दिनांक 22.10.202

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी) 4/10/2021

अनुश्रवण पदाधिकारी

B-12

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/50 (3)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), औरंगाबाद।

पटना, दिनांक 22.10.21

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 30(स्वी०) दिनांक 06.10.2021 के द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के संचालन हेतु औरंगाबाद जिले को स्वीकृत कुल ₹6,32,79,709.00 (छह करोड़ बत्तीस लाख उनासी हजार सात सौ नौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–30(स्वी०) दिनांक 06.10.2021 द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के संचालन हेतु 2947 वास्तविक मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर यात्रा व्यय इकाई अन्तर्गत ₹3,08,62,709.00 (तीन करोड़ आठ लाख बासठ हजार सात सौ नौ रूपया) तथा कार्यालय व्यय इकाई अन्तर्गत ₹3,24,17,000.00 (तीन करोड़ चौबीस लाख सतरह हजार रूपया) अर्थात कुल ₹6,32,79,709.00 (छह करोड़ बत्तीस लाख उनासी हजार सात सौ नौ रूपया) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में औरंगाबाद जिले को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109– पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002– जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत **विषय शीर्ष "0002.11.01–यात्रा व्यय" इकाई में कुल ₹3,08,62,709.00 (तीन करोड़ आठ लाख बासठ हजार सात सौ नौ रूपये) मात्र की राशि** एवं **विषय शीर्ष "0002.13.01–कार्यालय व्यय" इकाई में कुल ₹3,24,17,000.00 (तीन करोड़ चौबीस लाख सत्तरह हजार रूपये) मात्र की राशि अर्थात कुल ₹6,32,79,709.00 (छह करोड़ बत्तीस लाख उनासी हजार सात सौ नौ रूपये) मात्र की स्वीकृत राशि** वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला **पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), औरंगाबाद** होंगे। **इसकी मांग संख्या 16 एवं वित्तपत्र कोड 16–2015001090002 है।**

4. यह राशि इस शर्त के साथ आवंटित की जाती है कि जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), औरंगाबाद द्वारा विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर तथा वित्तीय नियमों का अनुपानल करते हुए भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगें।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं विभागीय पत्रांक 5612 दिनांक 22.09.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, औरंगाबाद** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्ययँ–01–07/2021 के पृष्ठ संख्या 32/टि० पर दिनांक 21.10 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

21/10/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/5070 पं०रा० पटना, दिनांक 22.10.21
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/5070 पं०रा० पटना, दिनांक 22.10.21
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/516(30) पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), औरंगाबाद।

पटना, दिनांक 22.10.2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 28(स्वी०) दिनांक 24.09.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 28(स्वी०) दिनांक 24.09.2021 द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कर्त्तव्य के दौरान स्व० प्रभात कुमार चौधरी, सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस लाईन, औरंगाबाद की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रिता को ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), औरंगाबाद** होंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.37.01–अनुग्रह अनुदान"** इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002** है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के पारेपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

आज्ञा से,

7. इस आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, औरंगाबाद से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 के पृष्ठ संख्या 32/टि० पर दिनांक 21.10.21 को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

21.10.2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/5167 पं०रा० पटना, दिनांक 22.10.21
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद/पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.10.2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/5168 पं०रा० पटना, दिनांक 22.10.21
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21.10.2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/ 5229 पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया।

पटना, दिनांक 22/10/2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव को अनुग्रह अनुदान मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश संख्या 216 दिनांक 11.11.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पदाधिकारी, गया द्वारा कुल ₹8,00,000.00 (आठ लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि निम्नरूपेण स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटन उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है:–

राशि रूपया में

क्र० सं०	जिला का नाम	जिला पदाधिकारी का अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने वाले की विवरण	अनुग्रह अनुदान की आवंटित राशि
1	गया	पत्रांक–1619 दिनांक–23.08.2021	स्व० नन्द किशोर यादव, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, पत्नी–श्रीमती सिता देवी, ग्राम कचहरी–चिरैली, प्रखण्ड–खिजरसराय, जिला–गया	4,00,000.00
2	गया	पत्रांक–1620 दिनांक–23.08.2021	स्व० चितरंजन कुमार चंचल, ग्राम कचहरी साचिव, पत्नी–श्रीमती रजनी कुमारी, ग्राम–नान्हु बिगहा, पो०–पियार, प्रखण्ड–अतरी, जिला–गया	4,00,000.00
कुल				**8,00,000.00**

आठ लाख रूपया मात्र

2. **उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पदाधिकारी, गया को कुल ₹8,00,000.00 (आठ लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष '0010.37.01–अनुग्रह अनुदान" से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515001980010** है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गया होंगे जो राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, गया द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515001980010) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

भवदीया,

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020 के पृष्ठ संख्या 36/टि० पर दिनांक 18/10/2021 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

21/10/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/5430 रा० पटना, दिनांक 22.10.21

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया/प्रभारी पदाधिकारी–08/प्रशाखा पदाधिकारी–05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/5431 रा० पटना, दिनांक 22.10.21

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/10/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 (खण्ड)/5230/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–8–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 08/11/2021

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 31(स्वी०) दिनांक 29.10.2021 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹4,63,534.00 (चार लाख तिरेसठ हजार पाँच सौ चौत्तीस रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 31(स्वी०) दिनांक 29.10.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 6048 दिनांक 20.10.2021 द्वारा M/s MALTI RAJESHWAR INFRASTRUCTURE & SERVICES pvt. Ltd. को कोटेशन में अंकित दर से तकनीकी कोषांग कक्ष में मरम्मती यथा–वॉल पेपर पेस्टिंग, वॉल पुट्टी, प्लाई पेस्टिंग, एक्रेलिक पुट्टी एवं फॉल सेलिंग कार्य हेतु कुल ₹4,63,534.00 (चार लाख तिरेसठ हजार पाँच सौ चौत्तीस रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹4,63,534.00 (चार लाख तिरेसठ हजार पाँच सौ चौत्तीस रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम मद के "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के विषय शीर्ष '0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण' से की जायेगी। इसका मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड–16.2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–8, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो कराये गये कार्य के विरूद्ध प्राप्त विपत्र के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से M/s MALTI RAJESHWAR INFRASTRUCTURE & SERVICES pvt. Ltd. के बैंक खाता में अंतरित करायेंगे।

5. इस आवंटित राशि का उपयोग राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए किया जा सकेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दिनांक 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः–5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 (खण्ड) के पृष्ठ संख्या 14 /टि० पर दिनांक 03.11.21 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वास भाजन
8/11/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 (खण्ड) 5380 /पं०रा० पटना, दिनांक 08/11/2021
प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/11/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 (खण्ड) 5380 /पं०रा० पटना, दिनांक 08/11/2021
प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03, 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र), 06/लेखापाल/रोकड़पाल/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/11/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/54(अति)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), बिहार।

पटना, दिनांक 26/11/202

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु कुल ₹30,40,00,000.00 (तीस करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 32(स्वी०) दिनांक 23.11.2021 द्वारा सभी संबंधित जिलों को बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" के "0002.11.01–यात्रा व्यय" मद में ₹7,60,00,000.00 (सात करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र तथा "0002.13.01–कार्यालय व्यय" मद में ₹22,80,00,000.00 (बाईस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹30,40,00,000.00 (तीस करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की राशि (उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी के अनुरूप) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 32(स्वी०) दिनांक 23.11.2021 एवं इसके साथ संलग्न जिलावार विवरणी के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त "0002.11.01–यात्रा व्यय" इकाई में **₹7,60,00,000.00 (सात करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र तथा** "0002.13.01–कार्यालय व्यय" इकाई में **₹22,80,00,000.00 (बाईस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र** अर्थात **कुल ₹30,40,00,000.00 (तीस करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की राशि** को आवंटित की जाती है।

3. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002** है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **सभी संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)** होंगे। वे वित्तीय नियमों का अनुपानल करते हुए विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर ही भुगतान

करेगें। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 तथा विभागीय पत्रांक 5612 दिनांक 22.09.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि सामग्रियों का क्रय वित्तीय नियमावली के अनुरूप करेंगे एवं क्रय किये गये सामग्रियों के संरक्षण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अग्रिम के रूप में निकासी की गयी राशि के डी०सी० विपत्रों का महालेखाकार कार्यालय, बिहार में समायोजन नियमानुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर कराया जाना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 के पृष्ठ संख्या ...../टि० पर दिनांक .....को प्राप्त है।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/5463 पं०रा० पटना, दिनांक. 26/11

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/5464 पं०रा० पटना, दिनांक. 26/11

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(100)

पत्रांकः5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/ 55(आ०) /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, कटिहार।
प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज, सहरसा।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालंदा, बक्सर,
रोहतास, भोजपुर, सीवान, प० चम्पारण, सीतामढ़ी,
पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, मुंगेर, बेगुसराय, नवादा,
मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण एवं सुपौल

पटना, दिनांक 23/12/2021

विषय : **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹15,66,19,000.00 (पन्द्रह करोड़ छियासठ लाख उन्नीस हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटित राशि से नियमानुसार बकाये का भुगतान किया जा सकेगा। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखासंधारण समुचित ढंग से हो सके।

5. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

(A)

(69)

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या. 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 के पृष्ठ संख्या 31/टि० पर दिनांक 17.12.21 को प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16–2515000010003** है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

23/12/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021-5581/ पं०रा०पटना, दिनांक 23/12/2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

23/12/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021-5582/ पं०रा० पटना, दिनांक 23/12/2021

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतुप्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

23/12/2021

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(98)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" अन्तर्गत व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) विवरणी।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन								योग
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	कुल	कार्यालय व्यय 0003.13.01	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु									
1	उप विकास आयुक्त, कटिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190000.00	₹ 190000.00
	कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**190000.00**	₹ **190000.00**
	प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु									
2	उप निदेशक, पंचायत राज, सहरसा	1247000.00	352000.00	101000.00	48000.00	24000.00	1772000.00	0.00	0.00	₹ 1772000.00
	कुल	1247000.00	352000.00	101000.00	48000.00	24000.00	1772000.00	**0.00**	**0.00**	₹ **1772000.00**
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु									
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	700000.00	217000.00	60000.00	30000.00	10000.00	1017000.00	0.00	0.00	₹ 1017000.00
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	₹ 200000.00
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	₹ 50000.00
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	₹ 500000.00
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	₹ 500000.00
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162000.00	₹ 162000.00
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168000.00	₹ 168000.00
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	₹ 1000000.00
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800000.00	₹ 800000.00
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800000.00	₹ 800000.00
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	₹ 1000000.00
		700000.00	**217000.00**	**60000.00**	**30000.00**	**10000.00**	**1017000.00**	**750000.00**	**4430000.00**	₹ **6197000.00**

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन								योग
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	कुल	कार्यालय व्यय 0003.13.01	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु										
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	21000000.00	6510000.00	1500000.00	750000.00	250000.00	30010000.00	0.00	0.00	₹ 30010000.00
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	7100000.00	2201000.00	600000.00	300000.00	100000.00	10301000.00	0.00	0.00	₹ 10301000.00
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	10520000.00	3269000.00	900000.00	450000.00	150000.00	15289000.00	0.00	0.00	₹ 15289000.00
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	₹ 1500000.00
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	₹ 1500000.00
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	17500000.00	5425000.00	1500000.00	750000.00	250000.00	25425000.00	0.00	1500000.00	₹ 26925000.00
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	17500000.00	5425000.00	1500000.00	750000.00	250000.00	25425000.00	0.00	0.00	₹ 25425000.00
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	21000000.00	6510000.00	1500000.00	750000.00	250000.00	30010000.00	0.00	2000000.00	₹ 32010000.00
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	₹ 2000000.00
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	₹ 2000000.00
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	₹ 1500000.00
कुल		**94620000.00**	**29340000.00**	**7500000.00**	**3750000.00**	**1250000.00**	**136460000.00**	**0.00**	**12000000.00**	₹ **148460000.00**
सकल योग		**96567000.00**	**29909000.00**	**7661000.00**	**3828000.00**	**1284000.00**	**139249000.00**	**750000.00**	**16620000.00**	₹ **156619000.00**

पन्द्रह करोड़ छियासठ लाख उन्नसी हजार रूपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–10/2021/56 (Gram)/ पं०रा०

अत्यावश्यक
ई–मेल

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 28.12.2021

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 34(स्वी०) दिनांक 28.12.2021 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त Health Sector Grant की स्वीकृत कुल ₹9,03,46,38,000.00 (नौ अरब तीन करोड़ छियालीस लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 34(स्वी०) दिनांक 28.12.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त Health Sector Grant की कुल ₹9,03,46,38,000.00 (नौ अरब तीन करोड़ छियालीस लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल **₹9,03,46,38,000.00 (नौ अरब तीन करोड़ छियालीस लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0008–वित्त आयोग अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यो के लिए सहायक अनुदान" मद के विषय शीर्ष "0008.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों का निर्माण" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001960008 है।

4. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए Bank Of Baroda, SRI KRISHNAPURI, PATNA में 15 FC HEALTH SECTOR GRANT PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT के नाम से संधारित विभागीय खाता संख्या 18630100021845, IFSC Code BARBOSRIKRI में अंतरित कर PFMS के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित State Nodal Agency/जिला परिषदों को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 34(स्वी०) दिनांक 28.12.2021 के आलोक में अंतरित करायेंगे।

5. इस आवंटित राशि का उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 33(रा०) दिनांक 24.12.2021 एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 15(2)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 16.07.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 9736 दिनांक 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम–271(ङ) के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने अधिनस्थ संस्थाओं से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित Health Sector Grant की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन ससमय पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ विभागीय अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–10/2021 के पृष्ठ संख्या ..09.. /टि० पर दिनांक..28.12.2021.. को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–10/2021/5643/पं०रा० पटना, दिनांक..28.12.21..

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–10/2021/5644/पं०रा० पटना, दिनांक..28.12.21..

प्रतिलिपिः निदेशक, पंचायती राज विभाग/परियोजना निदेशक, SPRC/प्रभारी पदाधिकारी–02, 04, 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), 06 एवं 07 लेखापाल /रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–10/2021/5645/पं०रा० पटना, दिनांक..28.12.21..

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021/57(319) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 28.12.2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 35(स्वी०) दिनांक 28.12.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में Untied अनुदान की द्वितीय किस्त की स्वीकृत कुल ₹741.80 करोड़ (सात अरब इकतालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 35(स्वी०) दिनांक 28.12.2021 द्वारा 15वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से प्राप्त Untied अनुदान की द्वितीय किस्त की कुल ₹741.80 करोड़ (सात अरब इकतालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र की राशि को उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ ग्राम पंचायतों के लिए संलग्न विवरणी–1, पंचायत समितियों के लिए संलग्न विवरणी–2 एवं जिला परिषदों के लिए संलग्न विवरणी–3 के अनुरूप वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹741.80 करोड़ (सात अरब इकतालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के संबंधित बजट शीर्षो के अंतर्गत निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–**

राशि (करोड़ में)

क्र०	PRIs	योजना शीर्ष	Untied Grant
i	ग्राम पंचायत	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष–0001.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980001	519.26
ii	पंचायत समिति	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष–0001.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड– 16–2515001970001	111.27

iii.	जिला परिषद्	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0003–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष–0003.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड– 16–2515001960003	111.27
		कुल– (सात अरब इकतालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र	**741.80**

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी, 06–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS एवं PFMS Treasury Integration के माध्यम से इस स्वीकृत्यादेश के साथ ग्राम पंचायतों के लिए संलग्न विवरणी–1 (राज्य के सभी 8067 ग्राम पंचायतों), पंचायत समितियों के लिए संलग्न विवरणी–2 (राज्य के सभी 533 पंचायत समितियों) एवं जिला परिषदों के लिए संलग्न विवरणी–3 (राज्य के सभी 38 जिला परिषदों) के अनुरूप Untied अनुदान की राशि को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के संबंधित बैंक खातों में अंतरित करेंगे।

4. 15वें वित्त आयोग योजना के क्रियान्वयन एवं राशि के व्यय के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश विभागीय राज्यादेश संख्या 27(रा०) दिनांक 13.09.2021 एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 15(2)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 14.07.2021 द्वारा संसूचित है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड़, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को स्वीकृत एवं आवंटित- अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021 के पृष्ठ संख्या 07/ह० पर दिनांक .....को प्राप्त है।
28.12.2021

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–04/2021/5210 प०रा० पटना, दिनांक. 28.
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी–03, 04, 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), 06 एवं 07, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–04/2021/5211 प०रा० पटना, दिनांक. 28.
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/58(आ०)/पं०रा० 654

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा एवं पश्चिमी चम्पारण, बेतिया।

पटना, दिनांक 04/01/2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹21,00,000.00 (इक्कीस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपया में

क्र० स०	जिला का नाम	अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	मृतक जनप्रतिनिधि का विवरण	अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	दरभंगा	पत्रांक–2582 दिनांक–29.10.2021	स्व० गणेश कुमार साह, वार्ड सदस्य, वार्ड संख्या–12, ग्राम पंचायत–सिमरी, प्रखंड–सिंहवाड़ा जिला–दरभंगा	500000.00
2	दरभंगा	पत्रांक–2523 दिनांक–16.10.2021	स्व० मो० कैसर, पंचायत समिति सदस्य, पिता–मो० हारून, ग्राम पंचायत राज–छोटाईपट्टी, प्रखंड–सदर, जिला–दरभंगा	500000.00
3	पश्चिमी चम्पारण, बेतिया	पत्रांक–2394 दिनांक–04.10.2020	स्व० पासपति देवी, वार्ड सदस्य–ग्राम पंचायत राज–सिसवा बंसतपुर, प्रखण्ड–बगहा–1 के वार्ड न०–07, जिला–पश्चिमी चम्पारण, बेतिया	500000.00
4	पश्चिमी चम्पारण, बेतिया	पत्रांक–50 दिनांक–13.03.2021	स्व० जितेन्द्र साह, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत राज –सुगौली, प्रखण्ड–नरकटियागंज, जिला–पश्चिमी चम्पारण, बेतिया	500000.00
5	पश्चिमी चम्पारण, बेतिया	पत्रांक–49 दिनांक–13.03.2021	स्व० महेश साह, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत राज–खोतहवा, वार्ड न०–02, प्रखण्ड–मधुबनी, जिला–पश्चिमी चम्पारण, बेतिया	100000.00
सकल योग				**2100000.00**

इक्कीस लाख रूपया मात्र

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\P 2515000010101\Letter.docx

2. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के **जिला पदाधिकारी** होंगे जो राशि की निकासी संबंधित **जिला कोषागार** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021 एवं 548 दिनांक 09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.37. 01–अनुग्रह अनुदान' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010101 है।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 के पृष्ठ संख्या 192/टि० पर दिनांक 03.01.2022 को प्राप्त है।

(537)

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

04/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/58(30)/पं०रा०, पटना, दिनांक 04/01/2022

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी,/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/58(30)/पं०रा०, पटना, दिनांक 04/01/2022

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

BK

पत्रांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/ 59(अ10) /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रमंडलीय उप निदेशक,
पंचायत राज, पटना एवं सहरसा।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, नालंदा, गया, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियां, बेगुसराय एवं लखीसराय।

पटना, दिनांक 10/01/2022

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹52,50,000.00 (बावन लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटित राशि से नियमानुसार बकाये का भुगतान किया जा सकेगा। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखासंधारण समुचित ढंग से हो सके।

5. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।

9. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 के पृष्ठ संख्या 36/टि० पर दिनांक 06.01.22 को प्राप्त है।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16–2515000010003** है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

10/01/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021-5310(10) पं०रा० पटना, दिनांक 10/01/22

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

10/01/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021-5310(10) पं०रा० पटना, दिनांक 10/01/22

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतुप्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

10/01/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) विवरणी।

अनुलग्नक : 'क'

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	यात्रा व्यय 0003.11.01	दूरभाष 0003.13.03	विद्युत प्रभार 0003.13.04	वर्दी / पोशाक 0003.13.06	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	4	6		7	8	9	10
	प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु							
1	उप निदेशक, पंचायत राज, पटना	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	₹ 10000.00
2	उप निदेशक, पंचायत राज, सहरसा	60000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	₹ 65000.00
	कुल	60000.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	₹ 75000.00
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु							
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	₹ 150000.00
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	₹ 150000.00
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	₹ 300000.00
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	₹ 200000.00
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	37000.00	2000.00	0.00	5000.00	150000.00	0.00	₹ 194000.00
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	₹ 200000.00
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	5000.00	200000.00	0.00	₹ 205000.00
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	₹ 200000.00
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	₹ 15000.00
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	0.00	10000.00	100000.00	10000.00	150000.00	0.00	₹ 270000.00
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	30000.00	20000.00	0.00	10000.00	300000.00	0.00	₹ 360000.00
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537000.00	₹ 537000.00

अनुलग्नक : 'क'

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	यात्रा व्यय 0003.11.01	दूरभाष 0003.13.03	विद्युत प्रभार 0003.13.04	वर्दी / पोशाक 0003.13.06	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	4	6		7	8	9	10
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144000.00	₹ 144000.00
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 100000.00
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	₹ 150000.00
	कुल	167000.00	32000.00	100000.00	45000.00	2150000.00	681000.00	₹ 3175000.00
	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु							
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	₹ 2000000.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	₹ 2000000.00
	सकल कुल	227000.00	32000.00	100000.00	60000.00	2150000.00	2681000.00	₹ 5250000.00

(कल्पना कुमारी) 2022

अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 (खण्ड)/ 60(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना एवं सुपौल।

पटना, दिनांक 10/01/2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में **कुल ₹25,00,000.00 (पच्चीस लाख रूपये) मात्र** की अनुग्रह अनुदान की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपया में

क्र० स०	जिला का नाम	अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	मृतक जनप्रतिनिधि का विवरण	अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	पटना	पत्रांक–3858 दिनांक–22.12.2021	स्व० संजय कुमार, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत–जमलपुरा, ग्राम–लोदीपुर, पोस्ट–नौबतपुर, प्रखंड+थाना–नौबतपुर, जिला–पटना	500000.00
2	पटना	पत्रांक–3859 दिनांक–22.12.2021	स्व० नीरज कुमार, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत–रामपुर फरीदपुर, प्रखंड–फुलवारीशरीफ, थाना–जानीपुर, जिला–पटना	500000.00
3	पटना	पत्रांक–3860 दिनांक–22.12.2021	स्व० प्रियरंजन कुमार, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत–पूर्वी पंडारक, ग्राम–गोपकिता, पोस्ट+थाना–पंडारक, जिला–पटना	500000.00
4	सुपौल	पत्रांक–2668–2 दिनांक–27.12.2021	स्व० विमलेश झा, वार्ड सदस्य, वार्ड नं०–08, ग्राम पंचायत–पिंपरा, प्रखंड–पिपरा, जिला–सुपौल	500000.00
5	मधुबनी	ज्ञापांक–2940 दिनांक–06.12.2021	स्व० रामानन्दन मंडल, ग्राम कचहरी पंच, वार्ड संख्या (8) ब्रहमपुर दक्षिणी, प्रखंड–घोघरडीहा, जिला–मधुबनी	500000.00
सकल योग				**2500000.00**

पच्चीस लाख रूपये मात्र

2. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के **जिला पदाधिकारी** होंगे जो राशि की निकासी संबंधित **जिला कोषागार** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.37.01–अनुग्रह अनुदान' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010101 है।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 के पृष्ठ संख्या 04/टि० पर दिनांक 06:01:2022 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,
10/01/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 (खण्ड)/603(9)/पं०रा०, पटना, दिनांक 10/01/२०२२
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी,/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/01/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 (खण्ड)/603(10)/पं०रा०, पटना, दिनांक 10/01/२०२२
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/01/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी
B.K

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021/61(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रभारी प्रचार्य
मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/
जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान,
पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णियाँ,
सहरसा, एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक 10/01/2022

विषय : **वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹61,03,000.00 (इकसठ लाख तीन हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आंवटित राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रभारी प्रचार्य होंगे,** जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करेगें।

4. इस आवंटित राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है।

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

कृ०पृ०उ०

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. • नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी अगले माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021 के पृष्ठ संख्या 19 /टि० पर दिनांक 06.01.2022 को प्राप्त है।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000030001 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

10/01/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021 6(30)/पं०रा० पटना, दिनांक 10/01/2022
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

10/01/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2021 6(30)/पं०रा० पटना, दिनांक 10/01/2022
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

10/01/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन विवरणी।

(राशि रूपया में)

क्र०	संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन									कुल योग
			वेतन 0001.01.01	जी० या० भत्ता 0001.01.03	मकान भत्ता 0001.01.04	प० भत्ता 0001.01.05	चि० भत्ता 0001.01.06	योग	यात्रा व्यय 0001.11.01	कार्यालय व्यय 0001.13.01	किराया महसूल एवं कर 0001.14.01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, पटना	प्रभारी प्राचार्य, पटना	500000.00	170000.00	80000.00	5000.00	3000.00	**758000.00**	0.00	0.00	0.00	₹ **758000.00**
2	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर	प्रभारी प्राचार्य, मुजफ्फरपुर	700000.00	245000.00	78000.00	8000.00	3500.00	**1034500.00**	0.00	0.00	0.00	₹ **1034500.00**
3	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा	प्रभारी प्राचार्य, दरभंगा	460000.00	161000.00	137000.00	6000.00	3000.00	**767000.00**	0.00	0.00	200000.00	₹ **967000.00**
4	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णिया	प्रभारी प्राचार्य, पूर्णिया	1200000.00	432000.00	192000.00	15000.00	5000.00	**1844000.00**	30000.00	30000.00	0.00	₹ **1904000.00**
5	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा	प्रभारी प्राचार्य, सहरसा	750000.00	255000.00	120000.00	8000.00	3500.00	**1136500.00**	0.00	0.00	0.00	₹ **1136500.00**
6	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर	प्रभारी प्राचार्य, मुंगेर	200000.00	68000.00	32000.00	2000.00	1000.00	**303000.00**	0.00	0.00	0.00	₹ **303000.00**
कुल योग			**3810000.00**	**1331000.00**	**639000.00**	**44000.00**	**19000.00**	**5843000.00**	**30000.00**	**30000.00**	**200000.00**	₹ **6103000.00**

(इकसठ लाख तीन हजार रूपये) मात्र की राशि

(हस्ताक्षरित)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020/62(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14/01/2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–निर्वाचन आयोग–उपशीर्ष–0001–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अंतर्गत **"विषय शीर्ष–0001.28.02–संविदा सेवायें" इकाई में** व्यय हेतु **कुल ₹**22,00,000.00 **(बाईस लाख रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. आवंटित की जा रही राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना** होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. जिन मदों में सम्पादित कार्य अथवा आपूर्ति के विरूद्ध भुगतान नहीं किया जा सका हो, उसके भुगतान की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाये। आवश्यकतानुसार पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध प्रतिस्थानी आदेश निर्गत किया जाये।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020 के पृष्ठ संख्या 54 /टि० पर दिनांक 12.01.20 को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16–2015001010001** है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

14/01/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020/(2)(10)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/01/2022

प्रतिलिपि –महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/01/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2020/(2)(10)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/01/2022

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/01/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/63(मा0)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सुपौल।

पटना, दिनांक 14/01/2022

विषय : स्व० मो० जुबेर, वार्ड सदस्य, वार्ड नं०–12, ग्राम पंचायत–मधुबनी, प्रखंड–छातापुर, जिला–सुपौल की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय ज्ञापांक 2698–2 दिनांक 29.12.2021 द्वारा स्व० मो० जुबेर, वार्ड सदस्य, वार्ड नं०–12, ग्राम पंचायत–मधुबनी, प्रखंड–छातापुर, जिला–सुपौल की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय ज्ञापांक 2698–2 दिनांक 29.12.2021 के आलोक में जिला पदाधिकारी, सुपौल को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, सुपौल** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, सुपौल** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.37.01–अनुग्रह अनुदान से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010101 है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Scheme\P 2515000010101\Letter.docx 136

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 के पृष्ठ संख्या 127/टि० पर दिनांक 12/01/2022 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

14/01/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/6309 पं०रा० पटना, दिनांक 14/01/2022
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सुपौल/जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/01/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/6310 पं०रा० पटना, दिनांक 14/01/2022
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/01/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्र संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/ 64 (5)पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–6–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14.01.2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 36(स्वी०) दिनांक 11.01.2022 के आलोक में संविदा आधारित कार्यरत 1535, तकनीकी सहायक के मानेदय के भुगतान हेतु कुल ₹16,57,80,000.00 (सोलह करोड़ सत्तावन लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में संविदा आधारित कार्यरत 1535 तकनीकी सहायकों के मानदेय का भुगतान हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मद से कुल ₹27,000.00 (सत्ताईस हजार रूपये) मात्र प्रति माह के अनुमान्य दर से कुल 04 (चार) माह के लिए उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–'क' के अनुरूप कुल ₹16,57,80,000.00 (सोलह करोड़ सत्तावन लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश स्वीकृत्यादेश संख्या 36(स्वी०) दिनांक 11.01.2022 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–'क' के अनुरूप कुल ₹16,57,80,000.00 (सोलह करोड़ सत्तावन लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 अंतर्गत निम्नरूपेण की जायेगी:–

क्र०	बजट शीर्ष	राशि (रूपये में)
	(क) केन्द्रांश	
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0215.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980215	4,00,00,000.00
2	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0214–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0214.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515007890214	5,80,00,000.00

3	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0220–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0220.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515007960220	14,68,000.00
	कुल	**9,94,68,000.00**
	(ख) राज्यांश	
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0315–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0315.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980315	4,00,00,000.00
2	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0314–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0314.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515007890314	2,63,00,000.00
3	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0320–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0320.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515007960320	12,000.00
	कुल	**6,63,12,000.00**
	सकल योग (क+ख)	**16,57,80,000.00**

सोलह करोड़ सत्तावन लाख अस्सी हजार रूपये मात्र

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होगें, जो CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान से संबंधित Single Nodel Agency का विभागीय खाता संख्या–37804658816, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्रैया भवन, बेली रोड, पटना–15) में करेगें। संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 36(स्वी०) दिनांक 11.01.2022 के साथ संलग्न अनुलग्नक–'क' के अनुरूप आवंटित राशि का व्यय Zero Balance Subsidiary Account में Drawing Limit के अंतर्गत PFMS के Web Portal से e-Payment Print Advice के माध्यम से स्वीकृत्यादेश के आलोक में राशि व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

5. जिलों को आवंटित राशि का व्यय PFMS के नये दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जायेगा। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के पत्रांक OMF No-1(13)PFMS-FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 द्वारा उक्त से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचति है, जिसे विभागीय पत्रांक 2547 दिनांक 24.05.2021 द्वारा पूर्व में सभी जिलों को उपलब्ध कराई गई है।

6. इस आवंटित राशि के व्ययोपरांत जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को समर्पित किये जाने हेतु अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र

विहित प्रपत्र (GFR-19 A) एवं (BTC-42A) में विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

7. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

10. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020 के पृष्ठ संख्या 53/टि० पर दिनांक 13.01.2022 को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी) 14/1/2022

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/648(1) पं०रा०, पटना, दिनांक 14.01.

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय विकास भवन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06(लेखा) एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/1/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/6489 पं०रा०, पटना, दिनांक 14.01.2022

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/1/2022

(कल्पभा कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 (खण्ड)/65(अ)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक 14/01/2022

विषय : स्व० अमरजीत शर्मा, ग्राम कचहरी पंच, वार्ड संख्या–01, ग्राम पंचायत–नगहर, पिता–देवदत सिंह, ग्राम–फरीदपुर, बाघाकोल, थाना+प्रखंड–विक्रम, जिला–पटना की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, पटना के कार्यालय पत्रांक 3693 दिनांक 26.11.2021 द्वारा स्व० अमरजीत शर्मा, ग्राम कचहरी पंच, वार्ड संख्या–01, ग्राम पंचायत–नगहर, पिता–देवदत सिंह, ग्राम–फरीदपुर, बाघाकोल, थाना+प्रखंड–विक्रम, जिला–पटना की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं** पटना के कार्यालय पत्रांक 3693 दिनांक 26.11.2021 **के आलोक में जिला पदाधिकारी, पटना को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, पटना** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, पटना** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010101 है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

कृ०पृ०उ०

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 के पृष्ठ संख्या 09/टि० पर दिनांक 13/01/2022 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

14/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/राज्य स्कीम–02–09/2017(खण्ड)/65(30) पं०रा० पटना,दिनांक 14/01/2022

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/राज्य स्कीम–02–09/2017(खण्ड)/65(30) पं०रा० पटना, दिनांक 14/01/2022

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज बिभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–03 / 2021 / 66 (317) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा, सहरसा,
गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ।

पटना दिनांकः 25.01.2022

विषयः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 37(स्वी०) दिनांक 20.01.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹84,59,328.00 (चौरासी लाख उनसठ हजार तीन सौ अठाईस रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय ईकाई के लिए संविदा आधारित तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर नियोजित राज्य क्वालिटी मॉनिटर (SQM) तथा जिला क्वालिटी मॉनिटर (DQM) के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 37(स्वी०) दिनांक 20.01.2022 द्वारा **कुल ₹84,59,328.00 (चौरासी लाख उनसठ हजार तीन सौ अठाईस रूपये) मात्र की राशि की** स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के कंडिका–02 में अंकित विवरणी के अनुरूप **कुल ₹84,59,328.00 (चौरासी लाख उनसठ हजार तीन सौ अठाईस रूपये) मात्र की राशि** निम्नरूपेण आवंटित की जाती हैः–

क्र०	संविदा कर्मी का नाम	पद	निकासी एवं व्यय पदाधिकारी का नाम	आवंटित राशि-
1	2	3	4	5
1	श्री भीम प्रसाद	SQM	प्रशाखा पदाधिकारी–06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना	811520.00
2	श्री अजय कुमार पाण्डेय	SQM		782208.00
3	श्री अजय कुमार सिंह	SQM		752256.00
4	श्री विनय कुमार	SQM		730368.00
5	डॉ सुरेश स्वपनिल	SQM		709056.00
6	श्री हाकिम प्रसाद	SQM		730368.00
7	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिन्हा	SQM		801216.00
8	श्री दिनेश्वर कुमार सिंह	DQM	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	628416.00
9	श्री कृष्णदेव प्रसाद	DQM	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	647424.00

10	श्री रघुनन्दन प्रसाद	DQM	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	453888.00
11	श्री कपिल देव प्रसाद	DQM	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	120064.00
12	श्री रजनीकान्त चैधरी	DQM	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	540288.00
13	श्री ब्रजेश कुमार त्रिवेदी	DQM	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ	752256.00
कुल आवंटित राशि				**8459328.00**

चौरासी लाख उनसठ हजार तीन सौ अठाईस रूपये

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के "विषय शीर्ष–0113.31.04–सहायक अनुदान–वेतन" से वित्तीय वर्ष 2021–22 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त कंडिका–2 के विवरणी में संविदा कर्मी के नाम के सामने अंकित संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त विवरणी के अनुरूप आवंटित राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे तथा संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी उक्त विवरणी के अनुरूप आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करेंगे।

5. इस आवंटित राशि की निकासी **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 37(स्वी०) दिनांक 20.01.2022 द्वारा** के के आलोक में उक्त विवणी के अनुरूप CFMS Portal के माध्यम से करेंगे।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा की इस आवंटित राशि के व्ययोपरांत इसका अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

8. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

10. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये

जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 के पृष्ठ संख्या ...60.../टि० पर दिनांक 24.01.2022 को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

25/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/66(भा०)/पं०रा० पटना, दिनांक 25.01.202.
प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/66(भा०)/पं०रा० पटना, दिनांक 25.01.202.
प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(71)

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 (खण्ड)/ 67 पं०रा०
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया एवं कैमूर।

पटना, दिनांक 25/01/2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में **कुल ₹10,00,000.00 (दस लाख रूपये) मात्र** की अनुग्रह अनुदान की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपया में

क्र० स०	जिला का नाम	अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	मृतक जनप्रतिनिधि का विवरण	अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	गया	पत्रांक–14 दिनांक–04.01.2022	स्व० संगीता देवी, पंच, ग्राम कचहरी–बकरौर, प्रखंड–बोधगया, जिला–गया	500000.00
2	कैमूर (भभुआ)	पत्रांक–3510 दिनांक–31.12.2021	स्व० फुलझारी देवी, पंच, ग्राम कचहरी–मोकरम, ग्राम–सिंघी, प्रखंड–भगवानपुर, जिला–कैमूर (भभुआ)	500000.00
सकल योग				**1000000.00**

दस लाख रूपये मात्र

2. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के **जिला पदाधिकारी** होंगे जो राशि की निकासी संबंधित **जिला कोषागार** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.37. 01–अनुग्रह अनुदान' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010101 है।

कृ०पृ०उ०

(70)

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 के पृष्ठ संख्या 14 /टि० पर दिनांक 24.01.2022 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

24/01/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 (खण्ड)/677 पं०रा०, पटना, दिनांक 24.01.2022

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी,/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/01/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 (खण्ड)/677 पं०रा०, पटना, दिनांक 24.01.2022

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/01/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017/683(10)पं०रा०

अत्यावश्यक
ई–मेल/फैक्स

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 28.01.22

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 39(स्वी०) दिनांक 24.01.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹47,03,40,000.00 (सैंतालीस करोड़ तीन लाख चालीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 39(स्वी०) दिनांक 24.01.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय के भुगतान हेतु ₹6,000.00 (छह हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से **₹22,84,20,000.00 (बाईस करोड़ चौरासी लाख बीस हजार रूपये) मात्र** एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस के भुगतान हेतु ₹7,000.00 (सात हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से **₹24,19,20,000.00 (चौबीस करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार रूपये) मात्र** अर्थात कुल **₹47,03,40,000.00 (सैंतालीस करोड़ तीन लाख चालीस हजार रूपये) मात्र की राशि** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय तथा ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में **कुल ₹47,03,40,000.00 (सैंतालीस करोड़ तीन लाख चालीस हजार रूपये) मात्र की राशि** निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपये में।

क्र०सं०	जिला	ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय हेतु आवंटित राशि	ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियत फीस भुगतान हेतु आवंटित राशि	कुल राशि (3+4)
1	2	3	4	5
1	बक्सर	3570000.00	4060000.00	7630000.00
2	रोहतास	6780000.00	7070000.00	13850000.00
3	भोजपुर	6210000.00	6790000.00	13000000.00
4	नालन्दा	5910000.00	6265000.00	12175000.00
5	पटना	9780000.00	10850000.00	20630000.00
6	कैमूर	4080000.00	4760000.00	8840000.00
7	गया	8700000.00	10010000.00	18710000.00
8	नवादा	4980000.00	5425000.00	10405000.00

9	औरंगाबाद	6120000.00	7140000.00	13260000.00
10	जहानाबाद	2580000.00	2765000.00	5345000.00
11	अरवल	1860000.00	1190000.00	3050000.00
12	सारण	9510000.00	10080000.00	19590000.00
13	सिवान	8100000.00	9065000.00	17165000.00
14	गोपालगंज	6690000.00	6720000.00	13410000.00
15	मुजफ्फरपुर	9780000.00	8400000.00	18180000.00
16	वैशाली	8220000.00	8470000.00	16690000.00
17	पू० चम्पारण	10050000.00	9800000.00	19850000.00
18	प० चम्पारण	8760000.00	9800000.00	18560000.00
19	सीतामढ़ी	7770000.00	7175000.00	14945000.00
20	शिवहर	1590000.00	1785000.00	3375000.00
21	भागलपुर	6330000.00	6895000.00	13225000.00
22	बांका	5370000.00	6160000.00	11530000.00
23	मधुबनी	10110000.00	8995000.00	19105000.00
24	समस्तीपुर	10590000.00	10850000.00	21440000.00
25	दरभंगा	8220000.00	9940000.00	18160000.00
26	सहरसा	4050000.00	4165000.00	8215000.00
27	मधेपुरा	4410000.00	5215000.00	9625000.00
28	सुपौल	4830000.00	4690000.00	9520000.00
29	पूर्णिया	5820000.00	6475000.00	12295000.00
30	अररिया	5370000.00	5530000.00	10900000.00
31	किशनगंज	3450000.00	3605000.00	7055000.00
32	कटिहार	6810000.00	7105000.00	13915000.00
33	मुंगेर	3030000.00	3535000.00	6565000.00
34	जमुई	4380000.00	5075000.00	9455000.00
35	बेगुसराय	7470000.00	8330000.00	15800000.00
36	खगड़िया	3510000.00	4130000.00	7640000.00
37	लखीसराय	2100000.00	1785000.00	3885000.00
38	शेखपुरा	1530000.00	1820000.00	3350000.00
कुल राशि		**228420000.00**	**241920000.00**	**470340000.00**

सैंतालीस करोड़ तीन लाख चालीस हजार रूपये मात्र

3. इस राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष –0010–ग्राम कचहरी की विभिन्न मदों हेतु" मद के "विषय शीर्ष–0010.31.06–सहायक अनुदान –गैर वेतन" इकाई से की जायेगी। इसकी मांग संख्या–16 एवं वित्त कोड 16–2515001980010 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 39(स्वी०) दिनांक 24.01.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

6. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017 के पृष्ठ संख्या 25/टि० पर दिनांक 28.01.2022 को प्राप्त है।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

28/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\Estb & Comml Exp\Gram kachahri sachiv & Nyaymitr 2021-22\Letter 2021-22.docx

(109)

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017/68(2nd)/पं०रा० पटना, दिनांक 28-01-2

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा–08 एवं 05 (उपयोगिता प्रामाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017/68(2nd)/पं०रा० पटना, दिनांक 28-01-2

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक: 5प / राज्य स्कीम–02–09 / 2017 / 69 (310) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जमुई एवं समस्तीपुर।

पटना, दिनांक 28 / 01 / 2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में **कुल ₹10,00,000.00 (दस लाख रूपये) मात्र** की अनुग्रह अनुदान की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपया में

क्र० स०	जिला का नाम	अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	मृतक जनप्रतिनिधि का विवरण	अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	जमुई	पत्रांक–30 दिनांक–07.01.2022	स्व० जय प्रकाश प्रसाद, मुखिया, ग्राम पंचायत–दरखा, प्रखंड–ई० अलीगंज, जिला–जमुई	500000.00
2	समस्तीपुर	पत्रांक–193 दिनांक–17.01.2022	स्व० गणेश झा, पंच, ग्राम कचहरी–लाटबसेपुरा के प्रा०नि०क्षे० सं०–14, ग्राम+पोस्ट–लाटबसेपुरा, थाना–मुसरीघरारी, जिला–समस्तीपुर	500000.00
सकल योग				**1000000.00**

दस लाख रूपये मात्र

2. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के **जिला पदाधिकारी** होंगे जो राशि की निकासी संबंधित **जिला कोषागार** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.37. 01–अनुग्रह अनुदान' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010101 है।

कृ०पृ०उ०

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017 के पृष्ठ संख्या 201 /टि० पर दिनांक 28.01.2022 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

28/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/694 पं०रा०, पटना, दिनांक 28-01-2022
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/695 पं०रा०, पटना, दिनांक 28-01-2022
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/1/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(150)

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/703 पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 03.02.2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 38(स्वी०) दिनांक 24.01.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹98,50,00,000.00 (अन्ठानवें करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 38(स्वी०) दिनांक 24.01.2022 द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु **कुल ₹98,5000000.00 (अन्ठानवे करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र** की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–01 के अनुरूप स्वीकृत **कुल ₹98,5000000.00 (अन्ठानवे करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र** की राशि को वित्तीय वर्ष 2021–22 में निम्नरूपेण आवंटित की जाती हैः–

क्र० सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	बक्सर	10000000.00
2	रोहतास	20000000.00
3	भोजपुर	25000000.00
4	नालन्दा	30000000.00
5	पटना	25000000.00
6	कैमूर	25000000.00
7	गया	30000000.00
8	नवादा	30000000.00
9	औरंगाबाद	35000000.00
10	जहानाबाद	20000000.00
11	अरवल	10000000.00
12	सारण	30000000.00
13	सिवान	30000000.00
14	गोपालगंज	30000000.00
15	मुजफ्फरपुर	30000000.00
16	वैशाली	25000000.00
17	पू० चम्पारण	25000000.00
18	पं० चम्पारण	20000000.00
19	सीतामढ़ी	35000000.00

(2)

(149)

20	शिवहर	10000000.00
21	भागलपुर	40000000.00
22	बांका	20000000.00
23	मधुबनी	15000000.00
24	समस्तीपुर	25000000.00
25	दरभंगा	35000000.00
26	सहरसा	35000000.00
27	मधेपुरा	25000000.00
28	सुपौल	35000000.00
29	पूर्णिया	25000000.00
30	अररिया	20000000.00
31	किशनगंज	20000000.00
32	कटिहार	30000000.00
33	मुंगेर	45000000.00
34	जमुई	20000000.00
35	बेगूसराय	25000000.00
36	खगड़िया	45000000.00
37	लखीसराय	20000000.00
38	शेखपुरा	10000000.00
कुल		**985000000.00**

अन्ठानवे करोड़ पच्चास लाख रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होंगे, जो आवंटित राशि की निकासी **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 38(स्वी०) दिनांक 24.01.2022** के आलोक में संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिंता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **''मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–पंचायती राज–उपशीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवन''** मद के विषय शीर्ष **'0108.53.01–मुख्य निर्माण कार्य'** इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–4515001010108** है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

(12)

148

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019 के पृष्ठ संख्या 84/टि० पर दिनांक 02.02.2022 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

03/02/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/7037 पं०रा० पटना, दिनांक 03.02.22

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/7038 पं०रा० पटना, दिनांक 03.02.22

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/02/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/71(370)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना दिनांकः 07.02.2022

विषयः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 44(स्वी०) दिनांक 04.02.2022 के आलोक में कुल ₹36,96,95,183.00 (छत्तीस करोड़ छियानवें लाख पिचानवें हजार एक सौ तिरासी रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प–4046 दिनांक 25.07.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 44(स्वी०) दिनांक 04.02.2022 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलों के संविदा/मानदेय के आधार पर नियोजित तकनीकी सहायकों के लिए ₹19,97,70,953.00 (उन्नीस करोड़ सत्तानवें लाख सत्तर हजार नौ सौ तिरेपन रूपये) मात्र तथा लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के लिए ₹16,99,24,230.00 (सोलह करोड़ निन्यानवें लाख चौबीस हजार दो सौ तीस रूपये) मात्र अर्थात **कुल ₹36,96,95,183.00 (छत्तीस करोड़ छियानवें लाख पिचानवें हजार एक सौ तिरासी रूपये) मात्र** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में तकनीकी सहायकों तथा लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के मानदेय के भुगतान हेतु **कुल ₹36,96,95,183.00 (छत्तीस करोड़ छियानवें लाख पिचानवें हजार एक सौ तिरासी रूपये) मात्र की राशि** को निम्नरूपेण आंवंटित की जाती हैः–

क्र०	जिला का नाम	तकनीकी सहायकों के के मानदेय के भुगतान हेतु आवंटित राशि	लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु आवंटित राशि	कुल आवंटन (3+4)
1	2	3	4	5
1	Araria	4968000	8720000	**13688000**
2	Arwal	1566000	1250000	**2816000**
3	Aurangabad	3996000	2940000	**6936000**
4	Banka	3240000	2700000	**5940000**
5	Begusarai	12355200	10044000	**22399200**
6	Bhagalpur	6048000	3240000	**9288000**

7	Bhojpur	12528000	2880000	**15408000**
8	Buxar	3240000	2480000	**5720000**
9	Darbhanga	19062000	15360000	**34422000**
10	E. Champaran	7128000	4320000	**11448000**
11	Gaya	5940000	9800000	**15740000**
12	Gopalganj	2052000	2880000	**4932000**
13	Jamui	3240000	1860000	**5100000**
14	Jehanabad	2349000	3200000	**5549000**
15	Kaimur	12331157	9073710	**21404867**
16	Katihar	4644000	4700000	**9344000**
17	Khagaria	3348000	1560000	**4908000**
18	Kishanganj	3348000	3720000	**7068000**
19	Lakhisarai	1188000	1440000	**2628000**
20	Madhepura	3888000	2800000	**6688000**
21	Madhubani	7776000	7000000	**14776000**
22	Munger	3373200	2081012	**5454212**
23	Muzaffarpur	4428000	4440000	**8868000**
24	Nalanda	4860000	3240000	**8100000**
25	Nawada	3996000	2160000	**6156000**
26	Patna	5953740	4020000	**9973740**
27	Purnia	3996000	2820000	**6816000**
28	Rohtas	7020000	4160000	**11180000**
29	Saharsa	864000	4200000	**5064000**
30	Samastipur	5724000	6720000	**12444000**
31	Saran	6048000	2820000	**8868000**
32	Sheikhpura	976656	720000	**1696656**
33	Sheohar	1296000	1320000	**2616000**
34	Sitamarhi	5616000	5300000	**10916000**
35	Siwan	10800000	5000000	**15800000**
36	Supaul	3024000	6775508	**9799508**
37	Vaishali	2160000	5220000	**7380000**
38	W. Champaran	5400000	6960000	**12360000**
Total		**199770953**	**169924230**	**369695183**

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के "विषय शीर्ष–0113.31.04–सहायक अनुदान–वेतन" से वित्तीय वर्ष 2021–22 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा की इस आवंटित राशि के व्ययोपरांत इसका अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना एवं महालेखाकार, बिहार के संबंधित प्राधिकार को प्रावधानित ऑनलाईन व्यवस्था के तहत उपलब्ध करायेंगे। सभी कर्मियों को निर्धारित मानदेय के अनुमान्य दर पर नियमानुसार भुगतान एवं आवश्यक कटौती का दायित्त्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
7/02/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/71(310)/पं०रा० पटना, दिनांक 07.02.20

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा–03, 06(लेखा)

एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/71(3)/पं०रा० पटना, दिनांक 07.02.2022

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/02/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्र संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/72(311°)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–6–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 07.02.2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 42(स्वी०) दिनांक 25.01.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹14,60,31,800.00 (चौदह करोड़ साठ लाख इकतीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र की राशि के विरूद्ध कुल ₹11,04,39,080.00 (ग्यारह करोड़ चार लाख उनचालीस हजार अस्सी रूपये) मात्र की राशि का का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जिला स्तर पर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण (GPDP and Other Then GPDP) हेतु स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–I के अनुसार ₹60,31,800.00 (साठ लाख इकतीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र और जिला पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना को स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–II के अनुसार ₹14,00,00,000.00 (चौदह करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹14,60,31,800.00 (चौदह करोड़ साठ लाख इकतीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जिला स्तर पर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण (GPDP and Other Then GPDP) हेतु स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–I के अनुरूप ₹60,31,800.00 (साठ लाख इकतीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र और जिला पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना को ₹10,44,07,280.00 (दस करोड़ चौवालीस लाख सात हजार दो सौ अस्सी रूपये) मात्र अर्थात ₹11,04,39,080.00 (ग्यारह करोड़ चार लाख उनचालीस हजार अस्सी रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 अंतर्गत संबंधित बजट शीर्षों से निम्नरूपेण की जायेगी:–

राशि रूपये में

क्र०	बजट शीर्ष	आवंटित राशि
	(क) केन्द्रांश	
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0215.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड–16–2515001980215	40000000.00

2	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0214–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0214.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड–16–2515007890214	46151080.00
3	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0220–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0220.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड–16–2515007960220	1468000.00
कुल		**87619080.00**
(ख) राज्यांश		
4	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0315–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0315.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड–16–2515001980315	20000000.00
5	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0314–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0314.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड–16–2515007890314	2808000.00
6	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातिये क्षेत्र उप योजना–0320–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0320.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड–16–2515007960320	12000.00
कुल		**22820000.00**
सकल योग (क+ख)		**110439080.00**

ग्यारह करोड़ चार लाख उनचालीस हजार अस्सी रूपये मात्र

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–6–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होगें, जो आवंटित राशि के निकासी CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करते हुए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान योजना के Single Nodal Agency के विभागीय खाता संख्या–37804658816, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्रैया भवन, बेली रोड, पटना–15) में अंतरित करेगें।

5. संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 42(स्वी०) दिनांक 25.01.2022 के साथ संलग्न विवरणी–I के अनुरूप आवंटित राशि का व्यय RGSA से संबद्ध जिला स्तरीय Zero Balance Subsidiary Account में Drawing Limit के अंतर्गत PFMS के Web Portal से e-Payment Print Advice के माध्यम से नियमानुसार करना सुनिश्चित करेगें।

6. परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–II के विरूद्ध आवंटित कुल ₹10,44,07,280.00 (दस करोड़ चौवालीस लाख सात हजार दो सौ अस्सी रूपये) मात्र की राशि का व्यय Zero Balance Subsidiary Account (IA खाता सं०–40476903637, SBI) में Drawing Limit के अंतर्गत PFMS के Web Portal से e-Payment Print Advice के माध्यम से नियमानुसार करेगें। इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 42(स्वी०) दिनांक 25.01.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

(18)

7. परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी इस आवंटित राशि में से व्यय/उपयोग की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (GFR-19 A) एवं (BTC-42A) में वित्त विभाग तथा महालेखाकार, बिहार, पटना में सामायोजन हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

8. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

11. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

12. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

14. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020 के पृष्ठ संख्या 61/टि० पर दिनांक 04.02.2022 को प्राप्त है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

07/02/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/72(30)/पं०रा० पटना, दिनांक 07.02.2022

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय विकास भवन, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्रैया भवन, बेली रोड, पटना–15/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06(लेखा) एवं 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

कृ०पृ०उ०

(18)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/~~72 (III°)~~/पं०रा० पटना, दिनांक 07.02.202
प्रतिलिपिः परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्रैया भवन, बेली रोड, पटना–15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/~~72 (III°)~~/पं०रा० पटना, दिनांक 07.02.202
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/02/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी
BX

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/73(209)पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

पटना, दिनांक 08/02/2022

विषय : **स्व० जय प्रकाश यादव, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, पिता–स्व० अच्छेलाल यादव, ग्राम+पोस्ट–रोहार, ग्राम कचहरी–महिसौत, प्रखंड–बिरौल, जिला–दरभंगा की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, दरभंगा का पत्रांक 208 दिनांक 28.01.2022 द्वारा स्व० जय प्रकाश यादव, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, पिता–स्व० अच्छेलाल यादव, ग्राम+पोस्ट–रोहार, ग्राम कचहरी–महिसौत, प्रखंड–बिरौल, जिला–दरभंगा की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय आदेश संख्या 216 दिनांक 11.11.2019 एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा का पत्रांक 208 दिनांक 28.01.2022 के आलोक में जिला पदाधिकारी, दरभंगा को कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, दरभंगा होंगे जो राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. **इस आवंटित राशि की संबधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515001980010) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय के अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु' मद के विषय शीर्ष '0010.37.01–अनुग्रह अनुदान" से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515001980010** है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020 के पृष्ठ संख्या ..45.. /टि० पर दिनांक 03/02/2022 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

8/2/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020-773(31)पं०रा० पटना, दिनांक 08/02/22

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/2/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020-773(31)पं०रा० पटना, दिनांक 08/02/22

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/2/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/74(आ०)पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक 08/02/2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 43(स्वी०) दिनांक 27.01.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹4,35,00,000.00 (चार करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 43(स्वी०) दिनांक 27.01.2022 द्वारा ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों यथा–ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, पंच, न्यायमित्र तथा ग्राम कचहरी के सचिव को प्राप्त शक्तियों एवं दायित्वों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण, क्षमतावर्द्धन और उससे संबंधित रिसर्च आदि कार्य हेतु पंचायती राज पीठ (Chair) के गठन एवं Seed Money हेतु चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (CNLU), पटना को **कुल ₹4,35,00,000.00 (चार करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹4,35,00,000.00 (चार करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे। जो विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 43(स्वी०) दिनांक 27.01.2022 के आलोक में CFMS के माध्यम से आवंटित राशि की निकासी कर Central Bank of India Mithapur Bus Stand Patna Brach, Patna-800001 में Chair Professor Panchayati Raj के नाम से संधारित Saving A/C No. 3681797553 IFSC CODE-CBIN0284778 में अंतरित करायेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0102.20.03–प्रशिक्षण व्यय' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16–2515000010102 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2010 एवं 823 दिनांक 14.12.20221 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017 के पृष्ठ संख्या 87/टि० पर दिनांक 07.02.2022 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

08/02/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017-714(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/02/2022

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), 06 (लेखा), 08/लेखापाल/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/02/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017-714(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/02/2022

प्रतिलिपिः चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (CNLU), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/02/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017-714(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/02/2022

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/02/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/75(अ10)/पं०रा०

अत्यावश्यक
ई–मेल/फैक्स

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 02/02/2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 41(स्वी०) दिनांक 25.01.2022 के आलोक में कुल ₹72,32,00,000.00 (बहत्तर करोड़ बतीस लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 41(स्वी०) दिनांक 25.01.2022 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच को वित्तीय वर्ष 2021–22 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹1,37,60,000.00 (एक करोड़ सैंतीस लाख साठ हजार रूपये) मात्र, पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख तथा सदस्यों को ₹6,94,40,000.00 (छः करोड़ चौरानवें लाख चालीस हजार रूपये) मात्र, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया तथा सदस्यों का ₹32,00,00,000.00 (बतीस करोड़ रूपये) मात्र, तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹32,00,00,000.00 (बतीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल **₹72,32,00,000.00 (बहत्तर करोड़ बतीस लाख रूपये)** मात्र का स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी–I के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को ₹1,37,60,000.00 (एक करोड़ सैंतीस लाख साठ हजार रूपये) मात्र, पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख तथा सदस्यों को ₹6,94,40,000.00 (छः करोड़ चौरानवें**

लाख चालीस हजार रूपये) मात्र, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया तथा सदस्यों का ₹32,00,00,000.00 (बतीस करोड़ रूपये) मात्र, तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹32,00,00,000.00 (बतीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹72,32,00,000.00 (बहत्तर करोड़ बतीस लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के **उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्** एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के **जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 41(स्वी०) दिनांक 25.01.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सभी स्तरों से नियत भत्ते का भुगतान CFMS के माध्यम से संबंधित पदधारकों के बैंक खाते में उपलब्ध करायेंगे।

4. इस आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए तथा विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 के मांग संख्या–16 के अन्तर्गत राज्य स्कीम में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी:–

<u>जिला परिषदों के लिए–</u>

(क) सामान्य घटक:– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष–0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवंविपत्र कोड 16–2515001960106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता

हेतु।"इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890106 है।

पंचायत समितियों के लिए–

(क) सामान्य घटकः–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0103–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001970103 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0105–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890105 है।

ग्राम पंचायतों के लिए–

(क) सामान्य घटकः–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0105–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001980105 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0103–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890103 है।

ग्राम कचहरियों के लिए–

(क) सामान्य घटकः–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0106–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001980106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0104–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता

हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890104 है।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

12. इस आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

13. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017 के पृष्ठ संख्या 112/टि० पर दिनांक 07.02.2022 को प्राप्त है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

8/2/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/~~75(30)~~/पं०रा० पटना, दिनांक 08/02/2022
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

08/02/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/~~75(30)~~/पं०रा० पटना, दिनांक 08/02/2022
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवंविभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतुप्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

08/02/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद् (जिला परिषद् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001960106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	213542.00	43738.00	257280.00
2	रोहतास	317126.00	64954.00	382080.00
3	भोजपुर	301190.00	61690.00	362880.00
4	नालन्दा	355094.00	66586.00	421680.00
5	पटना	391283.00	88717.00	480000.00
6	कैमूर	205574.00	42106 00	247680.00
7	गया	420710.00	86170.00	506880.00
8	नवादा	253382.00	51898.00	305280.00
9	औरंगाबाद	277286.00	56794.00	334080.00
10	जहानाबाद	157766.00	32314.00	190080.00
11	अरवल	125894.00	25786.00	151680.00
12	सारण	428678.00	87802.00	516480.00
13	सिवान	380870.00	78010.00	458880.00
14	गोपालगंज	309158.00	63322.00	372480.00
15	मुजफ्फरपुर	484454.00	99226.00	583680.00
16	वैशाली	380870.00	78010.00	458880.00
17	पू० चम्पारण	372055.00	343467.00	715522.00
18	पं० चम्पारण	388838.00	79642.00	468480.00
19	सीतामढ़ी	356966.00	73114.00	430080.00
20	शिवहर	109958.00	22522.00	132480.00
21	भागलपुर	301190.00	61690.00	362880.00
22	बांका	253382.00	51898.00	305280.00
23	मधुबनी	500390.00	102490.00	602880.00
24	समस्तीपुर	460550.00	94330.00	554880.00
25	दरभंगा	428678.00	87802.00	516480.00
26	सहरसा	221510.00	45370.00	266880.00
27	मधेपुरा	237446.00	48634.00	286080.00
28	सुपौल	253382.00	51898.00	305280.00
29	पूर्णियाँ	325094.00	66586.00	391680.00
30	अररिया	261222.00	60058.00	321280.00
31	किशनगंज	197606.00	40474.00	238080.00
32	कटिहार	317124.00	64954.00	382078.00
33	मुंगेर	165734.00	33946.00	199680.00
34	जमुई	213542.00	43738.00	257280.00
35	बेगुसराय	383062.00	68218.00	451280.00
36	खगड़िया	197606.00	40474.00	238080.00
37	लखीसराय	141830.00	29050.00	170880.00
38	शेखपुरा	109958.00	22522.00	132480.00
	कुल राशि	11200000.00	2560000.00	13760000.00

कुल: एक करोड़ सैंतीस लाख साठ हजार रूपये मात्र

(कुलदीप कुमारी)
अनुभवी पदाधिकारी

विवरणी–II

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप–प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001970103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	1093210.00	223900.00	1317110.00
2	रोहतास	1839000.00	376660.00	2215660.00
3	भोजपुर	1568100.00	321170.00	1889270.00
4	नालन्दा	1918694.00	392980.00	2311674.00
5	पटना	1944100.00	403370.00	2347470.00
6	कैमूर	1048580.00	214770.00	1263350.00
7	गया	2457330.00	503300.00	2960630.00
8	नवादा	1389610.00	284620.00	1674230.00
9	औरंगाबाद	1364120.00	279390.00	1643510.00
10	जहानाबाद	697990.00	142960.00	840950.00
11	अरवल	487640.00	99870.00	587510.00
12	सारण	2310720.00	473280.00	2784000.00
13	सिवान	1972870.00	404000.00	2376870.00
14	गोपालगंज	1599970.00	327700.00	1927670.00
15	मुजफ्फरपुर	2348960.00	481110.00	2830070.00
16	वैशाली	1921880.00	393630.00	2315510.00
17	पू० चम्पारण	3065336.00	480870.00	3546206.00
18	प्र० चम्पारण	2078000.00	425620.00	2503620.00
19	सीतामढ़ी	1928250.00	394940.00	2323190.00
20	शिवहर	436640.00	89400.00	526040.00
21	भागलपुर	1663710.00	340760.00	2004470.00
22	बांका	1252570.00	256550.00	1509120.00
23	मधुबनी	2639000.00	540500.00	3179500.00
24	समस्तीपुर	2492390.00	510500.00	3002890.00
25	दरभंगा	2189600.00	448470.00	2638070.00
26	सहरसा	1070900.00	219300.00	1290200.00
27	मधेपुरा	1255750.00	257200.00	1512950.00
28	सुपौल	1268500.00	259800.00	1528300.00
29	पूर्णियाँ	1666900.00	341400.00	2008300.00
30	अररिया	1338620.00	274180.00	1612800.00
31	किशनगंज	850980.00	174300.00	1025280.00
32	कटिहार	1708330.00	349900.00	2058230.00
33	मुंगेर	806360.00	165200.00	971560.00
34	जमुई	129460.00	210900.00	340360.00
35	बेगुसराय	1794390.00	367500.00	2161890.00
36	खगड़िया	879660.00	180200.00	1059860.00
37	लखीसराय	650180.00	133200.00	783380.00
38	शेखपुरा	471700.00	96600.00	568300.00
	कुल राशि	57600000.00	11840000.00	69440000.00

कुल: छः करोड़ चौरानवें लाख चालीस हजार रूपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\Allowance of PRIs 2021-22\sudhi vivamisudhi vivami2 (6)

विवरणी–III

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	4603600.00	942900.00	5546500.00
2	रोहतास	7439560.00	1523740.00	8963300.00
3	भोजपुर	7743600.00	1586100.00	9329700.00
4	नालन्दा	7871750.00	1612250.00	9484000.00
5	पटना	8715100.00	1789700.00	10504800.00
6	कैमूर	4469400.00	915400.00	5384800.00
7	गया	10673600.00	2186100.00	12859700.00
8	नवादा	5934250.00	1215450.00	7149700.00
9	औरंगाबाद	6601650.00	1352150.00	7953800.00
10	जहानाबाद	2978700.00	610100.00	3588800.00
11	अरवल	2044590.00	418710.00	2463300.00
12	सारण	10592950.00	2169650.00	12762600.00
13	सिवान	9499760.00	1945740.00	11445500.00
14	गोपालगंज	7449440.00	1525760.00	8975200.00
15	मुजफ्फरपुर	12358370.00	2531230.00	14889600.00
16	वैशाली	9273410.00	1899390.00	11172800.00
17	पू० चम्पारण	11376170.00	2325600.00	13701770.00
18	प० चम्पारण	9901000.00	2027900.00	11928900.00
19	सीतामढ़ी	8897350.00	1822350.00	10719700.00
20	शिवहर	1730960.00	354540.00	2085500.00
21	भागलपुर	7449740.00	1525860.00	8975600.00
22	बांका	5838950.00	1195950.00	7034900.00
23	मधुबनी	12872460.00	2636540.00	15509000.00
24	समस्तीपुर	12191700.00	2497100.00	14688800.00
25	दरभंगा	10464550.00	2143350.00	12607900.00
26	सहरसा	4845200.00	992400.00	5837600.00
27	मधेपुरा	5306690.00	1086910.00	6393600.00
28	सुपौल	5876240.00	1203560.00	7079800.00
29	पूर्णियाँ	7853900.00	1608600.00	9462500.00
30	अररिया	6991440.00	1431960.00	8423400.00
31	किशनगंज	4104100.00	840600.00	4944700.00
32	कटिहार	7628860.00	1562540.00	9191400.00
33	मुंगेर	3206950.00	656840.00	3863790.00
34	जमुई	4688690.00	960350.00	5649040.00
35	बेगुसराय	7568960.00	1550210.00	9119170.00
36	खगड़िया	4278180.00	876240.00	5154420.00
37	लखीसराय	2592790.00	531020.00	3123810.00
38	शेखपुरा	1685390.00	345210.00	2030600.00
	कुल राशि	265600000.00	54400000.00	320000000.00

कुल: बतीस करोड़ रूपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुमंडल पदाधिकारी

विवरणी–IV

वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890104 के विषय शीर्ष–0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	4603600.00	942900.00	5546500.00
2	रोहतास	7439560.00	1523740.00	8963300.00
3	भोजपुर	7743600.00	1586100.00	9329700.00
4	नालन्दा	7871750.00	1612250.00	9484000.00
5	पटना	8715100.00	1789700.00	10504800.00
6	कैमूर	4469400.00	915400.00	5384800.00
7	गया	10673600.00	2186100.00	12859700.00
8	नवादा	5934250.00	1215450.00	7149700.00
9	औरंगाबाद	6601650.00	1352150.00	7953800.00
10	जहानाबाद	2978700.00	610100.00	3588800.00
11	अरवल	2044590.00	418710.00	2463300.00
12	सारण	10592950.00	2169650.00	12762600.00
13	सिवान	9499760.00	1945740.00	11445500.00
14	गोपालगंज	7449440.00	1525760.00	8975200.00
15	मुजफ्फरपुर	12358370.00	2531230.00	14889600.00
16	वैशाली	9273410.00	1899390.00	11172800.00
17	पू० चम्पारण	11376170.00	2325600.00	13701770.00
18	प० चम्पारण	9901000.00	2027900.00	11928900.00
19	सीतामढ़ी	8897350.00	1822350.00	10719700.00
20	शिवहर	1730960.00	354540.00	2085500.00
21	भागलपुर	7449740.00	1525860.00	8975600.00
22	बांका	5838950.00	1195950.00	7034900.00
23	मधुबनी	12872460.00	2636540.00	15509000.00
24	समस्तीपुर	12191700.00	2497100.00	14688800.00
25	दरभंगा	10464550.00	2143350.00	12607900.00
26	सहरसा	4845200.00	992400.00	5837600.00
27	मधेपुरा	5306690.00	1086910.00	6393600.00
28	सुपौल	5876240.00	1203560.00	7079800.00
29	पूर्णियाँ	7853900.00	1608600.00	9462500.00
30	अररिया	6991440.00	1431960.00	8423400.00
31	किशनगंज	4104100.00	840600.00	4944700.00
32	कटिहार	7628860.00	1562540.00	9191400.00
33	मुंगेर	3206950.00	656840.00	3863790.00
34	जमुई	4688690.00	960350.00	5649040.00
35	बेगुसराय	7568960.00	1550210.00	9119170.00
36	खगड़िया	4278180.00	876240.00	5154420.00
37	लखीसराय	2592790.00	531020.00	3123810.00
38	शेखपुरा	1685390.00	345210.00	2030600.00
	कुल राशि	265600000.00	54400000.00	320000000.00

कुल: बतीस करोड़ रूपये मात्र

(कल्पना [illegible])
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्र संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/76(स्वी)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–6–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14/02/2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 40(स्वी०) दिनांक 25.01.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹23,60,00,000.00 (तेईस करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र की राशि के विरूद्व कुल ₹23,00,00,000.00 (तेईस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 40(स्वी०) दिनांक 25.01.2022 द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–I के अनुसार 116 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु प्रति भवन ₹20.00 लाख की दर से कुल ₹23,20,00,000.00 (तेईस करोड़ बीस लाख रूपये) एवं 10 CSC Co-Location हेतु प्रति पंचायत ₹4.00 लाख रूपये की दर से कुल ₹40,00,000.00 (चालीस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹23,60,00,000.00 (तेईस करोड़ साठ लाख रूपये) स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त के आलोक में इस आवंटनादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक–01 के अनुरूप 113 पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु प्रति भवन ₹20.00 लाख की दर से कुल ₹22,60,00,000.00 (बाईस करोड़ साठ लाख रूपये) एवं 10 CSC co location हेतु प्रति पंचायत ₹4.00 लाख रूपये की दर से कुल ₹40,00,000.00 (चालीस लाख रूपये) अर्थात कुल ₹23,00,00,000.00 (तेईस करोड़ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 अंतर्गत संबंधित बजट शीर्षो से निम्नरूपेण की जायेगी:–

CSS

राशि रूपये में

क्र0	बजट शीर्ष	पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु	सेवा केन्द्र (CSC) कक्ष निर्माण हेतु	कुल आवंटित राशि (3+4)
1	2	3	4	5
1	मांग संख्या–16 के योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) मद के "विषय शीर्ष–0215–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन" (विपत्र कोड–16–2515001980215) ।	80221080.00	2400000.00	82621080.00

2	मांग संख्या–16 के योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0214–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज् अभियान (आरजीएसए) मद के "विषय शीर्ष–0214–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन" (विपत्र कोड–16–2515007890214) ।	58978920.00	0.00	58978920.00
Total(css)		139200000.00	2400000.00	141600000.00
SS				
1	मांग संख्या–16 के योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0315–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज् अभियान (आरजीएसए) मद के "विषय शीर्ष–0315–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन" (विपत्र कोड–16–2515001980315) ।	86800000.00	1600000.00	88400000.00
Total(ss)		86800000.00	1600000.00	88400000.00
Total(css+ss)		226000000.00	4000000.00	230000000.00

तेईस करोड़ रूपये मात्र

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–6–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होगें, जो आवंटित राशि के निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 40(स्वी०) दिनांक 25.01.2022 के निदेश के आलोक में CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी कर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान से संबंधित Single Nodal Agency के विभागीय खाता संख्या–37804658816, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्रैया भवन, बेली रोड, पटना–15) में अंतरित करेगें। ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कार्य की भापीपुस्त सहित अभ्यावेदन जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरांत जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा संलग्न अनुलग्नक–01 के अनुरूप राशि की निकासी हेतु सहमति प्रदान करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित ग्राम पंचायत आवंटित राशि का व्यय Zero Balance Subsidiary Account में Drawing Limit के अंतर्गत PFMS के Web Portal से e-Payment Print Advice के माध्यम से नियमानुसार करना सुनिश्चित करेगें।

5. ग्राम पंचायत व्ययोपरांत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (GFR-19 A) एवं (BTC-42A) में शीघ्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. इस आवंटित राशि का किसी अन्य दुसरे मद में विचलन किसी भी परिस्थति में नहीं किया जायेगा। इसका कड़ाई से अनुपालन करना सुनिशचित किया जायेगा।

7. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

10. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020 के पृष्ठ संख्या 69/टि० पर दिनांक 11.02.2022 को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नकः– यथा उर्पयुक्त।

विश्वासभाजन

14/02/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/76(भा०)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/02/2022

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय विकास भवन, बिहार, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना–15/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06(लेखा) एवं 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथा उर्पयुक्त।

14/02/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/77(भा०)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/02/2022

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथा उर्पयुक्त।

14/02/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2021–22 में केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत 113 पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु प्रति भवन ₹20.00 लाख की दर से ₹22,60,00,000.00 (बाईस करोड़ साठ लाख रूपये) एवं 10 CSC co location हेतु प्रति CSC ₹4.00 लाख की दर से कुल ₹40,00,000.00 (चालीस लाख रूपये) अर्थात कुल ₹23,00,00,000.00 (तेईस करोड़ रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपये में

क्र०सं०	जिला का नाम	पंचायत की संख्या	20 लाख की दर से	CSC co location की संख्या	4 लाख की दर से	कुल आवंटित राशि
			3X20 लाख		3X4 लाख	
1	2	3	4	5	6	7
1	बक्सर	3	6000000.00	1	400000.00	6400000.00
2	रोहतास	3	6000000.00	1	400000.00	6400000.00
3	भोजपुर	3	6000000.00	1	400000.00	6400000.00
4	नालंदा	3	6000000.00	1	400000.00	6400000.00
5	पटना	3	6000000.00	1	400000.00	6400000.00
6	कैमूर	3	6000000.00	1	400000.00	6400000.00
7	गया	3	6000000.00	1	400000.00	6400000.00
8	नवादा	3	6000000.00	1	400000.00	6400000.00
9	औरंगाबाद	3	6000000.00	1	400000.00	6400000.00
10	जहानाबाद	3	6000000.00	1	400000.00	6400000.00
11	अरवल	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
12	सारण(छपरा)	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
13	सीवान	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
14	गोपालगंज	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
15	मुजफ्फरपुर	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
16	वैशाली	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
17	पूर्वी चम्पारण	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
18	पश्चिम चम्पारण	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
19	सीतामढ़ी	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
20	शिवहर	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
21	भागलपुर	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
22	बांका	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
23	मधुबनी	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
24	समस्तीपुर	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
25	दरभंगा	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
26	सहरसा	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
27	मधेपुरा	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
28	सुपौल	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
29	पूर्णियां	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
30	अररिया	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
31	किशनगंज	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
32	कटिहार	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
33	मुंगेर	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
34	जमुई	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
35	बेगूसराय	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
36	खगड़िया	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
37	लखीसराय	3	6000000.00	0	0.00	6000000.00
38	शेखपुरा	2	4000000.00	0	0.00	4000000.00
	कुल योग :–	113	226000000.00	10	4000000.00	230000000.00

तेईस करोड़ रूपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/77(अ)पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 15/02/2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 45(स्वी०) दिनांक 07.02.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,22,68,000.00 (तीन करोड़ बाईस लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 45(स्वी०) दिनांक 07.02.2022 द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी (कुल 8067 ग्राम कचहरियों) को प्रशासनिक व्यय हेतु ₹4,000.00 (चार हजार रूपये) मात्र की दर से कुल ₹3,22,68,000.00 (तीन करोड़ बाईस लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश 45(स्वी०) दिनांक 07.02.2022 एवं इसके साथ संलग्न जिलावार विवरणी अनुलग्नक–1 के अनुसार कुल ₹3,22,68,000.00 (तीन करोड़ बाईस लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष "0112.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000112 है।

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। जिला कोषागार से उक्त राशि को सीधे ग्राम कचहरी के खाते में CFMS के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। राशि की निकासी ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ग्राम कचहरियों को आवंटित राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को ससमय महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से समायोजन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

कृ०प०उ०.....

6. राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017 के पृष्ठ संख्या 26/टि० पर दिनांक 11.02.2022 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्रामसभाजन
11/2/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017 77(3)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/02/2022

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रामण पत्र कोषांग) एवं 08 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/2/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017 77(3)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/02/2022

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/2/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/78 (आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
नालंदा, सहरसा एंव बेगुसराय,
प्रमंडलीय उप निदेशक,
पंचायत राज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं सहरसा।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, अररिया, बेगुसराय, कटिहार एवं लखीसराय ।

पटना, दिनांक 2/3/2022

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष –0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹24,94,43,000.00 (चौबीस करोड़ चौरानबे लाख तैंतालीस हजार रूपये) मात्र** की राशि आवंटित की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 570 दिनांक 27.01.2022 के आलोक में श्री रवि कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, उप निदेशक, पंचायत राज, सहरसा को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी का क्रम संख्या–06 में राशि आवंटित है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

5. इस आवंटित राशि से नियमानुसार बकाये का भुगतान किया जा सकेगा। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखासंधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 के पृष्ठ संख्या ...41.../टि० पर दिनांक 26.02.2022 को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010003 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

2/3/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 7[illegible] पं०रा० पटना, दिनांक 2/3/2022

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

2/3/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 7[illegible] पं०रा० पटना, दिनांक 2/3/2022

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

2/3/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

विवरणी–01

वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन– उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" अन्तर्गत व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) विवरणी।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन											
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	कुल	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	विधुत प्रभार 0003.13.04	वर्दी / पोशाक 0003.13.06	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु												
1	उप विकास आयुक्त, नालन्दा	500000.00	175000.00	40000.00	20000.00	7000.00	**742000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹	**742000.00**
2	उप विकास आयुक्त, सहरसा	200000.00	70000.00	15000.00	7000.00	2000.00	**294000.00**	0.00	0.00	0.00	10000.00	₹	**304000.00**
3	उप विकास आयुक्त, बेगुसराय	500000.00	175000.00	40000.00	20000.00	7000.00	**742000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹	**742000.00**
	कुल	**1200000.00**	**420000.00**	**95000.00**	**47000.00**	**16000.00**	**1778000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10000.00**	₹	**1788000.00**
	प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु												
4	उप निदेशक, पंचायत राज, मुजफ्फरपुर	0.00	310000.00	0.00	4600.00	40000.00	**354600.00**	0.00	15000.00	330000.00	0.00	₹	**699600.00**
5	उप निदेशक, पंचायत राज, भागलपुर	718000.00	260000.00	58000.00	18000.00	12000.00	**1066000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹	**1066000.00**
6	उप निदेशक, पंचायत राज, सहरसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	49700.00	10000.00	0.00	5000.00	₹	**64700.00**
		718000.00	**570000.00**	**58000.00**	**22600.00**	**52000.00**	**1420600.00**	**49700.00**	**25000.00**	**330000.00**	**5000.00**	₹	**1830300.00**
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु												
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	60000.00	0.00	0.00	₹	**60000.00**
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	5000.00	₹	**5000.00**
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	36000.00	0.00	0.00	₹	**36000.00**
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	20000.00	0.00	₹	**20000.00**
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	45700.00	0.00	0.00	₹	**45700.00**
	कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141700.00**	**20000.00**	**5000.00**	₹	**166700.00**

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन										
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	कुल	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	विद्युत प्रभार 0003.13.04	वर्दी / पोशाक 0003.13.06	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु												
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	7000000.00	2450000.00	600000.00	300000.00	21000.00	**10371000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ **10371000.00**
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	8400000.00	2940000.00	720000.00	360000.00	25000.00	**12445000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ **12445000.00**
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	7000000.00	2450000.00	600000.00	300000.00	21000.00	**10371000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ **10371000.00**
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	8400000.00	2940000.00	720000.00	360000.00	25000.00	**12445000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ **12445000.00**
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	34000000.00	11900000.00	2700000.00	1400000.00	80000.00	**50080000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ **50080000.00**
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	20000000.00	7000000.00	1800000.00	900000.00	50000.00	**29750000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ **29750000.00**
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	28000000.00	9800000.00	2400000.00	1200000.00	60000.00	**41460000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ **41460000.00**
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	20000000.00	7000000.00	1800000.00	900000.00	50000.00	**29750000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ **29750000.00**
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	20000000.00	7000000.00	1800000.00	900000.00	50000.00	**29750000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ **29750000.00**
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	13000000.00	4550000.00	1100000.00	550000.00	36000.00	**19236000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ **19236000.00**
कुल		**165800000.00**	**58030000.00**	**14240000.00**	**7170000.00**	**418000.00**	**245658000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	₹ **245658000.00**
सकल योग		**167718000.00**	**59020000.00**	**14393000.00**	**7239600.00**	**486000.00**	**248856600.00**	**49700.00**	**166700.00**	**350000.00**	**20000.00**	₹ **249443000.00**

(चौबीस करोड़ चौरानबे लाख तैंतालीस हजार रूपये) मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्र संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020(खण्ड)/79(आर)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–6–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 03/03/2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 22(स्वी०) दिनांक 16.08.2021 के आलोक में कुल ₹5,00,000.00(पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्राम पंचायत–धरनई (प्रखंड–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद) को Panchayat Learning Centre के रूप में विकसित करने हेतु ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपया) मात्र की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपया) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या 16 के अन्तर्गत निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

क्र०	बजट शीर्ष	राशि (रूपया में)
	(क) केन्द्रांश	
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0215.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड–16–2515001980215	300000.00
	कुल	**300000.00**
	(ख) राज्यांश	
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0315–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0315.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980315	200000.00
	कुल	**200000.00**
	सकल योग (क+ख)	**500000.00**

पाँच लाख रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होगें, जो CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से संबंधित Single Nodal Agency का विभागीय खाता संख्या–37804658816, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्रैया भवन,

बेली रोड, पटना–15) में करेगें एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद PFMS के माध्यम से आवंटित राशि का व्यय Zero Balance Subsidiary Account में Drawing Limit तयनुसार PFMS के Web Portal से E-Payment Print Advie के माध्यम से नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा PLC हेतु चयनित धरनई ग्राम पंचायत की अधियाचना के आलोक में आवश्कतानुसार उपस्कर/उपकरण इत्यादि का क्रय स्वीकृत एवं आवंटित राशि निम्नानुसार किया जायेगा और क्रय किये गये सामग्री को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त उपस्कर/उपकरण इत्यादि का विवरण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री परिसम्पत्ति पंजी में दर्ज किया जायेगा तथा उपयोग किया जायेगा। Panchayat Learning Center विकसित करने से संबंधित आवश्यक गतिविधियों हेतु कुछ आवश्यक उपस्कर/उपकरण का विवरण स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न Annexure-1 के रूप में संलग्न है।

5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा राशि के व्ययोपरांत आवंटित राशि का पंचायती राज मंत्रालय के विहित प्रपत्र (GFR-19 A) एवं (BTC-42A) में विभाग तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

6. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद को आवंटित राशि का व्यय PFMS के नये दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जायेगा। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, Department Of Expenditure के OMF NO-1(13)PFMS-FCD/2020 Date 23.03.2021 का पत्र सभी को निर्गत है।

7. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

10. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020 (खण्ड) के पृष्ठ संख्या 17/टि० पर दिनांक 11.02.2022 को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

28/2/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020(खण्ड)/7902/पं०रा० पटना, दिनांक 03/03/2
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय विकास भवन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06(लेखा) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020(खण्ड)/7902/पं०रा०पटना, दिनांक 03/03/2
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/2/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/.80(311) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 07/3/2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 46(स्वी०) दिनांक 17.02.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,91,20,000.00 (तीन करोड़ इक्यानबे लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में वैसे ग्राम कचहरी जिन्हें अपना भवन नहीं है, को प्रतिमाह अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रूपये) मात्र की दर से भवन किराया हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 46(स्वी०) दिनांक 17.02.2022 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–1 के अनुसार कुल ₹3,91,20,000.00 (तीन करोड़ इक्यानबे लाख बीस हजार रूपये) मात्र अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश 46(स्वी०) दिनांक 17.02.2022 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–1 के अनुरूप कुल ₹3,91,20,000.00 (तीन करोड़ इक्यानबे लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष "0112.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000112 है।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी सभी ग्राम कचहरी के खाता में सीधे CFMS के माध्यम से राशि अंतरित करेगें। राशि का भुगतान ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ग्राम कचहरी द्वारा राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. आवंटित राशि की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 46(स्वी०) दिनांक 17.02.2022 में दिये गये निर्देशो एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य

शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017 के पृष्ठ संख्या 33 /टि० पर दिनांक 02.03.2022 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

7/03/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/80(प्र०)/पं०रा० पटना, दिनांक 07/3/2022

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रामण पत्र कोषांग) एव 08 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/03/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/80(प्र०)/पं०रा० पटना, दिनांक 07/3/2022

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/03/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्र संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/81(आर)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–6–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 07/3/2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 47(स्वी०) दिनांक 26.02.2022 के आलोक में संविदा आधारित कार्यरत 1455 तकनीकी सहायकों के मानेदय के भुगतान हेतु कुल ₹3,92,85,000.00 (तीन करोड़ बयानवे लाख पचासी हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत संविदा/मानदेय के आधार पर नियोजित 1455 तकनीकी सहायकों के मानदेय का भुगतान हेतु ₹27,000.00 (सत्ताईस हजार रूपये) मात्र प्रति माह के अनुमान्य दर से कुल 01 (एक) माह के लिए उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–'क' के अनुरूप कुल ₹3,92,85,000.00 (तीन करोड़ बयानवे लाख पचासी हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश स्वीकृत्यादेश संख्या 47(स्वी०) दिनांक 26.02.2022 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–'क' के अनुरूप कुल ₹3,92,85,000.00 (तीन करोड़ बयानवे लाख पचासी हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 अंतर्गत संबंधित बजट शीर्षो से निम्नरूपेण की जायेगी:–

क्र०	बजट शीर्ष	राशि (रूपये में)
	(क) केन्द्रांश	
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0215.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980215	25000000.00
2	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0220–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष– 0220.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड–16–2515007960220	4749000.00
	कुल	29749000.00

(ख) राज्यांश		
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0315–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0315.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980315	7144000.00
2	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0320–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0320.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515007960320	2392000.00
कुल		9536000.00
सकल योग (क+ख)		39285000.00

तीन करोड़ बयानवे लाख पचासी हजार रूपये मात्र

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–6–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होगें, जो आवंटित राशि के निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 47(स्वी०) दिनांक 26.02.2022 के निदेश के आलोक में CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी कर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान से संबंधित Single Nodal Agency के विभागीय खाता संख्या–37804658816, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्रैया भवन, बेली रोड, पटना–15) में अंतरित करेगें। संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 47(स्वी०) दिनांक 26.02.2022 के साथ संलग्न अनुलग्नक–"क" के अनुरूप आवंटित राशि का व्यय Zero Balance Subsidiary Account में Drawing Limit के अंतर्गत PFMS के Web Portal से e-Payment Print Advice के माध्यम से स्वीकृत्यादेश के आलोक में राशि व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

5. जिलों को कर्णाकित राशि का व्यय PFMS के नये दिशा–निदेश के अनुरूप किया जायेगा। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के पत्रांक OMF No-1(13)PFMS-FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 द्वारा उक्त से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है, जिसे विभागीय पत्रांक 2547 दिनांक 24.05.2021 के माध्यम सभी जिलों को उपलब्ध कराई गई है।

6. जिला पंचायत राज पदाधिकारी राशि के व्ययोपरान्त उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र (GFR-19 A) एवं (BTC-42A) में विभाग को महालेखाकार कार्यालय में समायोजन हेतु तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

10. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11 वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020 के पृष्ठ संख्या 69/टि० पर दिनांक 04.03.2022 को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

7/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/8(अ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 07/3/2022

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी (औरंगाबाद एवं गोपालगंज को छोड़कर)/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् (औरंगाबाद एवं गोपालगंज को छोड़कर)/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी (औरंगाबाद एवं गोपालगंज को छोड़कर)/सभी कोषागार पदाधिकारी (औरंगाबाद एवं गोपालगंज को छोड़कर)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय विकास भवन, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06(लेखा) एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/8(अ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 07/3/2022

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/82(अ)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
औरंगाबाद, भागलपुर, जहानाबाद,
मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सिवान एवं वैशाली।

पटना, दिनांक 08/03/2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49(स्वी०) दिनांक 28.02.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹78,18,000.00 (अठहत्तर लाख अठारह हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49(स्वी०) दिनांक 28.02.2022 द्वारा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में संविदा/मानदेय पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल **₹78,18,000.00 (अठहत्तर लाख अठारह हजार रूपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल **₹78,18,000.00 (अठहत्तर लाख अठारह हजार रूपये)** मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपये में

क्र०	DPRO के कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	औरंगाबाद	726000.00
2	भागलपुर	1788000.00
3	जहानाबाद	250000.00
4	मधुबनी	1279000.00
5	मुजफ्फरपुर	700000.00
6	सहरसा	775000.00
7	सिवान	1800000.00
8	वैशाली	500000.00
	कुलः–	**7818000.00**

अठहत्तर लाख अठारह हजार रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या 16 के राज्य [illegible] योग अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00– लघुशीर्ष–001–[illegible] देशन

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\P 2515000010102\Letter.docx

एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना' मद के विषय शीर्ष '0102.28.02–संविदा सेवाएँ' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16–2515000010102 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021, 823 दिनांक 14.12.2021 एवं 1598 दिनांक 28.02.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

08/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/82(आ)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रमाण–पत्र कोषांग), प्रशाखा–03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/82(आ)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\P 2515000010102\Letter.docx

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/83(आ०)/पं०रा०

अत्यावश्यक
स्पीड पोस्ट/ई–मेल

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
कटिहार, नवादा, पश्चिम चम्पारण,
सहरसा, पूर्णियां, वैशाली एवं सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक 08/03/2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 48(स्वी०) दिनांक 28.02.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹9,98,000.00 (नौ लाख अनठानवे हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 48(स्वी०) दिनांक 28.02.2022 द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय मे अनुबंध/संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यलपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल **₹9,98,000.00 (नौ लाख अनठानवे हजार रूपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल **₹9,98,000.00 (नौ लाख अनठानवे हजार रूपये)** मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपये में

क्र०	DPRO के कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	कटिहार	147000.00
2	नवादा	150000.00
3	पूर्णिया	162000.00
4	सहरसा	177000.00
5	सीतामढ़ी	144000.00
6	वैशाली	50000.00
7	प० चम्पारण	168000.00
	कुलः–	**998000.00**

नौ लाख अनठानवे हजार रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या 16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00– लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना' मद के विषय शीर्ष '0102.28.02–संविद सेवाएँ' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16–2515000010102 है।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\P 2515000010102 letter.docx

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021, 823 दिनांक 14.12.2021 एवं 1598 दिनांक 28.02.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

08/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/823 (आ)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रमाण–पत्र कोषांग), प्रशाखा–03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/823 (आ)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\P 2515000010102\Letter.docx

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/84(अ)पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 08/03/2022

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 50(स्वी०) दिनांक 02.03.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹3,52,79,000.00 (तीन करोड़ बावन लाख उन्यासी हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 50(स्वी०) दिनांक 02.03.2022 द्वारा''मुख्यमंत्री निश्चय योजना'' अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु **कुल ₹3,52,79,000.00 (तीन करोड़ बावन लाख उन्यासी हजार रूपये) मात्र की राशि** स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न' विवरणी–A' के अनुरूप गया जिले के कुल 10 ग्राम पंचायतों को अंतरित कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं इसके साथ संलग्न विवरणी–A के अनुरूप कुल ₹3,52,79,000.00 (तीन करोड़ बावन लाख उन्यासी हजार रूपये) की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगीः–

क्र०	योजना शीर्ष	राशि रूपये में
1	''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना''। विपत्र कोड–16-2515001980113 विषय शीर्ष–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	20814610.00
2	''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना''। विपत्र कोड–16-2515007890112 विषय शीर्ष–0112.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	13406020.00

3	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना योजना–उपशीर्ष–0119–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007960119 विषय शीर्ष–0119.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	1058370.00
	कुल	**35279000.00**

तीन करोड़ बावन लाख उन्यासी हजार रूपये मात्र

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो CFMS के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 50(स्वी०) दिनांक 02.03.2022** के साथ संलग्न 'विवरणी–A' के अनुरूप संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021, 823 दिनांक 14.12.2021 एवं 1598 दिनांक 28.02.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 के पृष्ठ संख्या ....68./टि० पर दिनांक 07.03.22 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

07.03.2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2021/845(30)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध (गया)/ जिला पदाधिकारी, गया/ प्रमंडलीय उप निदेशक, मगध (गया)/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गया/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03, 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06/प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/845(30)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/85(आ)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), सिवान,
शिवहर, नवादा, बांका, मुंगेर, लखीसराय,
सहरसा, खगड़िया, कैमूर, रोहतास एवं भोजपुर।

पटना, दिनांक 10/3/2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 51(स्वी०) दिनांक 05.03.2022 के आलोक में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर हुए व्यय के भुगतान हेतु कुल ₹53,65,01,402.00 (तिरेपन करोड़ पैंसठ लाख एक हजार चार सौ दो रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 51(स्वी०) दिनांक 05.03.2022 द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर हुए व्यय के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.11.01–यात्रा व्यय" इकाई में कुल ₹1,37,64,846.00 (एक करोड़ सैंतीस लाख चौंसठ हजार आठ सौ छियालीस रूपये) मात्र एवं विषय शीर्ष "0002.13.01–कार्यालय व्यय" इकाई में कुल ₹52,27,36,556.00 (बावन करोड़ सताईस लाख छतीस हजार पाँच सौ छप्पन रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹53,65,01,402.00 (तिरेपन करोड़ पैंसठ लाख एक हजार चार सौ दो रूपये) मात्र की राशि (उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी के अनुरूप) स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर हुए व्यय के भुगतान हेतु उक्त बजट शीर्ष के विषय शीर्ष "0002.11.01–यात्रा व्यय" इकाई में कुल ₹1,37,64,846.00 (एक करोड़ सैंतीस लाख चौंसठ हजार आठ सौ छियालीस रूपये) मात्र एवं विषय शीर्ष "0002.13.

01–कार्यालय व्यय" इकाई में कुल ₹52,27,36,556.00 (बावन करोड़ सताईस लाख छतीस हजार पाँच सौ छप्पन रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹53,65,01,402.00 (तिरेपन करोड़ पैंसठ लाख एक हजार चार सौ दो रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपये में

क्र०	जिला का नाम	0002.11.1–यात्रा व्यय	0002.13.01–कार्यालय व्यय	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	सिवान	0.00	54455495.00	54455495.00
2	शिवहर	0.00	9658091.00	9658091.00
3	नवादा	0.00	55910000.00	55910000.00
4	बाँका	1832389.00	70331684.00	72164073.00
5	मुंगेर	1000992.00	73383337.00	74384329.00
6	लखीसराय	500000.00	19508653.00	20008653.00
7	सहरसा	0.00	39200000.00	39200000.00
8	खगड़िया	1160000.00	50840000.00	52000000.00
9	कैमूर	881000.00	37600000.00	38481000.00
10	रोहतास	3850000.00	60000000.00	63850000.00
11	भोजपुर	4540465.00	51849296.00	56389761.00
	कुल	**13764846.00**	**522736556.00**	**536501402.00**

तिरेपन करोड़ पैंसठ लाख एक हजार चार सौ दो रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)** होंगे। **इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16–2015001090002 है।**

4. यह राशि इस शर्त्त के साथ आवंटित की जाती है कि संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगें।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021, 823 दिनांक 14.12.2021 एवं 1598 दिनांक 28.02.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित **जिला कोषागार** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग

संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके। निर्वाचन मद में पूर्व के लंबित ए०सी०/डी०सी० विपत्रों का समायोजन महालेखाकार कार्यालय में शीघ्र कराया जाना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 के पृष्ठ संख्या ....13 /टि० पर दिनांक 09.03.2022 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

10/3/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 /850(10) पं०रा० पटना, दिनांक 10/3/22

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 /850(19) पं०रा० पटना, दिनांक 10/3/22

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/3/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/86(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गया, अरवल, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद, सुपौल, दरभंगा, किशनगंज, कटिहार, बक्सर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सारण, मधेपुरा, पटना, वैशाली, मधुबनी, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज, पूर्णियाँ, भागलपुर, सीतामढ़ी, जमुई, औरंगाबाद और समस्तीपुर।

पटना, दिनांक 10/3/2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 52(स्वी०) दिनांक 08.03.2022 के आलोक में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर हुए व्यय के भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹57,10,57,000.00 (संतावन करोड़ दस लाख संतावन हजार रूपये)मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 52(स्वी०) दिनांक 08.03.2022 द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर हुए व्यय के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.11.01–यात्रा व्यय" इकाई में कुल ₹21,95,97,000.00 (इक्कीस करोड़ पनचानवे लाख संतावने हजार रूपये) मात्र एवं विषय शीर्ष "0002.13.01–कार्यालय व्यय" इकाई में कुल ₹35,14,60,000.00 (पैंतीस करोड़ चौदह लाख साठ हजार रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹57,10,57,000.00 (संतावन करोड़ दस लाख संतावन हजार रूपये) मात्र की राशि (उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी के अनुरूप) स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर हुए व्यय के भुगतान हेतु उक्त बजट शीर्ष के विषय शीर्ष "0002.11.01–यात्रा व्यय" इकाई में कुल ₹21,95,97,000.00 (इक्कीस

करोड़ पनचानवे लाख संतावने हजार रूपये) मात्र एवं विषय शीर्ष "0002.13.01–कार्यालय व्यय" इकाई में कुल ₹35,14,60,000.00 (पैंतीस करोड़ चौदह लाख साठ हजार रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹57,10,57,000.00 (संतावन करोड़ दस लाख संतावन हजार रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपये में

क्र०	जिला का नाम	0002.11.1–यात्रा व्यय	0002.13.01–कार्यालय व्यय	कुल आवंटित राशि
1	गया	0.00	37500000.00	37500000.00
2	अरवल	1805000.00	0.00	1805000.00
3	पूर्वी चम्पारण	23479000.00	28000000.00	51479000.00
4	जहानाबाद	0.00	5000000.00	5000000.00
5	सुपौल	3890000.00	16860000.00	20750000.00
6	दरभंगा	8551000.00	23000000.00	31551000.00
7	किशनगंज	3206000.00	28000000.00	31206000.00
8	कटिहार	5500000.00	16000000.00	21500000.00
9	बक्सर	10640000.00	0.00	10640000.00
10	मुजफ्फरपुर	2500000.00	30000000.00	32500000.00
11	नालंदा	13456000.00	15000000.00	28456000.00
12	सारण	14000000.00	0.00	14000000.00
13	मधेपुरा	12000000.00	12000000.00	24000000.00
14	पटना	9992000.00	0.00	9992000.00
15	वैशाली	23454000.00	7500000.00	30954000.00
16	मधुबनी	8152000.00	0.00	8152000.00
17	पं० चम्पारण	30000000.00	22500000.00	52500000.00
18	गोपालगंज	12250000.00	10000000.00	22250000.00
19	पूर्णियाँ	0.00	24000000.00	24000000.00
20	भागलपुर	11411000.00	7500000.00	18911000.00
21	सीतामढ़ी	19721000.00	39000000.00	58721000.00
22	जमुई	0.00	6500000.00	6500000.00
23	औरंगाबाद	2500000.00	10500000.00	13000000.00
24	समस्तीपुर	3090000.00	12600000.00	15690000.00
	कुल	**219597000.00**	**351460000.00**	**571057000.00**

संतावन करोड़ दस लाख संतावन हजार रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)** होंगे। **इसकी मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002 है।**

4. यह राशि इस शर्त के साथ आवंटित की जाती है कि संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगें।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021, 823 दिनांक

14.12.2021 एवं 1598 दिनांक 28.02.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित **जिला कोषागार** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष /प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके। निर्वाचन मद में पूर्व के लंबित ए०सी०/डी०सी० विपत्रों का समायोजन महालेखाकार कार्यालय में शीघ्र कराया जाना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 के पृष्ठ संख्या 43 /टि० पर दिनांक 09.03.22 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी) 09/03/2022

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/86(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 10/3/22

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/86(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 10/3/22

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/3/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/87(30)/पं०रा०

अत्यावश्यक
ई–मेल/फैक्स

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 11/03/2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 53(स्वी०) दिनांक 08.03.2022 के आलोक में कुल ₹79,10,00,000.00 (उनासी करोड़ दस लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 53(स्वी०) दिनांक 08.03.2022 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच को वित्तीय वर्ष 2021–22 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹1,50,40,000.00 (एक करोड़ पचास लाख चालीस हजार रूपये) मात्र, पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख तथा सदस्यों को ₹7,59,60,000.00 (सात करोड़ उनसठ लाख साठ हजार रूपये) मात्र, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया तथा सदस्यों का ₹35,00,00,000.00 (पैंतीस करोड़ रूपये) मात्र, तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹35,00,00,000.00 (पैंतीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल **₹79,10,00,000.00 (उनासी करोड़ दस लाख रूपये)** मात्र का स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी–I के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को ₹1,50,40,000.00 (एक करोड़ पचास लाख चालीस हजार रूपये) मात्र, विवरणी–II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख तथा सदस्यों को ₹7,59,60,000.00 (सात करोड़ उनसठ लाख साठ हजार

रूपये) मात्र, विवरणी–III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया तथा सदस्यों का ₹35,00,00,000.00 (पैंतीस करोड़ रूपये) मात्र, तथा विवरणी–IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹35,00,00,000.00 (पैंतीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹79,10,00,000.00 (उनासी करोड़ दस लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के **उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्** एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के **जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग वित्तीय स्वीकृत्यादेश संख्या 53(स्वी०) दिनांक 08.03.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सभी स्तरों से नियत भत्ते का भुगतान CFMS के माध्यम से संबंधित पदधारकों के बैंक खाते में उपलब्ध करायेंगे।

4. इस आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए तथा विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021, 823 दिनांक 14.12.2021 एवं 1598 दिनांक 28.02.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 के मांग संख्या–16 के अन्तर्गत राज्य स्कीम में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी:–

<u>जिला परिषदों के लिए–</u>

(क) सामान्य घटक:–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष–0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवंविपत्र कोड 16–2515001960106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता

हेतु।"इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890106 है।

पंचायत समितियों के लिए–

(क) सामान्य घटकः–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0103–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001970103 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0105–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890105 है।

ग्राम पंचायतों के लिए–

(क) सामान्य घटकः–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0105–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001980105 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0103–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890103 है।

ग्राम कचहरियों के लिए–

(क) सामान्य घटकः–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0106–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001980106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः–"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0104–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता

हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890104 है।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

12. इस आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

13. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या SP/राज्य स्कीम–02–12/2017 के पृष्ठ संख्या 117/टि० पर दिनांक 10.03.2022 को प्राप्त है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

10/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/87(आ)/पं०रा० पटना, दिनांक 11/03/2022
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

11/03/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/87(आ)/पं०रा० पटना, दिनांक 11/3/2022
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवंविभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतुप्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

11/03/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी–1

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद् (जिला परिषद् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को स्वीकृत राशि का विवरण

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001960106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515097890106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	कुल राशि (रूपये में) (3+4)
1	2	3	4	5
1	बक्सर	233562.00	47838.00	281400.00
2	रोहतास	346857.00	71043.00	417900.00
3	भोजपुर	329427.00	67473.00	396900.00
4	नालन्दा	355572.00	72828.00	428400.00
5	पटना	427956.00	97034.00	525000.00
6	कैमूर	224847.00	46053.00	270900.00
7	गया	460152.00	94248.00	554400.00
8	नवादा	277137.00	56763.00	333900.00
9	औरंगाबाद	303282.00	62118.00	365400.00
10	जहानाबाद	172557.00	35343.00	207900.00
11	अरवल	137697.00	28203.00	165900.00
12	सारण	468867.00	96033.00	564900.00
13	सिवान	416577.00	85323.00	501900.00
14	गोपालगंज	338142.00	69258.00	407400.00
15	मुजफ्फरपुर	529872.00	108528.00	638400.00
16	वैशाली	416577.00	85323.00	501900.00
17	पू० चम्पारण	409417.00	415683.00	825100.00
18	प० चम्पारण	425292.00	87108.00	512400.00
19	सीतामढी	390432.00	79968.00	470400.00
20	शिवहर	120267.00	24633.00	144900.00
21	भागलपुर	329427.00	67473.00	396900.00
22	बांका	277137.00	56763.00	333900.00
23	मधुबनी	547302.00	112098.00	659400.00
24	समस्तीपुर	503727.00	103173.00	606900.00
25	दरभंगा	468867.00	96033.00	564900.00
26	सहरसा	242277.00	49623.00	291900.00
27	मधेपुरा	259707.00	53193.00	312900.00
28	सुपौल	277137.00	56763.00	333900.00
29	पूर्णिया	355572.00	72828.00	428400.00
30	अररिया	320712.00	65688.00	386400.00
31	किशनगंज	216132.00	44268.00	260400.00
32	कटिहार	346857.00	71043.00	417900.00
33	मुंगेर	181272.00	37128.00	218400.00
34	जमुई	233562.00	47838.00	281400.00
35	बेगुसराय	364287.00	74613.00	438900.00
36	खगड़िया	216132.00	44268.00	260400.00
37	लखीसराय	155127.00	31773.00	186900.00
38	शेखपुरा	120267.00	24633.00	144900.00
	कुल राशि	12200000.00	2840000.00	15040000.00

एक करोड़ पचास लाख चालीस हजार रूपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी–2

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप–प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को स्वीकृत राशि का विवरण

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001970103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890105 के विषय शीर्ष–0105.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	कुल राशि (रूपये में) (3+4)
1	2	3	4	5
1	बक्सर	1195698.00	244902.00	1440600.00
2	रोहतास	2011422.00	411978.00	2423400.00
3	भोजपुर	1715112.00	351288.00	2066400.00
4	नालन्दा	2098572.00	429828.00	2528400.00
5	पटना	2126404.00	441196.00	2567600.00
6	कैमूर	1146894.00	234906.00	1381800.00
7	गया	2687706.00	550494.00	3238200.00
8	नवादा	1509896.00	311304.00	1821200.00
9	औरंगाबाद	1492008.00	305592.00	1797600.00
10	जहानाबाद	763434.00	156366.00	919800.00
11	अरवल	533358.00	109242.00	642600.00
12	सारण	2527350.00	517650.00	3045000.00
13	सिवान	2157834.00	441966.00	2599800.00
14	गोपालगंज	1749972.00	358428.00	2108400.00
15	मुजफ्फरपुर	2569182.00	526218.00	3095400.00
16	वैशाली	2102058.00	430542.00	2532600.00
17	पू० चम्पारण	2378058.00	535736.00	2913794.00
18	प० चम्पारण	2272872.00	465528.00	2738400.00
19	सीतामढ़ी	2109030.00	431976.00	2541006.00
20	शिवहर	477582.00	97818.00	575400.00
21	भागलपुर	1819692.00	372708.00	2192400.00
22	बांका	1369998.00	280602.00	1650600.00
23	मधुबनी	2886408.00	591192.00	3477600.00
24	समस्तीपुर	2726052.00	558348.00	3284400.00
25	दरभंगा	2394882.00	490518.00	2885400.00
26	सहरसा	1171296.00	239904.00	1411200.00
27	मधेपुरा	1373484.00	281316.00	1654800.00
28	सुपौल	1387428.00	284172.00	1671600.00
29	पूर्णिया	1823178.00	373422.00	2196600.00
30	अररिया	1464120.00	299880.00	1764000.00
31	किशनगंज	930762.00	190638.00	1121400.00
32	कटिहार	1868496.00	382704.00	2251200.00
33	मुंगेर	881958.00	180642.00	1062600.00
34	जमुई	1125978.00	230622.00	1356600.00
35	बेगुसराय	1962618.00	401982.00	2364600.00
36	खगड़िया	962136.00	197064.00	1159200.00
37	लखीसराय	711144.00	145656.00	856800.00
38	शेखपुरा	515928.00	105672.00	621600.00
	कुल राशि	63000000.00	12960000.00	75960000.00

सात करोड़ उनसठ लाख साठ हजार रूपये मात्र

(कल्पना [illegible])
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी–3

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001960105 के विषय शीर्ष–0105.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	कुल राशि (रूपये में) (3+4)
1	2	3	4	5
1	बक्सर	5035178.00	4031302.00	6066480.00
2	रोहतास	8137021.00	1666619.00	9803640.00
3	भोजपुर	8469586.00	1734734.00	10204320.00
4	नालन्दा	8609723.00	1763437.00	10373160.00
5	पटना	9532162.00	1957498.00	11489660.00
6	कैमूर	4888418.00	1001242.00	5889660.00
7	गया	11674265.00	2391115.00	14065380.00
8	नवादा	6490583.00	1329397.00	7819980.00
9	औरंगाबा	7220552.00	1478908.00	8699460.00
10	जहानाबा	3258016.00	667304.00	3925320.00
11	अरवल	2236269.00	458031.00	2694300.00
12	सारण	11586070.00	2373050.00	13959120.00
13	सिवान	10390372.00	2128148.00	12518520.00
14	गोपालगं	8147827.00	1668833.00	9816660.00
15	मुजफ्फरपु	13516965.00	2768535.00	16285500.00
16	वैशाली	10142866.00	2077454.00	12220320.00
17	पू०	12442302.00	2543298.00	14985600.00
18	प०	10829259.00	2218041.00	13047300.00
19	सीतामढ़ी	9731518.00	1993202.00	11724720.00
20	शिवहर	1893247.00	387773.00	2281020.00
21	भागलपुर	8148176.00	1668904.00	9817080.00
22	बांका	6386352.00	1308048.00	7694400.00
23	मधुबनी	14079257.00	2883703.00	16962960.00
24	समस्तीपुर	13334647.00	2731193.00	16065840.00
25	दरभंगा	11445584.00	2344276.00	13789860.00
26	सहरसा	5299417.00	1085423.00	6384840.00
27	मधेपुरा	5804190.00	1188810.00	6993000.00
28	सुपौल	6427138.00	1316402.00	7743540.00
29	पूर्णिया	8590201.00	1759439.00	10349640.00
30	अररिया	7646890.00	1566230.00	9213120.00
31	किशनगंज	4488922.00	919418.00	5408340.00
32	कटिहार	8344090.00	1709030.00	10053120.00
33	मुंगेर	3507613.00	718427.00	4226040.00
34	जमुई	5128255.00	1050365.00	6178620.00
35	बेगुसराय	8278553.00	1695607.00	9974160.00
36	खगड़िया	4679258.00	958402.00	5637660.00
37	लखीसरा	2835861.00	580839.00	3416700.00
38	शेखपुरा	1843397.00	377563.00	2220960.00
	कुल राशि	290500000.00	59500000.00	350000000.00

पैंतीस करोड़ रूपये मात्र

(कल्पना चौधरी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी–4

वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890104 के विषय शीर्ष–0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	कुल राशि (रूपये में) (3+4)
1	2	3	4	5
1	बक्सर	5035178.00	1031302.00	6066480.00
2	रोहतास	8137021.00	1666619.00	9803640.00
3	भोजपुर	8469586.00	1734734.00	10204320.00
4	नालन्दा	8609723.00	1763437.00	10373160.00
5	पटना	9532162.00	1957498.00	11489660.00
6	कैमूर	4888418.00	1001242.00	5889660.00
7	गया	11674265.00	2391115.00	14065380.00
8	नवादा	6490583.00	1329397.00	7819980.00
9	औरंगाबाद	7220552.00	1478908.00	8699460.00
10	जहानाबाद	3258016.00	667304.00	3925320.00
11	अरवल	2236269.00	458031.00	2694300.00
12	सारण	11586070.00	2373050.00	13959120.00
13	सिवान	10390372.00	2128148.00	12518520.00
14	गोपालगंज	8147827.00	1668833.00	9816660.00
15	मुजफ्फरपुर	13516965.00	2768535.00	16285500.00
16	वैशाली	10142866.00	2077454.00	12220320.00
17	पू० चम्पारण	12442302.00	2543298.00	14985600.00
18	पश्चिम चम्पारण	10829259.00	2218041.00	13047300.00
19	सीतामढ़ी	9731518.00	1993202.00	11724720.00
20	शिवहर	1893247.00	387773.00	2281020.00
21	भागलपुर	8148176.00	1668904.00	9817080.00
22	बांका	6386352.00	1308048.00	7694400.00
23	मधुबनी	14079257.00	2883703.00	16962960.00
24	समस्तीपुर	13334647.00	2731193.00	16065840.00
25	दरभंगा	11445584.00	2344276.00	13789860.00
26	सहरसा	5299417.00	1085423.00	6384840.00
27	मधेपुरा	5804190.00	1188810.00	6993000.00
28	सुपौल	6427138.00	1316402.00	7743540.00
29	पूर्णिया	8590201.00	1759439.00	10349640.00
30	अररिया	7646890.00	1566230.00	9213120.00
31	किशनगंज	4488922.00	919418.00	5408340.00
32	कटिहार	8344090.00	1709030.00	10053120.00
33	मुंगेर	3507613.00	718427.00	4226040.00
34	जमुई	5128255.00	1050365.00	6178620.00
35	बेगुसराय	8278553.00	1695607.00	9974160.00
36	खगड़िया	4679258.00	958402.00	5637660.00
37	लखीसराय	2835861.00	580839.00	3416700.00
38	शेखपुरा	1843397.00	377563.00	2220960.00
	कुल राशि	290500000.00	59500000.00	350000000.00

पैंतीस करोड़ रूपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्र संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/88(अा०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–6–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 11/03/2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 56(स्वी०) दिनांक 10.03.2022 के आलोक में राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना को प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा संचार (IEC) एवं कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट इकाई के अंतर्गत अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹5,79,37,900.00 (पाँच करोड़ उन्यासी लाख सैंतीस हजार नौ सौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 56(स्वी०) दिनांक 10.03.2022 द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना को प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा संचार (IEC) और कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (PMU) इकाई के तहत CEC द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के आयोजन हेतु **कुल ₹5,79,37,900.00 (पाँच करोड़ उन्यासी लाख सैंतीस हजार नौ सौ रूपये) मात्र** की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹5,79,37,900.00 (पाँच करोड़ उन्यासी लाख सैंतीस हजार नौ सौ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 अंतर्गत संबंधित बजट शीर्षो से निम्नरूपेण की जायेगी:–

क्र०	बजट शीर्ष	राशि (रूपये में)
	(क) केन्द्रांश	
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0215.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980215	25983900.00
	कुल	**25983900.00**
	(ख) राज्यांश	
1	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0315–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विषय शीर्ष–0315.31.06–सहायक अनुदान–गैर–वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980315	31954000.00
	कुल	**31954000.00**
	सकल योग (क+ख)	**57937900.00**

पाँच करोड़ उन्यासी लाख सैंतीस हजार नौ सौ रूपये मात्र

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–6–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होगें, जो आवंटित राशि के निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 56(स्वी०) दिनांक 10.03.2022 के निदेश के आलोक में CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी कर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान से संबंधित Single Nodal Agency के विभागीय खाता संख्या–37804658816, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्रैया भवन, बेली रोड, पटना–15) में अंतरित करेगें।

5. परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना स्वीकृत्यादेश की कंडिका–04 के अनुरूप आवंटित राशि का व्यय Zero Balance Subsidiary Account (IA खाता सं०–40476903637, SBI) में Drawing Limit के अंतर्गत PFMS के Web Portal से e-Payment Print Advice के माध्यम से RGSA की मार्गदर्शिका के अनुरूप नियमानुसार करेंगे। समय एवं परिस्थिति के अनुसार राशि को व्यय करने में मितव्ययता की जायेगी।

6. राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना के द्वारा आवंटित राशि का व्यय PFMS के नये दिशा–निदेश के अनुरूप किया जायेगा। उक्त से संबंधित वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के पत्रांक OMF No-1(13)PFMS-FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 को विभागीय पत्रांक–2547 दिनांक 24.05.2021 के माध्यम से पूर्व में निर्गत है।

7. परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना इस आवंटित राशि में से व्यय/उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र (GFR-19 A) एवं (BTC-42A) में विभाग को महालेखाकार कार्यालय में समायोजन हेतु तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021, 823 दिनांक 14.12.2021 एवं 1598 दिनांक 28.02.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

11. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

12. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

14. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020 के पृष्ठ संख्या 73/टि० पर दिनांक 10.03.2022 को प्राप्त है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/88(310) पं०रा० पटना, दिनांक 11/03/2022

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय विकास भवन, बिहार, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना–15/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06(लेखा) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथा उर्पयुक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2020/88(310) पं०रा० पटना, दिनांक 11/03/2022

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथा उर्पयुक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–03 / 2019 / 89 (भा०) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 12.03.2022

विषय : **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 57(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,17,00,00,000.00 (एक अरब सत्तरह करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 57(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 द्वारा पंचायत सरकार के भवनों के निर्माण हेतु इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक–1 के अनुरूप कुल **₹1,17,00,00,000.00 (एक अरब सत्तरह करोड़ रूपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त के आलोक वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 57(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 के साथ संलग्न अनुलग्न–1 के अनुरूप कुल ₹1,17,00,00,000.00 (एक अरब सत्तरह करोड़ रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–**

राशि रूपये में

क्र०	जिला का नाम	जिलावार आवंटित राशि	
1	2	3	
1	बक्सर	30000000.00	तीन करोड़
2	रोहतास	40000000.00	चार करोड़
3	भोजपुर	30000000.00	तीन करोड़
4	नालन्दा	60000000.00	छः करोड़
5	पटना	20000000.00	दो करोड़
6	कैमूर	25000000.00	दो करोड़ पच्चास लाख
7	गया	47500000.00	चार करोड़ पचहत्तर लाख
8	नवादा	20000000.00	दो करोड़
9	औरंगाबाद	60000000.00	छः करोड़
10	जहानाबाद	20000000.00	दो करोड़
11	अरवल	15000000.00	एक करोड़ पच्चास लाख
12	सारण	35000000.00	तीन करोड़ पच्चास लाख
13	सिवान	35000000.00	तीन करोड़ पच्चास लाख
14	गोपालगंज	35000000.00	तीन करोड़ पच्चास लाख
15	मुजफ्फरपुर	50000000.00	पाँच करोड़
16	वैशाली	20000000.00	दो करोड़

17	पू0 चम्पारण	50000000.00	पाँच करोड़
18	प0 चम्पारण	35000000.00	तीन करोड़ पच्चास लाख
19	सीतामढ़ी	50000000.00	पाँच करोड़
20	शिवहर	10000000.00	एक करोड़
21	भागलपुर	50000000.00	पाँच करोड़
22	बांका	30000000.00	तीन करोड़
23	मधुबनी	20000000.00	दो करोड़
24	समस्तीपुर	20000000.00	दो करोड़
25	दरभंगा	20000000.00	दो करोड़
26	सहरसा	30000000.00	तीन करोड़
27	मधेपुरा	25000000.00	दो करोड़ पच्चास लाख
28	सुपौल	47500000.00	चार करोड़ पचहत्तर लाख
29	पूर्णिया	30000000.00	तीन करोड़
30	अररिया	20000000.00	दो करोड़
31	किशनगंज	20000000.00	दो करोड़
32	कटिहार	30000000.00	तीन करोड़
33	मुंगेर	25000000.00	दो करोड़ पच्चास लाख
34	जमुई	25000000.00	दो करोड़ पच्चास लाख
35	बेगूसराय	25000000.00	दो करोड़ पच्चास लाख
36	खगड़िया	25000000.00	दो करोड़ पच्चास लाख
37	लखीसराय	30000000.00	तीन करोड़
38	शेखपुरा	10000000.00	एक करोड़
कुल		**1170000000.00**	**एक अरब सत्तरह करोड़ रूपये मात्र**

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होंगे। इस आवंटित राशि को जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से योजना के चयन सूची के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत को पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु राशि को सीधे ग्राम पंचायत के खाते में CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यारम्भ के समय तकनीकी स्वीकृत की राशि का 5% Mobilisation advance दिया जायेगा। जिसका समायोजन अगले 5 running विपत्रों में बराबर–बराबर किश्तों में किया जायेगा। प्राक्कलन की विभिन्न स्टेजवार भौतिक प्रगति होने पर मापी का प्रावधान होगा। मापी पुस्त में अंकित स्टेजवार किये गये कार्य के आधार पर हीं अग्रेतर भुगतान होगा।

4. इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–03 (स्वी0) दिनांक 12.05.2021 द्वारा सभी संबंधितों को संसूचित है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–पंचायती राज–उपशीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवन"** मद के विषय शीर्ष **'0108.53.01–मुख्य निर्माण कार्य'** इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–4515001010108** है।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एंव 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019 के पृष्ठ संख्या 89/टि० पर दिनांक 11/03/2022 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/89(311)पं०रा० पटना, दिनांक 12.03.20

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 05 (उपयोमिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/89(311)पं०रा० पटना, दिनांक 12.03.202

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/90(300)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14/03/2022

विषय : राज्य पंचायत संसाधन संस्था (SPRC) एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के सफल क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 59(स्वी०) दिनांक 14.03.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹15,00,00,000.00 (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 59(स्वी०) दिनांक 14.03.2022 द्वारा राज्य पंचायत संसाधन संस्था (SPRC) एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के सफल क्रियान्वयन हेतु कुल ₹15,00,00,000.00 (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹15,00,00,000.00 (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या 16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–जिला पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16–2515000010101 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इस आवंटित राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में CFMS के माध्यम से राज्य पंचायत संसाधन संस्था (SPRC) के पी०एल० खाता संख्या व्यय शीर्ष–0033–एल०–8448001200033 में आवंटित करेंगे।

5. परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन संस्था (SPRC) एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के सफल संचालन में उपयोग करेंगे। इस राशि से किसी कर्मी का मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ससमय पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\P 2515000010102\Letter.docx

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017 के पृष्ठ संख्या 29/टि० पर दिनांक 14.03.2022 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

14/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/30(अ10)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/3/2022

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन संस्था (SPRC), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 05(उपयोगिता प्रमाण–पत्र कोषांग), 06/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/30(अ10)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/3/2022

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

1

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021/21(अप्र)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14/03/2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत राशि में से ग्राम पंचायतों को सामान्य निधि, विकास निधि एवं अनुरक्षण निधि मद में कुल ₹1393.73850 करोड़ (तेरह अरब तिरानवें करोड़ तिहत्तर लाख पिचासी हजार रूपये) मात्र की राशि के निकासी एवं व्यय के लिए आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹2255.915 करोड़ (बाईस अरब पचपन करोड़ इक्कयानवें लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि के वितरण, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से ग्राम पंचायतों को सामान्य निधि, विकास निधि एवं अनुरक्षण निधि मद में कुल ₹1393.7385 करोड़ (तेरह अरब तिरानवें करोड़ तिहत्तर लाख पिचासी हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की गई है:–

क्र०	निकाय	सामान्य निधि	विकास निधि	अनुरक्षण निधि	कुल
1	ग्राम पंचायत	252.3115	684.8562	456.5708	1393.738

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में राज्य के सभी ग्राम पंचायातों को सामान्य निधि, विकास निधि एवं अनुरक्षण निधि मद में प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत कुल ₹1393.73850 करोड़ (तेरह अरब तिरानवें करोड़ तिहत्तर लाख पिचासी हजार रूपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–1 के अनुरूप आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–06 पंचायती राज विभाग होंगे, जो विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार पटना से CFMS के माध्यम से करेंगे एवं उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–1 के अनुरूप CFMS के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि अंतरित करायेंगे।

भवदीय,

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में **मांग संख्या–16** अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से निम्नरूपेण से की जायेगी:–

क्र०	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष	निधि	विषय शीर्ष	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान।" विपत्र कोड– 16–2515001980009	सामान्य निधि	0009.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	252.3115
		विकास निधि	0009.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण	684.8562
		अनुरक्षण निधि	0009.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण	456.5708
कुल				**1393.7585**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021, 823 दिनांक 14.12.2021 एवं 1598 दिनांक 28.02.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इक्राईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–05/2021/2103 पं०रा० पटना, दिनांक 14/3/22

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–05/2021/2103 पं०रा० पटना, दिनांक 14/3/22

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक : 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05 / 2021 / 92(आ०) / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 14/3/2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सामान्य निधि के प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत राशि में से ग्राम कचहरी का कार्यालय व्यय हेतु कुल ₹48.4020 करोड़ (अड़तालीस करोड़ चालीस लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹2255.915 करोड़ (बाईस अरब पचपन करोड़ इक्कयानवें लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि के वितरण, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से सामान्य निधि के प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत राशि में से ग्राम कचहरी का कार्यालय व्यय हेतु कुल ₹48.4020 करोड़ (अड़तालीस करोड़ चालीस लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में सामान्य निधि के प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत राशि में से ग्राम कचहरी का कार्यालय व्यय हेतु कुल ₹48.4020 करोड़ (अड़तालीस करोड़ चालीस लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–4 के अनुरूप आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करते हुए उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–4 के अनुरूप CFMS के माध्यग से संबंधित संबंधित ग्राम कचहरी के बैंक खाते में राशि अंतरित करायेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में **मांग संख्या–16** अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से निम्नरूपेण से की जायेगी:–

क्र०	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष	संविदा कर्मी	विषय शीर्ष	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान।" विपत्र कोड– 16–2515001980009	ग्राम कचहरी का कार्यालय व्यय	0009.31.06–सहायक अनुदान–वेतन	48.4020
		कुल		**48.4020**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021, 823 दिनांक 14.12.2021 एवं 1598 दिनांक 28.02.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण सामुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षारत ह।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन 24/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–05/2021/2283 पं०रा० पटना, दिनांक 14/3/2022

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–05/2021/2284 पं०रा० पटना, दिनांक 14/3/2022

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

III

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021/93(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 15/3/2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनां 11.03.2022 द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक सामान्य निधि के प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत राशि में ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहाय तथा लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के मानेदय के भुगतान हेतु कु ₹80.00 करोड़ (अस्सी करोड़ रूपये) मात्र की राशि आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी० दिनांक 11.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा व तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹2255.915 करोड़ (बाईस अरब पचपन करो इक्कयानवें लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि के वितरण, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से सामान्य निधि के प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत राशि में से ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायक तथ लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के मानेदय के भुगतान हेतु कुल ₹80.00 करोड़ (अस्सी करोड़ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की गई है:–

राशि करोड़ में

क्र०	ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	तकनीकी सहायक	लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक	कुल
1	15.6122	38.3073	26.0805	80.000

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में सामान्य निधि के प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत राशि में से ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर तकनीकी सहायक तथा लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के मानेदय के भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹80.00 करोड़ (अस्सी करोड़ रूपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–5 एवं 6 के अनुरूप आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करेंगे तथा

उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–5 एवं 6 के अनुरूप CFMS के माध्यम से संबंधित संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में **मांग संख्या–16** अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से निम्नरूपेण से की जायेगीः–

क्र०	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष	संविदा कर्मी	विषय शीर्ष	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान।" विपत्र कोड– 16–2515001980009	ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	0009.31.04–सहायक अनुदान– वेतन	15.6122
		तकनीकी सहायक		38.3073
		लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक		26.0805
	कुल			**80.0000**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021, 823 दिनांक 14.12.2021 एवं 1598 दिनांक 28.02.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–05/2021/9310 पं०रा० पटना, दिनांक 14/3/

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–05/2021/9311 पं०रा० पटना, दिनांक 14/3/

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

IV

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021/94(310)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14/3/2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक मे प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत राशि में से पंचायत समितियो को सामान्य निधि, विकास निधि एवं अनुरक्षण निधि मद में कुल ₹366.88725 करोड़ (तीन अरब छियासठ करोड़ अठ्ासी लाख बहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि के निकासी एवं व्यय के लिए आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹2255.915 करोड़ (बाईस अरब पचपन करोड़ इक्कयानवें लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि के वितरण, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से पंचायत समितियों को सामान्य निधि, विकास निधि एवं अनुरक्षण निधि मद में कुल ₹366.88725 करोड़ (तीन अरब छियासठ करोड़ अठ्ासी लाख बहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की गई है:–

क्र०	निकाय	सामान्य निधि	विकास निधि	अनुरक्षण निधि	कुल
1	पंचायत समिति	122.29575	146.7549	97.8366	366.8872

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में राज्य के सभी पंचायत समितियों को सामान्य निधि, विकास निधि एवं अनुरक्षण निधि मद में प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप मे स्वीकृत कुल ₹366.88725 करोड़ (तीन अरब छियासठ करोड़ अठ्ासी लाख बहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–2 के अनुरूप आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–06 पंचायती राज विभाग होंगे, जो विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार पटना से CFMS के माध्यम से करेंगे एवं उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–2 के अनुरूप CFMS के माध्यम से संबंधित पंचायत समितियों के बैंक खातों में राशि अंतरित करायेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में **मांग संख्या–16** अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से निम्नरूपेण से की जायेगीः–

क्र०	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष	निधि	विषय शीर्ष	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	" मुख्य शीर्ष 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष– 197–ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष – 0004 – राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान विपत्र कोड–16–2515001970004	सामान्य निधि	0004.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	122.29575
		विकास निधि	0004.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण	146.7549
		अनुरक्षण निधि	0004.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण	97.8366
कुल				**366.88725**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021, 823 दिनांक 14.12.2021 एवं 1598 दिनांक 28.02.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
01/03/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–05/2021/3417 पं०रा० पटना, दिनांक 14/3/22

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–05/2021/3417 पं०रा० पटना, दिनांक 14/3/22

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/03/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

IV

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021/95(आर)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14/3/२०२

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनां 11.03.2022 द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत राशि में से जिला परिष को सामान्य निधि, विकास निधि एवं अनुरक्षण निधि मद में कु ₹366.88725 करोड़ (तीन अरब छियासठ करोड़ अठ्ठासी लाख बहत्तर हजा पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि के निकासी एवं व्यय के लिए आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 58(स्वी० दिनांक 11.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा वं तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹2255.915 करोड़ (बाईस अरब पचपन करोड़ इक्कयानवें लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि के वितरण, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से जिला परिषदों को सामान्य निधि, विकास निधि एवं अनुरक्षण निधि मद में कुल ₹366.88725 करोड़ (तीन अरब छियासठ करोड़ अठ्ठासी लाख बहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की गई है:–

क्र०	निकाय	सामान्य निधि	विकास निधि	अनुरक्षण निधि	कुल
1	जिला परिषद्	122.29575	146.7549	97.8366	**366.8872**

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में राज्य के सभी जिला परिषदों को सामान्य निधि, विकास निधि एवं अनुरक्षण निधि मद में प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत कुल ₹366.88725 करोड़ (तीन अरब छियासठ करोड़ अठ्ठासी लाख बहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–3 के अनुरूप आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–06, पंचायती राज विभाग होंगे, जो विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करेंगे एवं उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–3 के अनुरूप CFMS के माध्यम से संबंधित जिला परिषद् के बैंक खातों में राशि अंतरित करायेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में **मांग संख्या–16** अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से निम्नरूपेण से की जायेगी:–

क्र०	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष	निधि	विषय शीर्ष	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	" मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष– 196– जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष– 0007– राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान विपत्र कोड–16–2515001960007	सामान्य निधि	0007.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	122.29575
		विकास निधि	0007.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण	146.7549
		अनुरक्षण निधि	0007.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण	97.8366
	कुल			**366.88725**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021, 823 दिनांक 14.12.2021 एवं 1598 दिनांक 28.02.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

31/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–05/2021/952(19) पं०रा० पटना, दिनांक 14/3/

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–05/2021/952(19) पं०रा० पटना, दिनांक 14/3/

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अत्यावश्यक
ई–मेल

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021/96 Extra पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15.03.2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 61(स्वी०) दिनांक 15.03.2022 द्वारा 15वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त Tied अनुदान की द्वितीय किस्त की स्वीकृत कुल ₹1112.70 करोड़ (ग्यारह अरब बारह करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 61(स्वी०) दिनांक 15.03.2022 द्वारा 15वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त Tied अनुदान की द्वितीय किस्त की कुल ₹1112.70 करोड़ (ग्यारह अरब बारह करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि को ग्राम पंचायतों के लिए संलग्न विवरणी–1, पंचायत समितियों के लिए संलग्न विवरणी–2 एवं जिला परिषदों के लिए संलग्न विवरणी–3 के अनुरूप वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹1112.70 करोड़ (ग्यारह अरब बारह करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के संबंधित बजट शीर्षों के अंतर्गत निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि करोड़ में।

क्र०	PRIs	योजना शीर्ष	Tied Grant
i	ग्राम पंचायत	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष–0001.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड– 16–2515001980001	778.8900

ii	पंचायत समिति	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष– 0001.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड– 16–2515001970001	166.9050
iii	जिला परिषद्	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0003–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष– 0003.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड–, 16–2515001960003	166.9050
		कुलः (ग्यारह अरब बारह करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र	**1112.7000**

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी, 06–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS एवं PFMS Treasury Integration के माध्यम से उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ ग्राम पंचायतों के लिए संलग्न विवरणी–1 (राज्य के सभी 8067 ग्राम पंचायतों), पंचायत समितियों के लिए संलग्न विवरणी–2 (राज्य के सभी 533 पंचायत समितियों) एवं जिला परिषदों के लिए संलग्न विवरणी–3 (राज्य के सभी 38 जिला परिषदों) के अनुरूप Tied अनुदान की द्वितीय किस्त की राशि को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के संबंधित बैंक खातों में अंतरित करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 27(रा०) दिनांक 13.09.2021 एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 15(2)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 14.07.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021 के पृष्ठ संख्या 09/प० पर दिनांक 15.03.2022 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

25/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–04/2021/9407 पं०रा० पटना, दिनांक: 25.03.22

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी–03, 04, 05(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), 06 एवं 07, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–04/2021/9408 पं०रा० पटना, दिनांक: 25.03.22

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017/97 (30)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 15.03.2022

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 60(स्वी०) दिनांक 14.03.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹46,96,60,000.00 (छियालीस करोड़ छियानवे लाख साठ हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 60(स्वी०) दिनांक 14.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹6,000.00 (छः हजार रूपये) मात्र की दर से कुल ₹22,99,22,340.00 (बाईस करोड़ निन्यानबे लाख बाईस हजार तीन सौ चालीस रूपये) मात्र एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र की नियत फीस के भुगतान हेतु कुल ₹7,000.00 (सात हजार रूपये) मात्र की दर से कुल ₹23,97,37,660.00 (तेईस करोड़ संतानबे लाख सैंतीस हजार छः सौ साठ रूपये) मात्र अर्थात् **कुल ₹46,96,60,000.00 (छियालीस करोड़ छियानवे लाख साठ हजार रूपये) मात्र** की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय तथा ग्राम कचहरी न्यायमित्र की नियत फीस के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में **कुल ₹46,96,60,000.00 (छियालीस करोड़ छियानवे लाख साठ हजार रूपये) मात्र** की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपये में

क्र०	जिला	ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय हेतु आवंटित राशि	ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियत फीस भुगतान हेतु आवंटित राशि	कुल राशि (3+4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	बक्सर	3570000.00	4003160.00	7573160.00
2	रोहतास	6780000.00	6971000.00	13751000.00

3	भोजपुर	6210000.00	6694950.00	12904950.00
4	नालन्दा	5910000.00	6177300.00	12087300.00
5	पटना	9780000.00	10698100.00	20478100.00
6	कैमूर	4080000.00	4693360.00	8773360.00
7	गया	8700000.00	9869860.00	18569860.00
8	नवादा	5042340.00	5349050.00	10391390.00
9	औरंगाबाद	6120000.00	7140000.00	13260000.00
10	जहानाबाद	2580000.00	2726300.00	5306300.00
11	अरवल	1860000.00	1173350.00	3033350.00
12	सारण	9510000.00	9938900.00	19448900.00
13	सिवान	8100000.00	8938100.00	17038100.00
14	गोपालगंज	6690000.00	6625950.00	13315950.00
15	मुजफ्फरपुर	9780000.00	8282400.00	18062400.00
16	वैशाली	8220000.00	8351450.00	16571450.00
17	पू० चम्पारण	10050000.00	9662800.00	19712800.00
18	प० चम्पारण	8760000.00	9662800.00	18422800.00
19	सीतामढ़ी	7770000.00	7074550.00	14844550.00
20	शिवहर	1590000.00	1760000.00	3350000.00
21	भागलपुर	6330000.00	6798500.00	13128500.00
22	बांका	5370000.00	6073750.00	11443750.00
23	मधुबनी	10110000.00	8869100.00	18979100.00
24	समस्तीपुर	10590000.00	10698100.00	21288100.00
25	दरभंगा	9270000.00	9800850.00	19070850.00
26	सहरसा	4050000.00	4106700.00	8156700.00
27	मधेपुरा	4410000.00	5142000.00	9552000.00
28	सुपौल	4830000.00	4624350.00	9454350.00
29	पूर्णिया	6210000.00	7488650.00	13698650.00
30	अररिया	5370000.00	5452600.00	10822600.00
31	किशनगंज	3450000.00	3554550.00	7004550.00
32	कटिहार	6810000.00	7005550.00	13815550.00
33	मुंगेर	3030000.00	3485500.00	6515500.00
34	जमुई	4380000.00	5003950.00	9383950.00
35	बेगुसराय	7470000.00	8213400.00	15683400.00
36	खगड़िया	3510000.00	4072180.00	7582180.00
37	लखीसराय	2100000.00	1760000.00	3860000.00
38	शेखपुरा	1530000.00	1794550.00	3324550.00
कुल राशि		**229922340.00**	**239737660.00**	**469660000.00**

छियालीस करोड़ छियानबे लाख साठ हजार रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी की विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष '0010.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन' इकाई से की जायेगी। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001980010 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के पंचायत राज पदाधिकारी होगें, जिनका यह दायित्व होगा कि आवंटित राशि को ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र की उपस्थिति विवरणी के आधार पर सीधे संबंधित ग्राम कचहरी/न्यायमित्र खाते में CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे। इस आवंटित राशि से पूर्व के बकाये का भुगतान भी नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जा सकेगा।

6. आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 60(स्वी०) दिनांक 14.03.2022 में निहित अनुदेशों एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि अपने जिला के ग्राम कचहरियों के लिए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 माह के अंदर निश्चित रूप से पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017 के पृष्ठ संख्या 32 /टि० पर दिनांक 15/02/2022 को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

15/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017/3736 पं०रा० पटना, दिनांक 15.03.2022

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा–08 एवं 05 (उपयोगिता प्रामाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017/3737 पं०रा० पटना, दिनांक 15.03.2022

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/980 पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15.03.2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का प्रखंड स्तरीय प्रारंभिक/आधार प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामाग्री हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 62(स्वी०) दिनांक 15.03.2022 द्वारा स्वीकृत कुल ₹22,98,79,800.00 (बाईस करोड़ अट्ठानवे लाख उन्यासी हजार आठ सौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 62(स्वी०) दिनांक 15.03.2022 द्वारा पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों के क्षमतावर्द्धन हेतु प्रखंड स्तरीय प्रारंभिक/आधार प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामाग्री हेतु स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न Annexure-1 के अनुरूप कुल ₹22,98,79,800.00 (बाईस करोड़ अट्ठानवे लाख उन्यासी हजार आठ सौ रूपये) मात्र की राशि में की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न Annexure-1 के अनुरूप कुल ₹22,98,79,800.00 (बाईस करोड़ अट्ठानवे लाख उन्यासी हजार आठ सौ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या 16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00– लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0102.20.03–प्रशिक्षण व्यय' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16--2515000010102 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो आवंटित राशि को CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना में राशि की निकासी कर बिहार राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना के "पी०एल० खाता संख्या–PBBPLA030" में नियमानुसार अंतरित करेंगे। परियोजना निदेशक, बिहार, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना संलग्न Annexure-1 के अनुसार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को नियमानुसार राशि उपलब्ध करायेंगे।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा उक्त राशि का व्यय आवंटित राशि की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 62(स्वी०) दिनांक 15.03.2022 में दिये गये निदेश के आलोक में करेंगे।

5. राशि के व्ययोपरांत जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना को विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना जिलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित कर अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (BTC-42A) में विभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017 के पृष्ठ संख्या 103/टि० पर दिनांक 15.03.22 को, प्राप्त हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

15/03/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\P 2515000010102\Letter.docx

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/98 Extra/पं०रा० पटना, दिनांक 15.03.20

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/ सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन संस्था (SPRC), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 05(उपयोगिता प्रमाण–पत्र कोषांग), 06/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/98 (Extra)/पं०रा० पटना, दिनांक 15.03.2022

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/03/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/99 Dy/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सिवान, मधुबनी और मुजफ्फरपुर।

पटना दिनांकः 15.03.20

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 54(स्वी०) दिनांक 08.03.2022 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹5,20,54,360.00 (पाँच करोड़ बीस लाख चौवन हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के प्रभावी अनुश्रवण के लिए IOT Devic अधिष्ठापन हेतु तीन जिलों को **कुल ₹5,20,54,360.00 (पाँच करोड़ बीस लाख चौवन हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में ₹5,20,54,360.00 (पाँच करोड़ बीस लाख चौवन हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपया में

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	सिवान	15060630.00
2	मधुबनी	18848590.00
3	मुजफ्फरपुर	18145140.00
	कुल	52054360.00

पाँच करोड़ बीस लाख चौवन हजार तीन सौ साठ रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम मद के "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के विषय शीर्ष '0113.31. 05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण' से की जायेगी। इसका मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड–16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। संबंधित IOT अधिष्ठापन फर्म का नियमानुसार CFMS के माध्यम से अनुमान्य दर पर भुगतान करेंगे। किसी भी प्रकार के कटौती करने का दायित्व एवं गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरान्त नियमानुसार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा-शीघ्र पंचायती विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\State Schime\7 Nishchay\Letter2.docx

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 के पृष्ठ संख्या 71/टि० पर दिनांक 15.03.2022 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वास्मृजन

15/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/9943 पं०रा० पटना, दिनांक 15.03.2022
प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/9943 पं०रा० पटना, दिनांक 15.03.2022
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/100 (3rd) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक 15.03.2022

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष –0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹52,53,11,000.00 (बावन करोड़ तिरेपन लाख ग्यारह हजार रूपये) मात्र** की राशि आवंटित की जाती है।

2. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी का पत्रांक 568 दिनांक 03.03.2022 द्वारा श्री लक्ष्मी पासवान, पंचायत सचिव बनाम राज्य सरकार व अन्य (CWJC No.6970/2020-21) के आलोक में आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी का क्रम संख्या–26, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद का पत्रांक 1456 दिनांक 04.08.2021 के आलोक में श्री अजय कुमार, प्रधान लिपिक, जिला पंचायत कार्यालय, जहानाबाद को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु विवरणी का क्रम संख्या–06 एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, (बेतिया) के पत्रांक 20 दिनांक 28.01.2022 के आलोक में विवरणी का क्रम संख्या–21 में राशि आवंटित है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

5. इस आवंटित राशि से नियमानुसार बकाये का भुगतान किया जा सकेगा। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखासंधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 के पृष्ठ संख्या 45/टि० पर दिनांक 15.03.2022 को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010003 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

15/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/1007(200)/पं०रा० पटना, दिनांक 15.03.2022

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

15/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/1007(200)/पं०रा० पटना, दिनांक 15.03.2022

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

15/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन– उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" अन्तर्गत व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) विवरणी।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन						घि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	वाहन ईंधन एवं रख रखाव 0003.13.02	दूरभाष 0003.13.03	वर्दी/पोशाक 0003.13.06	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	योग	
		वेतन 0003.01.01	जी०वा०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	वि०भत्ता 0003.01.06	कुल									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु															
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	200000.00	7000.00	10000.00	400000.00	₹	682000.00
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	200000.00	₹	282000.00
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	500000.00	0.00	7000.00	10000.00	500000.00	₹	1082000.00
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	60000.00	0.00	7000.00	10000.00	200000.00	₹	342000.00
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	117000.00
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	500000.00	₹	582000.00
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	232000.00
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	100000.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	182000.00
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	400000.00	₹	482000.00
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	400000.00	₹	482000.00
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	50000.00	0.00	7000.00	10000.00	300000.00	₹	432000.00
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	241000.00	0.00	7000.00	10000.00	500000.00	₹	823000.00
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	200000.00	₹	282000.00
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	100000.00	200000.00	7000.00	10000.00	200000.00	₹	582000.00
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	400000.00	0.00	20000.00	10000.00	500000.00	₹	995000.00
25	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	300000.00	0.00	25000.00	15000.00	400000.00	₹	805000.00
26	जिला पचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
27	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
28	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
29	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
30	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00
31	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	115000.00	0.00	7000.00	10000.00	400000.00	₹	597000.00
32	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹	82000.00

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन													
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	वि०भत्ता 0003.01.06	कुल	वि० पतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	वाहन ईंधन एवं रख रखाव 0003.13.02	दूरभाष 0003.13.03	वर्दी/पोशाक 0003.13.06	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹ 82000.00
34	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹ 82000.00
35	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹ 82000.00
36	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹ 82000.00
37	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	0.00	₹ 82000.00
38	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	7000.00	10000.00	300000.00	₹ 382000.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	2505000.00	1766000.00	500000.00	297000.00	385000.00	5400000.00	₹ 11003000.00
	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु														
39	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	13000000.00	6500000.00	1625000.00	650000.00	39000.00	21814000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 21814000.00
40	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	35000000.00	17500000.00	4375000.00	1750000.00	105000.00	58730000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 58730000.00
41	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	27000000.00	13500000.00	3375000.00	1350000.00	81000.00	45306000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 45306000.00
42	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	12000000.00	6000000.00	1500000.00	600000.00	39000.00	20139000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20139000.00
43	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर	2000000.00	1000000.00	250000.00	100000.00	6000.00	3356000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3356000.00
44	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	35000000.00	17500000.00	4375000.00	1750000.00	105000.00	58730000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 58730000.00
45	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	13000000.00	6500000.00	1625000.00	650000.00	39000.00	21814000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 21814000.00
46	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	16500000.00	8250000.00	2063000.00	825000.00	50000.00	27688000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 27688000.00
47	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	27000000.00	13500000.00	3375000.00	1350000.00	81000.00	45306000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 45306000.00
48	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	35000000.00	17500000.00	4375000.00	1750000.00	105000.00	58730000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 58730000.00
49	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	27000000.00	13500000.00	3375000.00	1350000.00	81000.00	45306000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 45306000.00
50	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	13000000.00	6500000.00	1625000.00	650000.00	39000.00	21814000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 21814000.00
51	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	3000000.00	1500000.00	375000.00	150000.00	6000.00	5031000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5031000.00
52	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	13000000.00	6500000.00	1625000.00	650000.00	39000.00	21814000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 21814000.00
53	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	35000000.00	17500000.00	4375000.00	1750000.00	105000.00	58730000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 58730000.00
	कुल	306500000.00	153250000.00	38313000.00	15325000.00	920000.00	514308000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 514308000.00
	सकल योग	306500000.00	153250000.00	38313000.00	15325000.00	920000.00	514308000.00	150000.00	2505000.00	1766000.00	500000.00	297000.00	385000.00	5400000.00	₹ 525311000.00

बावन करोड़ तिरेपन लाख ग्यारह हजार रूपये मात्र

31/03/2021

अनुभवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/1015/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), सहरसा, खगड़िया, कैमूर, गया, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद, सुपौल, दरभंगा, किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नालंदा, मधेपुरा, वैशाली, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज, पूर्णियाँ, भागलपुर, बेगूसराय, जमुई, औरंगाबाद और समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा, खगड़िया, कैमूर, गया, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद, सुपौल, दरभंगा, किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नालंदा, मधेपुरा, वैशाली, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज, पूर्णियाँ, भागलपुर, बेगूसराय, जमुई, औरंगाबाद और समस्तीपुर ।

पटना, दिनांक 17.03.2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु निर्वाचन मद की कार्यालय व्यय इकाई में कुल ₹22,00,00,000.00 (बाईस करोड़ रूपया) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 64(स्वी०) दिनांक 17.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" के "0002.13.01–कार्यालय व्यय" मद में ₹22,00,00,000.00 (बाईस करोड़ रूपया) मात्र की राशि (उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी के अनुरूप) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 64(स्वी०) दिनांक 17.03.2022 एवं इसके साथ संलग्न जिलावार विवरणी के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त "0002.13.01–कार्यालय व्यय" इकाई में ₹22,00,00,000.00 (बाईस करोड़ रूपया) मात्र की राशि को आवंटित की जाती है।

3. **इसकी माग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16–2015001090002 है।**

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2021-22\Estb & Comm Exp\Election\letter.docx

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **सभी संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)** होंगे। वे वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए विषत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर ही भुगतान करेगें। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. यह आवटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विषत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि सामग्रियों का क्रय वित्तीय नियमावली के अनुरूप करेंगे एवं क्रय किये गये सामग्रियों के संरक्षण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अग्रिम के रूप में निकासी की गयी राशि के डी०सी० विपत्रों का महालेखाकार कार्यालय, बिहार में समायोजन नियमानुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर कराया जाना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

आभार –

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021 के पृष्ठ संख्या 4/ब/टि० पर दिनांक 1.2.22 को प्राप्त है।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी) 2/2/2022

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/[illegible] पं०रा० पटना, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी) 2/2/2022

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–07/2021/[illegible] पं०रा० पटना, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी) 2/2/2022

अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/102(अ)प०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 17.03.202

विषयः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 65(स्वी०) दिनांक 17.03.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹1,87,15,00,000.00 (एक अरब सत्तासी करोड़ पन्द्रह लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **65(स्वी०) दिनांक 17.03.2022** द्वारा''मुख्यमंत्री निश्चय योजना'' अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु **कुल ₹1,87,15,00,000.00 (एक अरब सत्तासी करोड़ पन्द्रह लाख रूपये) मात्र की राशि** राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न' विवरणी–A' के अनुरूप निकासी एवं व्यय तथा वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं इसके साथ संलग्न विवरणी–A के अनुरूप कुल ₹1,87,15,00,000.00 (एक अरब सत्तासी करोड़ पन्द्रह लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगीः–

क्र०	योजना शीर्ष	राशि रूपये में
1	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515001980113 विषय शीर्ष–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	950000000.00
2	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007890112 विषय शीर्ष–0112.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	844600000.00

3	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना योजना–उपशीर्ष–0119–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007960119 विषय शीर्ष–0119.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	76900000.00
कुल		1871500000.00

एक अरब सत्तासी करोड़ पन्द्रह लाख रूपये मात्र

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–06–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो CFMS के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 65(स्वी०) दिनांक 17.03.2022** के साथ संलग्न 'विवरणी–A' के अनुरूप संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 के पृष्ठ संख्या 74 /टि० पर दिनांक 17.03.2022 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

17/03/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(351)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम--02--13/2021/102(3.17)/पं०रा० पटना, दिनांक 17.03.2022
प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा--03, 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06/प्रशाखा पदाधिकारी--06--सह--निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम--02--03/2021/102(3.17)/पं०रा० पटना, दिनांक 17.03.2022
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/03/2022
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021/103 (317) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 17.03.2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 63(स्वी०) दिनांक 17.03.2022 द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रथम एवं द्वितीय किस्त की सामन्य निधि से पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु कुल ₹815.3050 करोड़ (आठ अरब पन्द्रह करोड़ तीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि के निकासी एवं व्यय के लिए आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 63(स्वी०) दिनांक 17.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त की सामान्य निधि में से पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹815.3050 करोड़ (आठ अरब पन्द्रह करोड़ तीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त की सामान्य निधि में से पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹815.3050 करोड़ (आठ अरब पन्द्रह करोड़ तीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक–1 के अनुरूप आवंटित की जाती है। इस आवंटित राशि की निकासी उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक–1 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021–22 में **मांग संख्या–16** अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से निम्नरूपेण से की जायेगी:–

राशि करोड़ रूपये में।

क्र०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	बजट उपबंध
1	मुख्य शीर्ष 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम – उपमुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष– 198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष – 0009 – राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान। विपत्र कोड–16–2515001980009	"0009.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण"	570.71350
2	मुख्य शीर्ष 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष– 197–ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष – 0004 – राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान। विपत्र कोड–16–2515001970004	"0004.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण"	122.29575

3	मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष– 196– जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष– 0007– राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान। विपत्र कोड 16-2515001960007	"0007.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण"	122.29575
	कुल		815.30500

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी एवं व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 63(स्वी०) दिनांक 17.03.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में CFMS के माध्यम से संबंधित कोषागार से करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 63(स्वी०) दिनांक 17.03.2022 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

17/03/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–05/2021/103(भा)पं०रा० पटना, दिनांक 17.03.

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 6/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय– 01–05/2021/1036/31/19 पं०रा० पटना, दिनांक 17.03.2021

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/ 104 (A)-2 /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
औरंगाबाद एवं जमूई।

पटना, दिनांक 26/3/22

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष –0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं जमूई को कुल ₹2,95,05,000.00 (दो करोड़ पनचानबे लाख पाँच हजार रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपया में

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	8000000.00	7000000.00	1380000.00	690000.00	70000.00	17140000.00
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमूई	5800000.00	5000000.00	1000000.00	500000.00	65000.00	12365000.00
कुल		13800000.00	12000000.00	2380000.00	1190000.00	135000.00	29505000.00

दो करोड़ पनचानबे लाख पाँच हजार रूपये मात्र

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

4. इस आवंटित राशि से नियमानुसार बकाये का भुगतान किया जा सकेगा। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखासंधारण समुचित ढंग से हो सके।

B.C

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्तीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021 के पृष्ठ संख्या 48/टि० पर दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010003 है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

26/3/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/1047/प०रा० पटना, दिनांक 26/3/22

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं जमूई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2021/1047/प०रा० पटना, दिनांक 26/3/22

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/3/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

B.V.C

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/1056/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

पटना, दिनांक 27.0

विषय : स्व० मो० अली अकबर, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी–ननौरा, मोहल्ला–दुमदुमा, थाना–लहेरियासराय, प्रखंड–केवटी, जिला–दरभंगा की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, दरभंगा का पत्रांक 288 दिनांक 07.02.2022 द्वारा स्व० मो० अली अकबर, भूतपूर्व न्याय मित्र, ग्राम कचहरी–ननौरा, मोहल्ला–दुमदुमा, थाना–लहेरियासराय, प्रखंड–केवटी, जिला–दरभंगा की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय आदेश संख्या 216 दिनांक 11.11.2019 एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा का पत्रांक 288 दिनांक 07.02.2022 के आलोक में जिला पदाधिकारी, दरभंगा को कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, दरभंगा होंगे जो राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 345 दिनांक 25.03.2021, 548 दिनांक 09.08.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय के अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष– 198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष '0010.37.01–अनुग्रह अनुदान" से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515001980010** है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020 के पृष्ठ संख्या....5..2.. /टि० पर दिनांक..29../..03../2022 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

29/03/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/1057/पं०रा० पटना, दिनांक 29.0.

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/03/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक:5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2020/105/पं०रा० पटना, दिनांक 29.0

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/03/2022

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी